ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 70 रुपये

वर्ष 53 अंक : 2

दिसम्बर 2006

मूल्य : 7 रुपये

मानवाधिकार : संघर्ष जारी है...

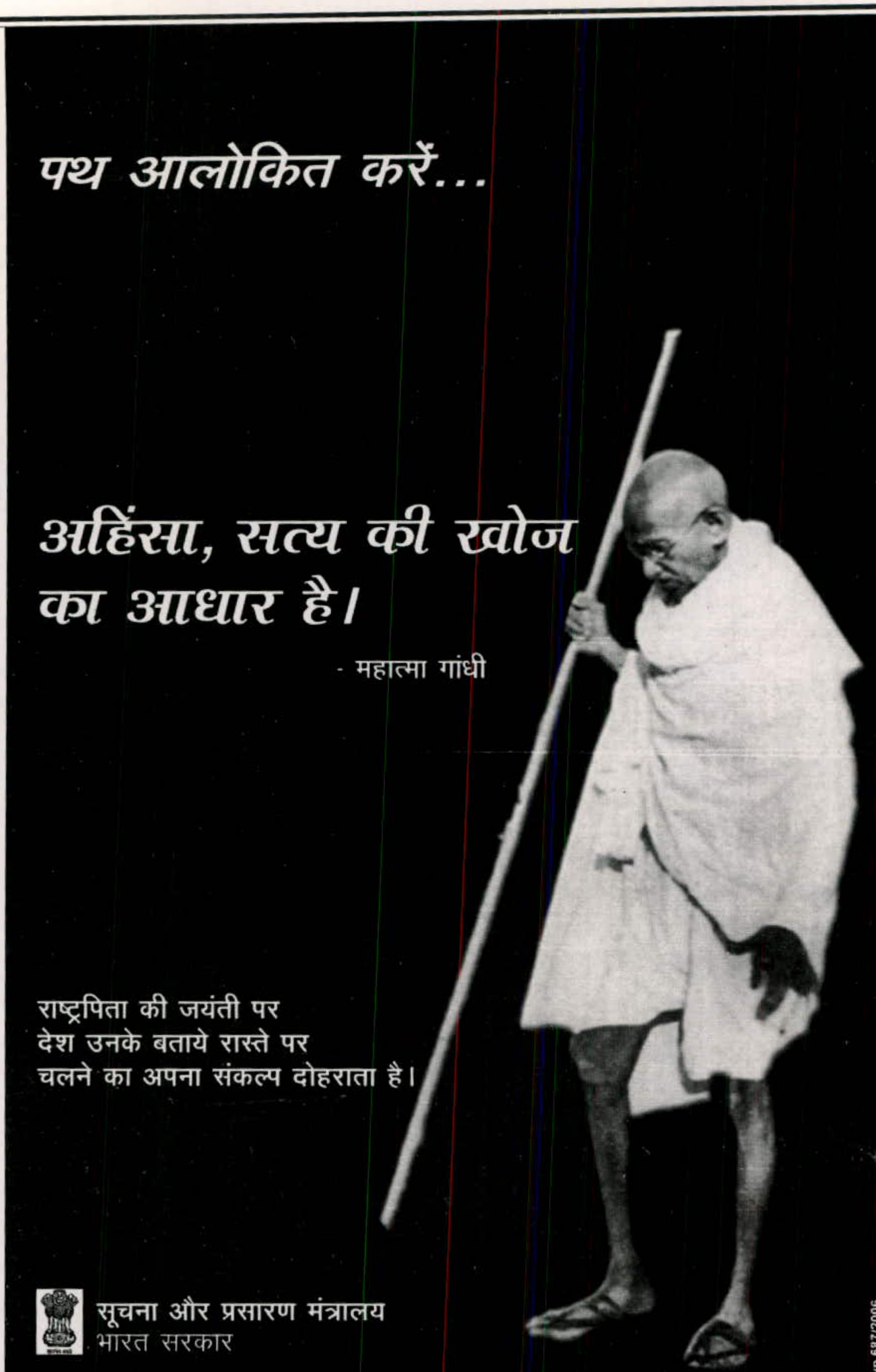
पथ आलोकित करें...
अहिंसा, सत्य की खोज का आधार है।
- महात्मा गांधी
राष्ट्रपिता की जयंती पर
देश उनके बताये रास्ते पर
चलने का अपना संकल्प दोहराता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
davp 687/2006

KH-12/06/03

वर्ष : 53 ★ अंक 2 ★ पृष्ठ : 56

अग्रहायण–पौष 1928, दिसंबर 2006

संपादक

स्नेह राय

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण चित्र

सर्वेश

आवरण सज्जा

संजीव सिंह एवं रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

★मानवाधिकार और वर्तमान समय	प्रांजल धर	4
★मानवाधिकार : मानवीय संवेदना का द्योतक	अनिता सिंह और चंदेश्वर यादव	11
★मानवीय मूल्यों का संरक्षक : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	सुरेश लाल श्रीवास्तव	15
★मानवाधिकारों की रक्षा	मनोहर पुरी	17
★मानवाधिकार और ग्रामीण जनता	मनोज कांत उपाध्याय	21
★ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता एड्स का प्रकोप : मानवाधिकार पर आघात	अरूण कुमार दीक्षित और सोना दीक्षित	23
★एड्स और उसकी चुनौतियां	प्रियंका द्विवेदी	28
★ग्रामीण भारत में एड्स की भयावहता	बजरंग भूषण	31
★एड्स : जब वायरस आ ही जाए	इंदु जैन	35
★ग्रामीण विकास और मीडिया	अरविंद कुमार सिंह	37
★इक्कीसवीं सदी में मीडिया के बढ़ते कदम	करूण बहादुर सिंह	43
★ग्रामीण विकास में संचार माध्यमों की उपयोगिता	बलकार सिंह पूनिया	45
★विकास के दरवाजे खोलती सूचना प्रौद्योगिकी	जितेंद्र सिंह	49
★सामुदायिक विकास में रेडियो की भूमिका	मनोहर लाल	51
★ग्रामीण बैंकों के संस्थापक : मोहम्मद युनुस को नोबेल पुरस्कार	राधेश्याम	56

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत-सम्मत

'कुरुक्षेत्र' का सितंबर 2006 का अंक पढ़ा 'शिक्षा : स्थिति आयाम' काफी अच्छा लगा प्राजंल धरजी का यह लेख शिक्षा के विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डालता है। धरजी के लेख की यह पंक्ति काफी अच्छा लगी 'योजना बनाना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है उसे तात्विक रूप से लागू करना' आज हमारे समाज में शिक्षा की गुणवत्ता में जो कभी लगी है उसे प्राजंलजी ने काफी अच्छी तरह से अपने लेख में दर्शाया है।

अवधेश वर्मा, गोरखपुर

शिक्षा पर आधारित सितंबर अंक पढ़ा। बेहद पसंद आया। आपके सभी लेख पसंद आए। लेकिन मुझे अजय प्रताप सिंह व सुनील श्रीवास्तव के लेख अधिक पसंद आए। चूंकि हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसलिए अजय प्रताप सिंहजी का यह कहना कि विकसित भारत के लिए ग्रामीण शिक्षा आवश्यक है, सत्य है। हमारे योजनाकारों को तथ्यों पर ध्यान देकर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए क्रांतिकारी प्रयास करने चाहिए।

मुकेश आर्य, राजस्थान

ग्रामीण विकास को समर्पित 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका सितम्बर अंक को बाचने का मौका मिला शिक्षा से जुड़ी नारी की वर्तमान स्थिति, शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का बदलता रूप एवं शिक्षा के जादू से होने वाली प्रगति सहित अनेकानेक सम्बन्धित क्षेत्रों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई।

मनोज कुमार खोलिया, बागेश्वर

मै 'कुरुक्षेत' पत्रिका का नियमित पाठक हूं ओर इस पत्रिका के हर अंक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सामान्य ज्ञान एवं देश की दशा-दिशा की जानकारी के लिए यह बहुत ही उपयोगी पत्रिका है। अनुपम व उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

ललित जैन, कोयम्बतूर

पिछले सितंबर अंक में इसी लेखक का शिक्षा पर आधारित पहला लेख पढ़ा था। वो भी बहुत बेजोड़ और जबरदस्त था, लेकिन इस बार तो पत्र लिखने से स्वयं को रोक नहीं पाया। लगे रहो मुन्ना भाई और गांधीजी के इस आधुनिक कहे जाने वाले जमीन में लेखक प्रांजल धर ने अंत में ठीक ही सवाल खड़ा किया है। बच्चे यदि गांधी का मतलब समझ भी गये हो, लेकिन इतना तो तय है कि हम 'बड़े' गांधीजी का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाये हैं।

मैं 'कुरुक्षेत्र' का नियमित पाठक हूं। 'कुरुक्षेत्र' का अक्टूबर विशेषांक पढ़ा। अंक दिल को छू गया। भारत निर्माण पर दी गयी जानकारियां काफी रोचक और अच्छी लगीं। अनूदित लेख भी इतने प्रभावशाली लगे, मानो वे मौलिक हों। गांधीजी पर केंद्रित सभी लेख पढ़े। 'प्रांजल धर' के लेख ने भीतर तक झकझोर कर रख दिया। गांधी आज कितने प्रासंगिक है, ये सभा- सेमिनारों से शायद उतना नहीं जान पाया जितना अकेले इस अद्वितीय, रोचक, प्रभावशाली और विश्लेषणपरक लेख से जान और समझ सका। लेखक की समकालीन दशाओं के प्रति गहरी समझ की जितनी भी दाद दी जाए कम ही है।

सत्यम कुमार, दिल्ली

'कुरूक्षेत्र' का अक्तूबर अंक देर से मिला। सारगर्भित और विश्लेषणात्मक होने के साथ-साथ यह अंक विशेषांक भी है इसलिये रोचकता का स्तर पढ़ते-पढ़ते बढ़ता ही गया। भारत निर्माण की योजनाएं भी प्रशंसनीय हैं। ग्रामीण विकास पर ध्यान किया जा रहा है, यह अच्छी बात है। पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ होने से और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के लागू होने से भारत में नयी आशा जगी है।

लेकिन वंचितों, शोषितों, भूमिहीनों की ओर भला किसका ध्यान है? प्राजंल धर के लेख 'वर्तमान समस्याएं और गांधीजी की प्रासंगिकता' ने यह पत्र लिखने पर मजबूर किया।

आनंद कुमार, नई दिल्ली

कुरूक्षेत्र का वार्षिकांक 'भारत-निर्माण' के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत और वृहत परिप्रेक्ष्य में पड़ताल करता पाकर बेहद अच्छा लगा।

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं की प्राप्ति के साथ ही बेकारी, बेरोजगारी की समस्या का समग्र उन्मूलन को लक्ष्य बनाकर संचालित 'भारत निर्माण कार्यक्रम 2020 में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए एक सार्थक प्रयास है।

शंभु कुमार चौधरी, बिहार

ग्रामीण विकास को समर्पित यह पत्रिका वास्तव में हमें उन पहलुओं से अवगत कराती है जहां हमारा ज्ञान तुच्छ रहता है। हम सब जैसे शिक्षार्थियों के लिए यह पत्रिका अक्षत सदृश्य है क्योंकि पत्रिका शिक्षा, रोजगार विकास के साथ-साथ पर्यावरण के बारे में संकलित जानकारी को हम तक पहुंचाती है और हम उनका उपयोग हम ज्ञानार्जन के लिए करते हैं। ग्रामीणों की सफलता की कहानी हम युवाओं को प्रेरणा एवं जोश से भर देती है और कुछ करने को प्रेरित करती है।

अनूप मिश्र, 'बैरागी', इलाहाबाद

वर्ष–2006

प्रयास जारी है ...

मानवाधिकार और वर्तमान समय

प्रांजल धर

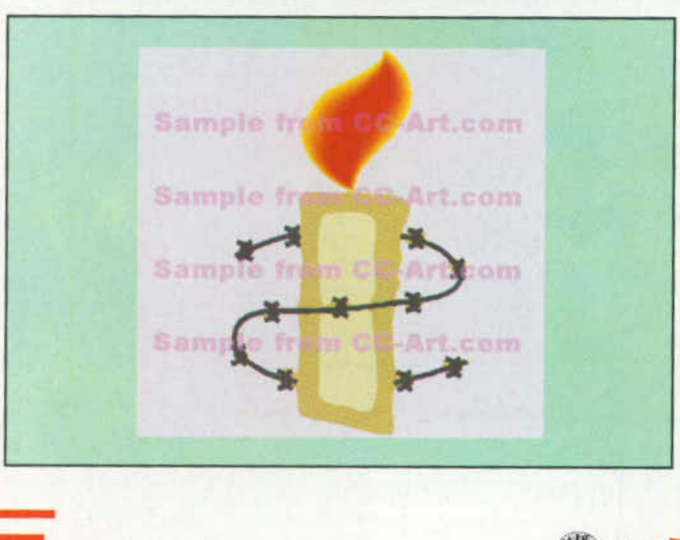

मानवाधिकार का तात्पर्य मानव के अधिकारों से है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को जन्मतः मिले हैं। ये मनुष्य की प्रकृति में ही निहित हैं और किसी रीति-रिवाज, परंपरा, रूढ़ि, कानून, राज्य, शासक, संसद या किसी अन्य संस्था की देन नहीं हैं। मानवाधिकार पहले हैं और राज्य या कानून जैसी चीजें बाद में हैं। यह बात अलग है कि समय के गुजरने के साथ-साथ राज्य या कानून इन्हें प्रवर्तित कराने वाले माध्यमों के रूप में उभरे हैं। इन संस्थाओं का लक्ष्य मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना भी है ताकि प्रत्येक मनुष्य लोकतांत्रिक अधिकारों का उपभोग कर सके, गरिमामय जीवन जी सके, अपना विकास कर सके और राज्य का एक सत्यनिष्ठ नागरिक बन सके। एक विशेष नज़रिए से देखा जाए तो पश्चिमी राष्ट्रराज्यों के विकास के बाद ही यह अवधारणा आई और 'मानवाधिकार' शब्द का चलन बढ़ा। अमरीकी स्वाधीनता की घोषणा और मानव तथा नागरिक के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा इस संकल्पना से अनिवार्य रूप से गुंथे-बिंधे हैं। मानवाधिकारों में अन्य अधिकारों के साथ-साथ जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना का अधिकार भी समाहित है तथा इसकी संकल्पना इतनी ज़्यादा व्यापक है कि उसकी सूची बनाना संभव नहीं। ये अधिकार वास्तव में अदेय, प्राकृतिक और अपरक्राम्य हैं; कोई इनका हरण नहीं कर सकता और ये किसी दूसरे को हस्तांतरित भी नहीं किए जा सकते।

हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है; यूनेस्को, यूनिसेफ़ और संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य एजेंसियां इन पर यथाशक्ति चर्चा करती हैं, वाद-विवाद होते हैं, तमाम सेमिनार और गोष्ठियां होती हैं और रिपोर्टें जारी की जाती हैं। इन सबका उद्देश्य मानवाधिकारों के हनन को रोकना होता है, मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना होता है और सभ्य समाज के आदर्शों को हासिल करना होता है। इस विषय पर कोई भी गंभीर चर्चा करने से पहले कुछ सवाल स्वाभाविक रूप से उपजते हैं। मसलन-इक्कीसवीं सदी में भी समकालीन विश्व-व्यवस्था मानवाधिकारों का कितना प्रवर्त्तन करा पाती है? कृषि प्रधान देश भारत में मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति क्या है? जहां भारत की दो-तिहाई से भी ज़्यादा आबादी निवास करती है उसे 'गांव' कहते हैं। क्या इन गांवों में किसानों के अधिकारों का प्रवर्त्तन हो पाया है? क्या गांवों में कर्ज के बोझ तले दबे ऐसे 'होरी' नहीं जो कुव्यवस्था और शोषण के शिकार हैं? प्रेमचंद के 'गोदान' से लेकर आज तक के समाज ने इन आम किसानों के मानवाधिकारों का

कितना ख्याल रखा है? आधी दुनिया को ये मानवाधिकार कहां तक प्राप्त हुए हैं? और फिर नियमित अंतराल पर मानवाधिकारों का बेसुरा दंभ भरने वाले 'वैश्विक महानायक' ने इराक, अफ़गानिस्तान या अन्य देशों में मानवाधिकारों का कितना ध्यान रखा है? मानवाधिकार कहीं ऐसा उपकरण तो नहीं जिसके माध्यम से आर्थिक और सामरिक हितों की पूर्ति की जाती हो? भारत में दलितों या मजदूरों को उनका कितना हक मिल पाया है? आदिवासियों, जनजातियों और विस्थापितों के मानवाधिकार हमारी ऊंची-ऊची उपलब्धियों की चकाचौंध रोशनी में क्या दब नहीं गए? ऐसे ढेरों सवाल हैं जिन पर विचार किए बिना मानवाधिकारों पर कोई भी चर्चा पूर्ण, संतुलित या न्यायपूर्ण नहीं कही जा सकती। हां, जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं और जिन्हें बार-बार रटा और दुहराया जाता है, वे इस लेख के साथ बॉक्सों में दी गई हैं।

मानवाधिकारों की लकीरें

मानवाधिकारों का संरक्षण और उनकी देखभाल करना किसी भी उन्नत व विकसित कहे जाने वाले समाज के लिए ज़रूरी है। एक नजरिए से देखा जाए तो इनका संरक्षण या उल्लंघन किसी देश या समाज की प्रगति का मापक भी है। 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वजनीन घोषणा जारी की। यह ऐसा समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध की पीड़ा से त्रस्त मानवता शांति की सुरम्य स्थली पाने के लिए व्याकुल थी। तभी से हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

मानवाधिकारों की इस सार्वभौमिक घोषणा के पत्र (चार्टर) में 30 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा एक लंबी और व्यापक प्रस्तावना है। प्रस्तावना संसार में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की स्थापना का लक्ष्य रखती है। अनुच्छेद 3 से लेकर अनुच्छेद 21 तक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की चर्चा की गई है। इसमें जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, प्रताड़ना या उत्पीड़न से मुक्ति, सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा-सम्मेलन करने का अधिकार और स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 22 से लेकर अनुच्छेद 27 तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत काम करने का अधिकार, आराम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अशिक्षा का अधिकार और सांस्कृतिक कार्यों में भागीदारी का अधिकार आदि सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद 1 और 2 के तहत मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भावना पर ज़ोर दिया गया है। इनमें जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, संपत्ति, जन्म, जन्मस्थल या किसी अन्य स्थिति के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है।

अनुच्छेद 3,4 और 5 इस बात का प्रावधान करते हैं कि कोई किसी का दास नहीं होगा और कोई किसी के साथ क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं करेगा। अनुच्छेद 6 से 11 तक कानून के समक्ष समता, सबके लिए समान कानूनी संरक्षण, कानूनी उपचार, बंदीकरण तथा निर्वासन से मुक्ति और किसी अभियोग के लगाए जाने पर उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण जैसे विषयों का वर्णन है। अनुच्छेद 18 से 20 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण संघ बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में समुदाय के प्रति व्यक्ति के कर्त्तव्यों पर जोर दिया गया है।

समय-समय पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए पहलें भी की गई हैं। दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का गठन किया था जिसका लक्ष्य मानवाधिकारों की देखभाल था। मानवाधिकारों के रक्षार्थ सहायक महासचिवों की नियुक्ति भी की गई। 1975 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की निंदा करते हुए इसे अमानवीय कहा गया। नस्लवाद का विरोध भी इसके लक्ष्यों में प्रमुख रहा है। 1993 से 2003 तक के दशक को नस्लवाद विरोधी दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

महिला अधिकारों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया और 1993 में इससे संबंधित एक प्रस्ताव महासभा में पारित हुआ। 1959 और 1989 में शिशु अधिकारों के लिए विशेष प्रयास किए गए। इसमें शिशु के जीवन यापन के अधिकार से लेकर उसके संरक्षण के अधिकार तक की बातें की गई। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महासभा ने तमाम प्रयास किए हैं। इसी से संबंधित 'देशज लोगों' के अधिकारों हेतु 1990 में एक प्रस्ताव पारित हुआ और 1993 को 'देशज लोगों को अंतरराष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों की सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए।

किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने तमाम कार्यक्रम और योजनाएं चला रखी हैं। वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया ताकि हम खाद्य तेलों के मामलों में आत्मनिर्भर हो सकें। समय के साथ-साथ इसमें दलहन, पाम आयल और मक्का को भी शामिल कर लिया गया। अब इन सबको मिलाकर एक समन्वित योजना चलाई जा रही है। फसल उत्पादन कार्यक्रम, बागवानी और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों; जैसे- पशुपालन पर भी सरकार बराबर ध्यान दे रही है। वृहद् कृषि-प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध और राष्ट्रीय बागवानी मिशन से लेकर उर्वरकों पर सब्सिडी और नवविकसित कृषि तकनीकों तक पसरी ये योजनाएं कृषि और किसानों के हित में चलाई जा रही हैं क्योंकि भारतीय अर्थयवस्था का आधार कृषि ही है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति और फसल विज्ञान के इस उन्नत दौर में भी किसानों की पीड़ा आखिर इतनी ज़्यादा क्यों है कि वे कीटनाशक पीकर अपनी इहलीला समाप्त करने के लिए मजबूर हैं?

महाराष्ट्र के विदर्भ में आत्महत्या कर रहे ये किसान आर्थिक और कृषि संबंधी नीतियों के अलावा मानवाधिकारों पर भी सोचने को बाध्य करते हैं। आज भले ही इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है लेकिन आत्महत्याओं का यह सिलसिला आज का नहीं है। वर्ष 2001 में इस क्षेत्र के 41 किसानों ने खुदकुशी की और पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण धीमे-धीमे यह नासूर इतना भयंकर हो गया कि वर्ष 2005 में आत्महत्या करने वाले किसानों की तादाद 390 तक पहुंच गई। बार-बार फसलों के नष्ट होने, कर्ज के दुष्चक्र में बुरी तरह उलझ जाने और फसलों के जरिए अपनी लागत तक न वसूल पाने जैसे कारणों के चलते पिछले पांच वर्षों में 1040 से भी ज्यादा किसानों ने समस्या का हल जान गंवाने में समझा। यवतमाल और अमरावती जैसे बुरी तरीके से प्रभावित जिलों में मानवाधिकारों की हालत कितनी बदतर है, इसे शायद शब्दों में बयां करना मुमकिन भी नहीं। इलाके के अवैध साहूकारों को इन किसानों की आत्महत्याओं का दोषी पाया गया। साहूकार निर्मूलन आंदोलन भी चलाया जा रहा है। सरकार शिकायत करती है कि ये किसान अपनी उपज उस तक बेचने नहीं आते। ठीक इसी समय सरकार स्वयं अपनी ही शिकायत को लेकर काफी दुविधाग्रस्त है।

किसानों की यह दुर्गति तब है जब यह देश कृषि प्रधान है और वर्ष 2005-06 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए खर्च करीब तीस फीसदी बढ़ाया गया था। कुछ लोग रॉयटर की एक रिपोर्ट का जिक्र करके मानवाधिकार के घोर उल्लंघन वाले ऐसे संवेदनशील मामले को परदे के पीछे धकेलने का प्रयास भी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं सबसे ज़्यादा आस्ट्रेलिया में होती हैं। एक्शन एड की रिपोर्ट देखें तो पिछले तीन सालों में इंग्लैंड में खेती से होने वाली आय में 40 फीसदी की गिरावट आई और 90 के दशक में तकरीबन नब्बे हजार किसानों और कृषि से संबंधित मज़दूरों ने खेती-किसानी से किनारा कर लिया।

बहरहाल मानवाधिकार संबंधी पहलुओं पर ही चर्चा की जाय। इन लकीरों में यह रेखांकित करना भी ज़रूरी है कि किसानों के लिए आत्महत्या करना आसान हो चला है और सरकारों के लिए इन्हें आत्महत्या मानना कठिन। किसी मृत्यु को आत्महत्या करार देने के जो मानक हैं वे फिलहाल मानवाधिकारों के चमचमाते चार्टर की बहुरंगी पंक्तियों और उनके अर्थों से कोसों दूर हैं। सरकार इन आत्महत्याओं में महिलाओं को शामिल नहीं करती जबकि कुल खेतिहर समाज का दो-तिहाई भाग महिलाओं से ही पटा पड़ा है। आत्महत्या करने वाले उन किसानों को नहीं गिना जाता जिनकी जमीनें उनके पिता, चाचा या दादा-बाबा के नाम हैं। दलितों और आदिवासियों के लिए बनाए गए मानक भी कम विवादित नहीं। किसानों के मानवाधिकारों का इतना हनन क्यों? बहरहाल इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दारुण और कारुणिक त्रासदियों के बीच भारत के गांवों का कोई उल्लेखनीय विकास हो रहा है? अब ये गांव रेल की सीधी पटरियों पर दौड़ती एक्सप्रेस ट्रेनों के वातानुकूलित शीशों से झांकने पर शायद उतने सुंदर नहीं दिखते जितने अंग्रेजों को दिखते थे। इसका कारण क्या वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या विकसित देशों की कृषि-सब्सिडियां हैं; यह बहस का एक अलग विषय है।

बरसों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक समाज में आधी दुनिया के मानवाधिकारों पर एक नज़र डालते हैं। बड़े-बड़े महानगरों की चौंधियाती रोशनी से हटकर बसे झुग्गीवाले इलाकों में महिलाओं के लिए पेयजल और शौच तक की उचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य तो दूर की बातें हैं। भ्रूणहत्या, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और बलात्कार जैसे दानवों से घिरी आधी दुनिया मानवाधिकारों की ज़रूरत को रेखांकित करते-करते अक्सर थक-सी जाती है। 73वें और 74 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की प्रणाली लागू की गई थी ताकि हमारे यहां लोकतंत्र अपनी जड़ों की गहराई तक पहुंच सके। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी इन संशोधनों के माध्यम से की गई थी। महिलाओं ने कई आशाजनक परिणाम भी दिए लेकिन यह प्रगति एकसमान और समतामूलक नहीं रह सकी। राजस्थान में एक महिला सरपंच को राष्ट्रध्वज फहराने से मात्र इसलिए रोक दिया जाता है कि वह तथाकथित नीची जाति से है। ऐसी चीजें क्या इस बात की मापक नहीं कि मानवाधिकार और मानवीय गरिमा को हम कहां तक अक्षुण्ण रख पाए हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा (उन्नत कहे जाने वाले मेट्रोपालिटन शहरों में भी) कर पाने में यह व्यवस्था समर्थ साबित हो सकी है?

पश्चिमी चंपारण जिले की मझरिया पंचायत, वैशाली जिले की अमेर पंचायत, नालंदा जिले की मेघी नगमा पंचायत, रोहतक जिले की सुबना पंचायत और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की पंचायत - ये ऐसे उदाहरण है

जहां ग्राम प्रधान या सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने पर महिलाओं को न सिर्फ डराया-धमकाया गया बल्कि उनके घर के सदस्यों (पिता, भाई या पति, पुत्र) की जान तक ले ली गई। गुजरात के आणंद जिले के चंगा गांव में जो महिला चुनाव में उम्मीदवार बनी, उसे उसकी नेत्रहीनता के चलते इतना परेशान किया गया कि नेत्रहीनता वहां एक चुनावी मुद्दा बन गई।

महाराष्ट्र की बादगांव घएरी या राजस्थान की सोनासार ग्राम पंचायतें महिलाओं के साथ किए गए भेदभावों का अपवाद नहीं। मानवाधिकार पर बात करते समय माथे पर बल तब और गहरे हो जाते हैं जब यह जानने में आता है कि पढ़ा-लिखा कहा जाने वाला राज्य केरल भी इसका अपवाद नहीं है। इसी बीच इस पर भी बातें करते चलना बेहद ज़रूरी है कि महिलाओं के मानवाधिकारों की बजाए उनसे कुछ और जांचना-पूछना ज़रूरी समझा जाता है। यह ज़रूरी चीज़ महिलाओं से ज़्यादा बाजार के हित में है। यह उनको अधिकार दिलाने की बजाय बाजार को अधिकारसंपन्न बनाती है जो मांग और पूर्ति के नियमों पर चलता है। एक उदाहरण से मजाक लगने वाली इस गंभीर बात को समझा जा सकता है। अभिनेत्री खुशबू का बयान आता है कि विवाह पूर्व यौन संबंध कोई बुरी बात नहीं। ठीक इसी समय कुछ टेनिस महिला खिलाड़ियों की छोटी स्कर्टों को लेकर सवालों की बंदूकें दागी जाती हैं। कारपोरेट सेक्टर में देर रात तक दफ्तरों में खटने वाली महिलाओं से सवाल पूछे जाते हैं। 'क्या आपने दफ्तर में कभी रोमांस किया? क्या आपके विवाहेतर संबंधों पर पति ने आपत्ति जताई?' आदि आदि....। इस दौरान इस तथ्य को भुला दिया जाता है कि महिलाओं की साक्षरता दर आज भी चिंताजनक स्तर तक कम है, उनके मानवाधिकारों का घर बाहर हर जगह हनन होता है, आज भी 12

मानवाधिकार संगठन

सभ्यता की प्रगति के लंबे इतिहास में तमाम संगठन उपजे जिन्होंने मानवाधिकारों की देखभाल की। मानवाधिकार संगठनों के अलावा कुछ अन्य संगठन भी हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के प्रयास में रत हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध की विभीषिकाओं और महामारियों इत्यादि के प्रकोप से बचने के लिए भी कई गैर-सरकारी संगठन अपनी सेवाएं देते हैं।

इस श्रृंखला में मानवाधिकारों से संबद्ध विश्वव्यापी संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' का नाम सबसे पहले आता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी शुरूआत एक ब्रिटिश वकील पीटर बेनसन ने 28 मई 1961 को अखबारों में एक अपील देकर की थी। आज लगभग 150 देशों में इसके 5 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं जो ज़रूरत पड़ने पर अपनी सेवाएं देते हैं। विश्व में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर यह संगठन वार्षिक रिपोर्ट देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे सलाहकारी दर्जा प्राप्त है। इस संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ।

'ह्यूमन राइट्स' वॉच भी एक जाना-माना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। हालिया समय में जब इज़राइल ने हिज्बुल्ला के बहाने लेबनॉन पर आक्रमण करके अपनी निरंकुश शक्ति का भौंडा प्रदर्शन किया, तब इस संगठन की रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में आईं। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि इज़रायल ने लेबनान के जिन ठिकानों पर यह कहकर हमला किया था कि वहां हिज्बुल्ला के लड़ाके मौजूद हैं, वहां कोई लड़ाके नहीं थे। इस संगठन की स्थापना न्यूयार्क में 1978 में हुई थी। यह संगठन महिलाओं, बच्चों तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के अधिकारों के लिए सहायता प्रदान करता है।

इन दो संगठनों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं: 'डिफेंस फॉर चिल्ड्रेन इंटरनेशनल' (स्थापना 1979 में जेनेवा में), 'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक लॉयर्स' (स्थापना 1946 में ब्रुसेल्स में) और 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डस' (स्थापना 1971में पेरिस में) आदि। 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' डॉक्टरों और नर्सों की एक संस्था है। यह विभिन्न देशों के पीड़ित और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए कार्य करती है। इस संगठन को 1999 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था।

युद्ध या विपदा के समय परेशानियों से निजात दिलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया संगठन 'रेडक्रास' भी यहां उल्लेखनीय है। अंतरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति 1863 में जे.एच. दुनांत की मदद से स्थापित की गई थी। 1864 में चौदह राष्ट्रों से आए प्रतिनिधियों ने जनेवा समझौते को स्वीकृति दी थी। इसके मुताबिक घायलों का उपचार और पीड़ितों की मदद आदि करते समय इसके कर्मचारी तटस्थता का परिचय देंगे। आज सौ से भी ज्यादा रेडक्रास समितियां हैं। इस संगठन को तीन बार (1917, 1944 और 1963 में) नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

करोड़ 72 लाख बीस हजार महिलाएं श्रमिक हैं। इन्हें अपने हितों की जानकारी तक नहीं और ये बड़ी-बड़ी पूंजियों वाली प्रबंधन व्यवस्था की दया की सिर्फ याचक भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की हालत इतनी खराब है कि अगर सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो ग्रामीण अंचल की महिला मजदूरों में से 87 प्रतिशत तो खेतिहर मजदूर ही हैं। ये प्राय: असंगठित हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाने में असमर्थ भी। जाहिर है कि यू.एन. चार्टर के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार या हमारे संविधान के निजता के अधिकार और आजीविका पाने के अधिकार (अनुच्छेद 21) इनके लिए खास मायने नहीं रखते।

यूएन चार्टर का अनुच्छेद 16 परस्पर सहमति से विवाह करने और परिवार बढ़ाने के अधिकार का उल्लेख करता है। ये सब बातें 'सिद्धांत' रूप में मान्य होने के बावजूद ऐसा करने वालों का क्या हश्र होता है, यह शायद किसी से छिपा नहीं है। मुजफ़्फ़रनगर में दो प्रेम करने वालों को और कोई उपाय न पाकर आनन-फानन में पेड़ पर ही फांसी दे दी जाती है। सामाजिक विसंगतियां जब समस्याओं का हल मानवों को ही नष्ट कर डालने में आसानी से पा जाती हों; तब मानवाधिकार की इन चर्चाओं का भला क्या अर्थ रह जाता है? अनुच्छेद 22 से 26 तक (चार्टर में) सकारात्मक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इनमें व्यक्ति के लिए विपत्ति के समय सामाजिक सुरक्षा आदि के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन धनबाद में कोयला खदान में हुए विस्फोट से मरने वाले पचासों खनिकों को कौन-सी सामाजिक सुरक्षा दी गई थी? यह ठीक है कि मरने के बाद उनके घर वालों को मुआवजा दिया गया लेकिन उड़ीसा में कालिंगनगर के आदिवासियों वाले मामले में मानवाधिकारों का हनन क्यों नहीं रोका जा सका? क्या मानवाधिकार मरणोपरांत गाया जाने वाला एक शोकगीत है जिसे हादसों के हो जाने के बाद ही गाया जाता है?

बहरहाल इस मामले में सरकार को ही दोष देना एक मूर्खतापूर्ण काम है। क्या जनता जिम्मेदार नहीं? दरअसल हम उस चीज़ का पर्याप्त विकास ही नहीं कर पाए जिसे 'सिविक कल्चर' या नागरिक संस्कृति कहते हैं। मानवाधिकारों का लागू किया जाना शायद इससे भी एक कदम आगे की बात है। यह वह नागरिक संस्कृति है जिसका विकास करने में अमरीका भी बुरी तरीके से असफल सिद्ध हुआ है। इराकी कार्रवाई के दौरान अबू गरेब नामक जेल की अमानवीय स्थितियां आखिर क्या संकेत करती हैं? अमरीका भी बालश्रम और गोरे-काले जैसी नस्लीय विवादों के स्याह खून से लथपथ ही है। उसकी शह पर काम करने वाले इज़रायल पर गौर कीजिए। फिलिस्तीन में उसने कितना मानवाधिकार हनन किया यह अलग प्रश्न है। फिलहाल लेबनान की ही बात करें तो हिज्बुल्ला के बहाने इज़रायल ने अपनी विस्तारवादी अमानवीय इच्छाओं की ही अभिव्यक्ति की। 1982 में भी इज़रायल ने लेबनान में हस्तक्षेप करके मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया था। इस बार तो इज़रायल ने मानवाधिकारों और मानवाधिकार संगठनों का मजाक ही बना डाला। तकरीबन पांच लाख लोगों को उसने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। न जाने कितने नागरिक और असैनिक ठिकानों पर उसने हमले किए। महिलाएं और बच्चे तक नहीं बख्शे गए। यह सब अमरीका द्वारा दिए गए हथियारों के ज़रिए हुआ। गौर करने वाली बात है कि बातचीत और सुलह-समझौतों के माध्यम से इज़रायल इस विवाद का हल निकाल सकता था और युद्ध को टाला जा सकता था।

मानवाधिकार और महानायक के संबंधों पर भी विचार करना प्रासंगिक है। दूसरे देशों की आंतरिक राजनीति में दखल देने या उनकी संप्रभुता पर हमले करने के लिए जब इस महानायक अमरीका के पास कोई और बहाना नहीं बचता तब उसको सुशासन, लोकतंत्र और मानवाधिकार रूपी ब्रह्मास्त्रों की याद आती है। तब वह कहना शुरू करता है कि इराक में सुशासन नहीं है, चीन मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है और अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। ये वही महानायक है जिसके अपने राज्यों में रंगभेद, नस्लभेद या लैंगिक विभेद के उदाहरण कम नहीं हैं और जिसकी नज़र में पाकिस्तान लोकतंत्र का जीता-जागता आदर्श है। मानवाधिकार का हनन करने वाले अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ़ इस महानायक की फिलहाल कोई सुनिश्चित कार्ययोजना नहीं हुआ करती। अगर होती भी है तो वह स्वयं महानायक के तेल हितों, आर्थिक हितों या सामरिक हितों की पूर्ति भर के लिए ही होती है।

एक वर्ग अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों का है जिनके ऊपर कायदे से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बहुत बार आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच साफ़ विभेदक रेखा न खींच पाने की वजह से इनके अधिकारों और हितों की समस्यायें अनावश्यक रूप से जटिल हो गई हैं। संविधान की अनुसूचियों और दूसरे सरकारी दस्तावेजों में जनजातीय क्षेत्रों की पहचान की गई है। खासी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आमलांग जिला, गारो और जयंतिया आदि क्षेत्र इसी के परिणाम हैं। जनजातीय जिलों का प्रशासन स्वशासी जिलों द्वारा किए जाने का भी चलन है लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। जनजातीय उपयोजना और विशेष केंद्रीय सहायता के तमाम दावों के बीच इन्हें इनके अधिकारों को दिलाना अभी शेष ही है। राजस्थान के सबसे पिछड़े क्षेत्र बारां जिले के आदिवासी आज भी भुखमरी, कुपोषण और अशिक्षा के शिकार हैं। इन सहरिया जनजातयों की मौतों का मामला पिछले साल प्रकाश में आया था। जाहिर है कि विकास अभी इन तक नहीं पहुंच पाया है।

इन सबके अलावा आदिवासियों के भू-अधिकारों की समस्या और वनवासियों को उजाड़े जाने की दास्तां भी मानवाधिकारों की चर्चा को आवश्यक और प्रासंगिक बनाती है। तमाम आदिवासी और वनवासी

शताब्दियों से वनों और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे हैं। प्राचीनकाल से ही वन इसके लिए मूल आवास रहे हैं। इनके परंपरागत अधिकारों और मानवाधिकारों की समुचित पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है और आज तक इन्हें चकबंदी, सीलिंग, पट्टे, भू-अभिलेखन या भूमि-आबंटन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है। उदारीकरण की सुगंधित कही जाने वाली बयार के बीच यह जानना ज़रूरी है कि इन आदिवासियों या विस्थापितों की ज़मीन उनके नाम नहीं होने के कारण इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। सरकार द्वारा इस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

बड़े हैरत की बात है कि सबको समान मानने वाली इस व्यवस्था की सरकार इस तथ्य को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेती है कि यह वर्ग वास्तविक लाभों से वंचित है। ब्रिटिश काल में मजदूरों को बसाया गया था ताकि श्रम आसानी से और सस्ते रूप में मिल सके। इन्हें वन्य गांव कहा जाता है। इनमें से बहुत से गांव राजस्व गांव नहीं हैं। वेदना

मानवाधिकार और भारत

शांति की आकांक्षी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सक्रिय सदस्य रहा है। मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौमिक घोषणा का भारत ने यथोचित सम्मान किया है। भारत का संविधान उन सभी विचारों, आदर्शों, मूल्यों, मानकों आर शब्दावलियों का प्रशंसनीय ढंग से उल्लेख करता है जिनका वर्णन मानवाधिकारों के यू.एन. चार्टर में है। हमारे संविधान की प्रस्तावना के लक्ष्य वास्तव में समस्त विश्व के लिए प्रेरणा की किरणें हैं। हमने मूल-अधिकारों के अलावा कल्याणकारी राज्यों के लक्ष्यों को भी अपने संविधान में समाहित किया है। हमारे संविधान का भाग-3 (अनुच्छेद 12 से 35) मूल अधिकारों की घोषणा करता है और भाग-4 (अनुच्छेद 36 से 51) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। प्राचीन सभ्यताओं की भूमि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में समय-समय पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को उद्धृत किया है। इन निर्णयों के जरिए उस लोकतांत्रिक भावना को पुष्ट करने का प्रयास किया गया है जो वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय के प्रवर्त्तन में सहायक है और जो किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र का अनिवार्य लक्षण भी है।

भारतीय गणतंत्र की सरकार ने मानवाधिकारों की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितंबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा1993 में किया गया था जिससे अगले ही वर्ष 1994 में एक अधिनियम को पारित करके और भी ज्यादा सुदृढ़ व व्यवस्थित बना दिया गया। 1994 वाले अधिनियम में राज्यों में मानवाधिकार आयोग और जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। यह आयोग मानवाधिकारों के हनन या उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। ऐसा वह स्वयं या किसी के द्वारा शिकायत किए जाने पर करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष के पद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अन्य सदस्यों में एक सदस्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मानवाधिकारों के विषय में जानकारी रखने वाले दो सदस्य, एक उच्च न्यायालय का वर्तमान या पदमुक्त न्यायाधीश तथा तीन सदस्य और भी होते हैं। ये तीन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री लोकसभाध्यक्ष, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता, गृहमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति तथा राज्य सभा में विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं।

बालकों के मानवाधिकारों पर ध्यान देना दिनोंदिन ज़रूरी होता गया है। सरकार ने 1975 में समन्वित बाल विकास सेवा नामक योजना चलाई, 1975 में ही बालवाड़ी योजना शुरू की गई और 1993-94 में राष्ट्रीय शिशु सदन कोष बनाया गया। बालश्रम के उन्मूलन और प्रत्येक बच्चे को उसके विकास के लिए समुचित स्थितयां प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयासों की दरकार है। भारत ने बच्चों के अधिकारों के बारे में अंतरराष्ट्रीय समझौते 1989 पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वह राष्ट्रीय बाल घोषणा पत्र अस्तित्व में आया जिसे 9 फरवरी, 2004 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग अपने अस्तित्व को आकार देने में अग्रसर है। इसके अलावा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के मसौदे का काम भी प्रगति पर है। विशिष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ ऐसे कदम हैं जिनकी तारीफ़ की जा सकती है।

की त्रासदी यहीं समाप्त नहीं होती। आज हमारे गणतंत्र में इन जनजातियों और आदिवासियों के वन्य गांवों की तादाद तीन हजार से भी ज़्यादा है। बड़ी-बड़ी पूंजियों द्वारा चलाए गए औद्योगीकरण अभियान के चलते इनकी बेदखली न सिर्फ़ जारी है बल्कि अक्सर हिंसा का रूप भी अख़्तियार कर लेती है। इसलिए जल, जंगल और जमीन के मामलों को लेकर वे उत्तेजित हो गए हैं। इन सभी समस्याओं का मिला-जुला परिणाम न सिर्फ उनके साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय के रूप में सामने आता है बल्कि राष्ट्र-निर्माण के लिए एक चुनौती भी पेश करता है। इनके मानवाधिकार शायद उतने कीमती नहीं जितने पूंजी के मालिकों के हैं।

भारत जैसे बहुभाषाभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में मानवाधिकारों के प्रवर्तन में कई व्यावहारिक उलझनें भी सामने आती है। गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी, पलायन, जातिवाद, विषमता, अपराधीकरण, आतंकवाद, पर्यावरणीय क्षरण और कुपोषण कुछ ऐसी ही उलझनें हैं। इसके अलावा धार्मिक भावनाओं के भड़कने के दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। जाने-माने लेखक व विद्वान रफ़ीक जकारिया की पुस्तक 'कम्युनल रेज़ इन सेकुलर इंडिया' हमें कई मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जातिवादी हिंसा का अक्सर सामने आना मानवाधिकारों के सामने खड़ा एक दूसरा ज्वलंत मुद्दा है। समाज अभी भी इतना जड़ है कि गोहाना जैसी घटनाओं में दलितों के साथ क्रूर और अमानवीय अन्याय कर दिया करता है। मज़दूर अभी भी इतने विकसित संगठन नहीं बना पाये हैं कि वे पूंजी और प्रबंधन व्यवस्था से स्वस्थ सौदेबाजी कर सकें। शायद तभी उन्हें मनमाने तरीके से काम पर रखा और हटाया जाता है और गुड़गांव जैसी घटनाओं में वे निर्मम लाठियां सहने को मजबूर हैं। इनकी नियति ही शायद इनके मानवाधिकार की इबारतें हैं।

किसानों, महिलाओं, दलितों, मज़दूरों, आदिवासियों और जनजातियों के बाद नौनिहालों के मानवाधिकारों पर नज़र डालते हैं। अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा, दोपहर भोजन कार्यक्रम और सर्व-शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद तमाम बच्चे अभी बुनियादी सुविधाओं से ही वंचित हैं। बालश्रम उन्मूलन के तमाम प्रयासों के बाद भी आज ऐसे बालकों की तादाद चिंताजनक स्तर तक अधिक है जो अपने दो वक्त की रोटी के लिए दिन-रात कोल्हू के बैल की तरह खटते हैं, घरों के पिछवाड़े से रद्दी और जूठन बीनते हैं और फुटपाट पर अखबार बिछाकर सो जाते हैं। ये भारत नामक राष्ट्र के ऐसे पिता हैं जो रईसों की पार्टियों और स्वागत समारोहों के बाद उनकी जूठी पत्तलें चाटते हैं। इनके जीवन जीने के अधिकार या मानवाधिकार पर इससे ज़्यादा क्या कहा जाए कि विकास का मनहूस राग अलापने वाले उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ताजा आंकड़ों के मुताबिक पोलियो की समस्या वहीं की वहीं है। देश भर में पाए गए पोलियो के लगभग तीन सौ मामलों में से लगभग 270 मामले तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही हैं।

नौनिहालों की यह दयनीय हालत भारतभूमि का हृदयस्थल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। दक्षिण भारत के राज्य बालकों की समस्याओं के अपवाद नहीं। मल ढोने से लेकर घृणित कहे जाने वाले हर काम ये नौनिहाल करते हैं। गरीबी का आलम यह है कि उछाल खाती अर्थव्यवस्था के बीच ये आज भी 'मां की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं।' इनके व्यापार को भयंकर अपराध माना गया है। लेकिन कुछ महीनों पहले 'मलेशिया सोशल सर्विस सेंटर' नामक एक एजेंसी का मामला सामने आया था। यह बच्चा गोद लेने वाली एक एजेंसी थी जिसने बालकों की न सिर्फ खरीद-फ़रोख़्त की बल्कि उनके मानवाधिकारों पर और उसके सभी पहलुओं पर जमकर चोटें कीं। 1991 से 2002 के बीच इस एजेंसी ने आस्ट्रेलिया, फिनलैंड, नीदरलैंड और अन्य देशों समेत कई स्कैंडिनेवियाई देशों में लगभग डेढ़ सौ बच्चे भेजे। बच्चा गोद लेने के कानूनी प्रावधानों को किस तरह मजाक बना डाला जाता है उसका इतना ज्वलंत और दुभाग्यपूर्ण उदाहरण शायद और कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा।

मानवाधिकारों और वर्तमान समय में उनकी स्थितियों की इतनी चर्चा किए जाने पर भी बहुत कुछ कहने को बाकी रह जाता है। कारण यह है कि यह इतनी अधिक व्यापक संकल्पना है जिसकी पूरी चर्चा एक ही बार में करना संभव ही नहीं है। मानवता के समक्ष जो भी समस्याएं उपस्थित हैं उनसे निपटना ही इस संकल्पना का लक्ष्य है। सूखा-बाढ़, गरीबी-अकाल, सुनामी-भूकंप, युद्ध या दुर्घटनाओं के चलते जो लोग शिकार होते हैं, पीड़ित या परेशान होते हैं, उनके मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है। कानून को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मसलन- बांध बनने के कारण विस्थापित हुए लोगों का मामला स्वयं में एक चुनौती है। विकास और मानवता के आपसी रिश्तों को भी रेखांकित करना ही होगा। विकास अपेक्षित है, किंतु यह मानवता या मानवाधिकारों की कीमत पर न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की तमाम प्रसंविदाएं, अभिसमय और कई अंतरराष्ट्रीय समझौते भी यही कहते हैं। अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियों की भी महती आवश्यकता है जो स्वयं में चर्चा और विवाद का एक अलग विषय है। मानवाधिकार संबंधी घोषणाओं को जमीनी सच्चाइयों में बदलना होगा जिससे ये घोषणाएं महज दस्तावेजी बनकर न रह जाएं। शायद इसी बात में मानवाधिकार दिवस की सार्थकता भी निहित है। हमारी सरकार मानवाधिकारों को लेकर सजग है। यह प्रशंसा की बात है। लेकिन इस सजगता में और अधिक धार लाने की ज़रूरत है। ⌘

(लेखक 'जनादेश' पत्रिका के सम्पादक हैं)

मानवाधिकार : मानवीय संवेदना का द्योतक

अनिता सिंह और चंदेश्वर यादव

सामाजिक जीवन की वे दशाएं जो मानव को समाज एवं कानून समस्त (संविधान के अनुरूप) कार्यों को संपादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे, मानवाधिकार कहलाती है।

मानवाधिकार को कभी-कभी मूल अधिकार, अंतर्निहित या जन्मजात अधिकार या नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है यानि मानव को प्रकृति द्वारा ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिनको मानवाधिकार कहा जाता है। प्रत्येक नागरिक को इन्हें सुनिश्चित करना संबंधित सरकार का दायित्व है। मानवाधिकार इस सार्वभौमिक तथ्य कि मानव प्रकृति की नायाब कृति है को सच कहते हुए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जिस जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग का हो सम्मानजनक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। विश्व के सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों, जीवन मूल्यों और आदर्शों आदि का आधार भी यही है। आज का मानव जरूर अपने इन आदर्शों से दिग्भ्रमित हुआ है, कष्ट इस बात का है कि उसे अपने भुलावे का अहसास मात्र भी नहीं है। इसी का परिणाम है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति भयावह होती जा रही है। कहा भी गया है, ''मानव ही मानव का भक्षक है'' स्थिति पर अंकुश लगाने हेतु ही वर्तमान में मानवाधिकार संरक्षण की चर्चा वैश्विक रूप ले रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि मानवाधिकारों तथा उनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों पर सिलसिलेवार नजर डालें तो पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसंबर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रारंभ हुआ और तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों के सरंक्षण संबंधी विचार का उद्‌भव 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस के दिन हुआ। इसकी स्थापना से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को युद्ध, दुर्दशा, घृणा और वैमनस्य की काली घटा से दुनिया को उबरने की आशा भरी किरण दिखाई पड़ी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा जारी मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों और दुनिया के सभी लोगों से कहा गया कि वे घोषणा पत्र में चिंहित की गयी स्वतंत्रताओं और अधिकारों को प्रोत्साहित करें और उनकी प्रभावी मान्यता और अवलोकन सुनिश्चित करें।

मानवाधिकारों के इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों को 'मानवता के मैग्नाकार्टा' के रूप में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत घोषणा पत्र के 30 अनुच्छेद मानवाधिकारों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वर्गों में विभक्त कर रखे हैं। वैसे मानवाधिकार का संबंध मात्र मानवीय पक्ष की संवेदना, सहयोग

एवं वैचारिक आदान-प्रदान तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह किसी भी सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का व्याकरण होता है जिसके मूल में मानव गरिमा, न्याय, निष्पक्षता एवं शोषण रहित न्याय निहित होता है। मानवाधिकारों के अंतर्गत वे सभी अधिकार सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति को उसमें निहित मूल प्रवृतियों के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। यदि यह कहें कि इनका संबंध मानवीयता से है तो गलत न होगा। मानव को सुख व शांतिपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रखने के मकसद से ही मानवाधिकारों की संकल्पना की गयी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय विधेयक के अंतर्गत समानता, शिक्षा, धर्म, सामाजिक सुरक्षा, मानवीय व्यवहार, न्याय, आत्मनिर्णय का अधिकार, उपेक्षित वर्ग के लोगों के विशेष संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के अधिकार सम्मिलित हैं। 1989 में इसमें बच्चों एवं 1993 वियना और 1995 पेइचिंग में हुए सम्मेलनों के बाद महिलाओं के अधिकारों को भी शामिल किया गया। इनके द्वारा बच्चों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं (पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा) तथा महिलाओं को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने के अधिकार प्रदान किए गये।

नागरिक मानवाधिकार

जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति से संबंधित ऐसे अधिकार जो सभी व्यक्तियों और राष्ट्रों के जीवन के सभ्य तरीकों को बढ़ावा देने में सहायता करे हैं, सामाजिक व नागरिक मानवाधिकारों के रूप में जाने जाते हैं। मानवाधिकारों की घोषणा में उन नागरिक अधिकारों की घोषणा की गयी जिनके सभी मनुष्य मौलिक रूप से हकदार हैं।

राजनीतिक मानवाधिकार

राजनीतिक मानवाधिकार किसी भी लोकतंत्रात्मक समाज का आधार माने जाते हैं। इसलिए इसे मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में निश्चित स्थान प्रदान किया गया है जिन्हें राष्ट्रीयता एवं शरण पाने का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा व संघ गठित करने का अधिकार, सरकार में शामिल होने व सार्वजनिक आंदोलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार एवं विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल किया गया है।

सामाजिक एवं आर्थिक मानवाधिकार

मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 22 से 27 में वे आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए गये हैं जिनके सभी मनुष्य हकदार हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा, कार्य करने, आराम करने व अवकाश प्राप्त करने एवं स्वस्थ व सकुशल जीवन के लिए आवश्यक मानव जीवन स्तर बनाए रखने के अधिकार वर्णित हैं।

सांस्कृतिक मानवाधिकार

भिन्न देश के अलग-अलग लोगों में विविध प्रकार की संस्कृतियां, परंपराएं, रीति-रिवाज इत्यादि पाए जाते हैं। मानवाधिकार के रक्षणार्थ इन्हें संरक्षित करने का अधिकार सभी मानव को है।

इस चार्टर के लागू होने के 58 वर्ष बाद भी दुनिया के सभी देशों में कम या अधिक मानवाधिकारों का उल्लंघन निर्बाध रूप से जारी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौमिक घोषणा के लिए चुनौती है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद

अनुच्छेद-1- सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं। उन्हें बुद्धि और अंतश्चेतना प्रदान की गई है। उन्हें परस्पर मातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए।

अनुच्छेद-2 प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है। इसमें मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी देश या राज्य क्षेत्र की चाहे वह स्वाधीन हो, न्याय के अधीन हो, अस्वशासी हो या प्रभुता पर किसी मर्यादा के अधीन हो, राजनीतिक अधिकारिता विषयक या अंतरराष्ट्रीय प्रस्थिति के आधार पर उस देश या राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-3- प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद-4- किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नहीं रखा जायेगा सभी प्रकार की दासता और दास व्यापार प्रतिबिद्ध होगा।

अनुच्छेद-5- किसी भी व्यक्ति को यातना नहीं दी जायेगी या उसके साथ क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा या उसे ऐसा दंड नहीं दिया जायेगा।

अनुच्छेद-6- प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि से समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है।

अनुच्छेद-7- सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। सभी व्यक्ति इस घोषणा के अतिक्रमण में विभेद के विरुद्ध और ऐसे विभेद के उद्दीपन के विरुद्ध समान संरक्षण के हकदार हैं।

अनुच्छेद-8- प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समक्ष राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

अनुच्छेद-9- किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, विरुद्ध या निर्वासित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-10- प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और बाध्यताओं के और उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप के अवधारणा में पूर्णतया समाज रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

अनुच्छेद-11- i- ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दंडित अपराध का आरोप है यह अधिकार है कि उसे तब तक निरपराध माना जायेगा जब तक कि उसे लोक विचारण में, जिसमें उसे अपने प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक सभी गारंटियां प्राप्त हों विधि के अनुसार दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता।
ii- किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण जो किए जाने के समय राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन दांडिक अपराध

नहीं था, किसी दांडिक अपराध को दोषी निर्धारित नहीं किया जायेगा। उस शक्ति से अधिक शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी जो उस समय लागू थी जब अपराध किया गया था।

अनुच्छेद-12- किसी भी व्यक्ति की एकांतता, कुटुंब, घर या पत्र व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उसके सम्मान व ख्याति पर प्रहार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के विरुद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद-13-i- प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है।

अनुच्छेद-ii-प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को या किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद-14- i- प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण मांगने और लेने का अधिकार है।

ii- इस अधिकार का अवलंब अराजनैतिक अपराधों का संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रतिकूल कार्यो से वास्तविक रूप से उद्भूत अभियोजनाओं की दशा में नहीं लिया जा सकेगा।

अनुच्छेद-15-i- प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।

ii- किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से और न राष्ट्रीयता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा।

अनुच्छेद-16-i- व्यस्क पुरुषों और स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवाह करने और कुटुंब स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। वे विवाह के विषय में, विवाहित जीवनकाल में और उसके विघटन पर समान अधिकारों के हकदार हैं।

ii- विवाह के इच्छुक पक्षकरों को स्वतंत्र और पूर्ण सम्मति से ही विवाह किया जायेगा।

iii- कुटुंब समाज की नैसर्गिक और प्राथमिक सामाजिक इकाई है और इसे समाज एवं राज्य द्वारा संरक्षण का हकदार है।

अनुच्छेद-17-i- प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर संपत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है।

ii- किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-18- प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने धर्म या विश्वास को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से या अकेले शिक्षा, व्यवहार, पूजा और पालन में अपने धर्म और विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है।

अनुच्छेद-19- प्रत्येक व्यक्ति को अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत हस्तक्षेप के बिना अभिमत रखने और किसी भी संचार माध्यम से और सीमाओं का विचार किये बिना जानकारी मांगने, प्राप्त करने एवं देने की भी स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद-20-i- प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता है।

ii- किसी भी व्यक्ति को किसी संगम में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-21-i- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को सरकार में, सीधे या स्वतंत्रतापूर्वक चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।

ii- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देश की लोक सेवा में समान पहुंच का अधिकार है।

iii- लोकमत सरकार के प्राधिकार का आधार होगा इसकी अभिव्यक्ति सर्वाधिक और वास्तविक निर्वाचनों में होगी जो सार्वभौम और समाजन मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा समतुल्य स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया द्वारा किये जायेंगे।

अनुच्छेद-22 प्रत्येक व्यक्ति को समान के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के गठन और संसाधनों के अनुसार ऐसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है जो उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व के उन्मुक्त विकास के लिए अनिवार्य है।

अनुच्छेद-23-i- प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का, नियोजन के स्वतंत्र चयन का, कार्य की न्यायोचित और अनुकूल दशाओं का एवं बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है।

ii- प्रत्येक व्यक्ति को किसी विभेद के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।

iii- प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य करता है ऐसे न्यायोचित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है जिससे स्वयं उसका और उसके कुटुंब का मानव गरिमा के अनुरूप जीवन सुनिश्चित हो जाए और यदि आवश्यक हो तो सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसे अनुपूरित किया जाये।

iv- प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण के लिए ट्रेड यूनियन बनाने और उनमें सम्मिलित होने का अधिकार है।

अनुच्छेद-24- प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। जिसके अंतर्गत कार्य के घंटों की युक्तियुक्त सीमा और समय-समय पर वेतन सहित छुट्टियां भी हैं।

अनुच्छेद-25-i- प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो स्वयं उसके और उसके कुटुम्ब के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त है। जिसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, मकान और चिकित्सा तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएं भी हैं और बेरोजगारी, रुग्णता, असक्तता, वैधव्य, वृद्धावस्था या उसके नियंत्रण के बाहर परिस्थितयों में जीवन यापन के अभाव की दशा में सुरक्षा का अधिकार है।

ii- मातृत्व और बाल्यकाल विशेष देखभाल और सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चे चाहे उनका जन्म विवाहित या अविवाहित जीवनकाल में हुआ हो, समान सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करेंगे।

अनुच्छेद-26 i- प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा समान्यतः उपलब्ध करायी जाएगी और उच्च शिक्षा सभी व्यक्तियों को गुण-अवगुण के आधार पर समान रूप में प्राप्त होगी।

ii- शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के आदर की वृद्धि होगी। यह सभी राष्ट्रों, मूल वंश विषयक या धार्मिक समूहों के मध्य समझ, सहिष्णुता और मैत्री की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगी और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्य कलापों को अग्रसर करेगी।

ii- माता-पिता को यह चयन करने का पूर्ण अधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी।

अनुच्छेद-27-i- प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने और वैज्ञानिक प्रगति एवं उसके लाभांशों में हिस्सों को प्राप्त करने का अधिकार है।

ii- प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्मित वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति के परिणामस्वरूप होने वाले नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद-28- प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद-29-i- प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्णविकास संभव है।

ii- प्रत्येक व्यक्ति पर अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में वहीं मर्यादाएं लगाई जायेंगी जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की संयक् मान्यता और सम्मान सुनिश्चित करने और प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिकता लोक व्यवस्था और साधारण कल्याण की न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए विधि द्वारा अवधारित की गयी है।

iii- किसी भी दशा में इन अधिकारों, स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रयोग नहीं किया जायगा।

अनुच्छेद-30- इस घोषणा की किसी बात का यह निवर्चन नहीं किया जाएगा कि उसमें किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिए कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसी कार्य करने का अधिकार सम्मिलित है जिसका लक्ष्य इसमें उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करना है।

यदि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा पत्र का सभी राष्ट्र व प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण आत्मीय निष्ठा के साथ पालन करें तो भारतीय ''वसुधैव कुटुंबकम'' की भावना संपूर्ण विश्व में साकार हो और व्याप्त वैमनस्य, रंगभेद, क्षेत्रवाद व आतंकवाद समूल नष्ट हो जाए और विश्व एक आदर्श समाज में तब्दील हो जायेगा।

भारत में मानवाधिकार

मानवाधिकार मानवीय संवेदनाओं को प्रतिबिंबित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर 1948 में भारत में हस्ताक्षर किए हालांकि उन दिनों भारत एक संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा था। तथापित मानवोचित अधिकारों के संरक्षण के प्रति तत्कालीन सरकार ही नहीं संविधान निर्माता भी सजग थे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा से बहुत साम्य रखती है। भारतीय संविधान में सामान्य तथा राजनैतिक अधिकारों को न केवल संरक्षण दिया गया है बल्कि इन्हें पर्याप्त सम्मान भी दिया गया है। संचरण की स्वतंत्रता, निवास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के विभिन्न खंडों में मान्यता दी गयी है। प्राण और दैहिक सुरक्षा का अधिकार, न्याय के समक्ष समानता का अधिकार को अनुच्देद-21 तथा अनुच्देद-14 द्वारा प्रत्याभूत किया गया है। अपराध की दोष सिद्ध के विषय में संरक्षणपराध की दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण (अनुच्छेद-20) अंत:करण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-25) धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-26) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद-23) बाल श्रम का निषेध (अनुच्छेद-24) आदि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के समतुल्य है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-23 तथा अनुच्छेद-226 द्वारा विभिन्न नागरिकों एवं मानवीय अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रबंध भी किया गया है। इन अनुच्छेदों में दिए गये प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर सर्वोच्च न्यायलय अथवा उच्च न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध उत्प्रेषण अथवा अधिकार पृच्छा रिट जारी कर सकता है। कुल मिलाकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वस्थ व सम्यक समाज निर्माण हेतु जनता के मानवाधिकारों को संविधान में पूर्ण तवज्जो दिया जो मानवाधिकारों को अक्षुण रखने में सहायक है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षणार्थ सितंबर-1993 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इस अध्यादेश के बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1994 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में मानवाधिकार आयोग तथा जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 में सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी निर्देश है। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा दो सदस्य मानवाधिकार से संबंधित विषय के विशेषज्ञ होते हैं।

राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के हनन मामले जिस प्रकार बदस्तूर जारी हैं उससे संयुक्त राष्ट्र व उसके मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा पत्र दोनों के क्रियाकलापों पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। आतंकवाद का वैश्वीकरण हो या इजराइल का फिलिस्तीन व लेबनान पर कहर, मानवाधिकार हनन की श्रेणी से अलग नहीं। ऐसे में संपूर्ण विश्व को पुन: मानवाधिकार के औचित्य पर मिल बैठकर बहस करनी होगी शायद तभी पूरे विश्व में शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल बन पाए। ⌘

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग से संबद्ध है)

मानवीय मूल्यों का संरक्षक

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

सुरेश लाल श्रीवास्तव

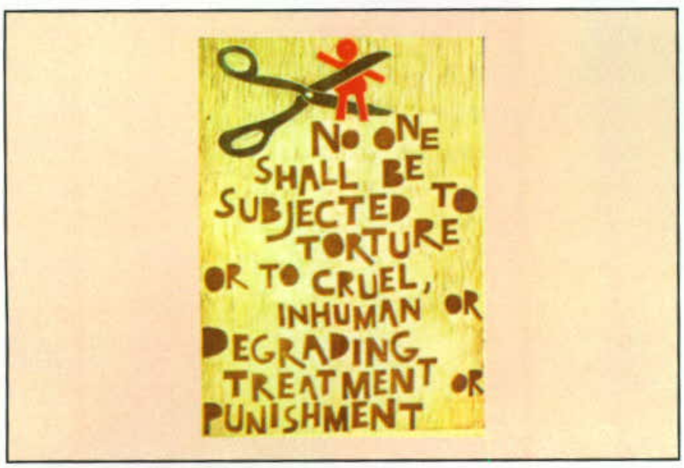

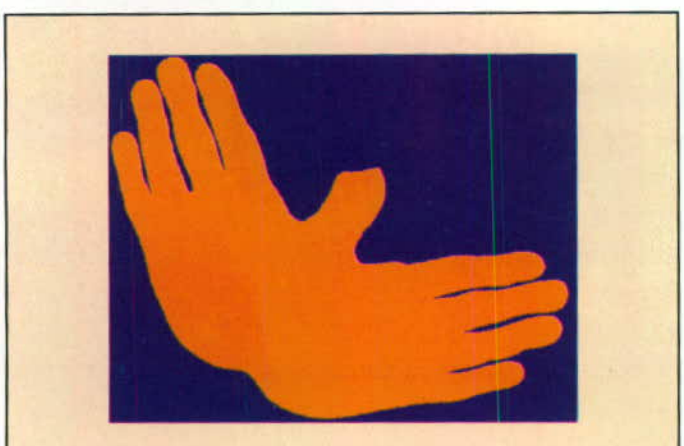

मानव कल्याण के विश्व दृष्टिकोण का विकास प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से सर्वाधिक रहा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' जैसे विश्व मानवतावादी विचारधाराओं का प्रादुर्भाव सबसे पहले भारत में हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास का केंद्रीय आधार है। इन्हीं जीवन मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (यू.डी.एच.आर.) को अपनाया गया। यह मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्माण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मिसाल हैं। इसी के बाद मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बन गया है। विश्व मानवता के संरक्षक एवं संवंधक मानव अधिकारों को विश्व स्तर पर नियंत्रित करने तथा उनके विकास के प्रयास को गति देने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) द्वारा किया गया। कमजोर व्यक्तियों, समूहों के मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा अमानुषिक कृत्यों को रोकने हेतु ही संयुक्त राष्ट्र संघ तथा कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की देख-रेख में अनेक अभिसमय अपनाये गये।

लोकतंत्र शासन प्रणाली अधीन भारत के लिए यह खुशी की बात है कि वह मानव अधिकार अभिसमयों का पक्षकार बना है। देश द्वारा जिन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों को अपनाया गया वे ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वरूप सिद्ध हुए। ये अभिसमय (कानून) हैं-

- सभी प्रकार के भेद-भाव की समाप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (1966), भारत ने इसका अनुसमर्थन 03 सितंबर 1968 को किया।
- रंग-भेद के अपराध को दबाने एंव दंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (1973), पर भारत द्वारा 22 दिसंबर 1977 को अनुसमर्थन किया गया था। इसके अतिरिक्त खेलों में रंग-भेद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (1985) का अनुसमर्थन 12 सितंबर 1990 को किया गया।
- सामूहिक नरसंहार के अपराध के निवारण एवं दंड पर अभिसमय (1951) का अनुसमर्थन 27 अगस्त 1959 को किया गया।
- शिशु अधिकार अभिसमय (1989) का अनुसमर्थन भारत ने 11 दिसंबर 1992 को किया।
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय (1979) का अनुसमर्थन 09 जुलाई 1993 को किया गया। महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों का अभिसमय (1952) का अनुसमर्थन 02 नवंबर 1961 को किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय दास अभिसमय (1926) को संशोधित करने संबंधी नयाचार का अनुसमर्थन 12 मार्च 1954 को किया गया तथा दासता, दास-व्यापार एवं दासता के समान संस्थाओं के उन्मूलन हेतु पूरक अभिसमय का अनुसमर्थन 23 जून 1960 को किया गया।
- व्यक्तियों के दुर्व्यापार को दबाने और अन्यों के प्रतिबंध के शोषण पर अभिसमय (1972) का अनुसमर्थन 09 जनवरी 1953 को ही किया गया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यातना एवं अन्य क्रूर या अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड के विरुद्ध अभिसमय पर भारत द्वारा 14 अक्टूबर 1997 को हस्ताक्षर किया गया था, फिर भी इसका अनुसमर्थन इसके द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 1995-96 तथा 1996-97 के वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश करने के बावजूद भी नहीं किया गया।

भारत की मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति तत्परता इसी बात से स्पष्ट है कि उसने विश्व मानव अधिकार के अधिकांश अभिसमयों को अपनाया, साथ ही उसके सुझावों पर अमल करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 27 सितंबर 1993 को उस समय की गयी जब भारत के राष्ट्रपति ने आयोग की स्थापना के लिए एक अध्यादेश पारित किया। राज्य स्तर पर भी आयोग गठन के लिए प्रावधान उसी अध्यादेश में किया गया था। इसी क्रम में 18 दिसंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 08 जनवरी 1994 को उक्त विधेयक एक अधिनियम बन गया, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से माना जाता है।

अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 70 वर्ष की आयु तक आयोग की सेवा कर सकते हैं, किन्तु उसका कार्यकाल 05 वर्ष का होगा। वे दूसरे कार्यकाल या दूसरी पदावधि के लिए पुन: नियुक्ति के लिए भी अर्ह होंगे। नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 08 सदस्यों का प्रावधान है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 06 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवामुक्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्य-उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवामुक्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवामुक्त मुख्य न्यायाधीश, मानव अधिकार के क्षेत्र में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो प्रसिद्ध व्यक्ति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग का एक महासचिव भी होगा, जो उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। सम्प्रति राष्ट्रपति मानव अधिकारी आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. आदर्श सेन आनंद है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अधिकारिता शक्ति एवं कार्य

देश में होने वाले मानव अधिकार के उल्लंघन पर नज़र रखने और उन पर विचार करने हेतु ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गयी है। यह आयोग एक स्वायत्त संस्था है, जिसे अपने आप या किसी पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति की तरफ से दायर मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी याचिका पर विचार करने का अधिकार है। यह अदालत की अनुमति से वहां लंबित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आयोग जेल या अन्य संस्थाओं में रह रहे बंदियों की स्थिति पर विचार करने और सुधार करने के लिए किसी भी राज्य सरकार की नियंत्रण वाली किसी भी संस्था या जेल का दौरा कर सकता है, जहां व्यक्ति को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए रख गया है। आयोग मानव अधिकार के संरक्षण हेतु संविधान के सुरक्षा प्रावधानों की समीक्षा कर सकता है।

अधिनियम के तहत् मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय आयोग के पास दीवानी अदालत के सभी अधिकार होते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की तहकीकात करने के लिए आयोग के पास अधिकारी होते हैं, साथ ही इस संदर्भ में वह केंद्र अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी की सेवा प्राप्त कर सकता है।

शिकायत निपटारा के लिए प्रक्रिया

मानव अधिकारों के निम्नलिखित उल्लंघन से निपटने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विनियमन 1994 के विनियमन 08 में निम्न प्रक्रियाएं है-

- सभी शिकायतों को वह जिस किसी भी रूप में कमीशन को प्राप्त हों पंजीकृत कर उन्हें ग्रहण हेतु एक संख्या (पंजीकृत संख्या) दी जायेगी तथा उन्हें प्राप्ति के दो सप्ताह के पूर्व दो सदस्यों की पीठ के सम्मुख ग्रहण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। साधारण रूप से निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतें कमीशन (आयोग) द्वारा ग्राह्य नहीं होते हैं-
  (क) ऐसी घटनाएं जो शिकायत करने के एक वर्ष पूर्व घटी थी। (ख) ऐसे मामले जो न्यायाधीन या निर्णयाधीन हों। (ग) जो अस्पष्ट, अनाम या मिथ्या नाम से हों। (घ) जो बहुत साधारण या तुच्छ प्रकृति की हों। (ङ) जो आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर की हों।
- शिकायतों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
- आयोग सभी भाषाओं (संविधान की 08वीं अनुसूची में दर्ज) में शिकायत स्वीकार करेगा।
- आयोग अपनी विवेकानुसार तार या फैक्स अथवा ई-मेल द्वारा भेजी गयी शिकायत भी स्वीकार कर सकता है।
- आयोग को प्रारंभ में ही किसी शिकायत को खारिज़ करने की शक्ति प्राप्त है।
- शिकायत स्वीकार होने पर अध्यक्ष/आयोग यह निर्देश देगा कि मामले की जांच या खोज-बीन होनी चाहिए या नहीं।

कहां दर्ज करायें शिकायत

एक प्रपत्र के अनुसार आयोग सभी सम्बद्ध व्यक्तियों एवं लोगों को अवगत करा चुका है कि- मानव अधिकार से जुड़ी शिकायतें सीधे आयोग के अध्यक्ष के पास सामान्य पत्र के रूप में भेजी जा सकती है। संविधान के 08वीं अनुसूची में दर्ज किसी भी भाषा में शिकायत लिखकर उसे हाथों-हाथ या डाक, फैक्स, ई-मेल द्वारा जमा किया जा सकता है। आयोग द्वारा जनता को यह सलाह दी गयी है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत दर्ज करते समय किसी भी प्रकार के भुगतान की जरूरत नहीं है, साथ ही जनता को गुमराह करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग से निम्न पते पर पत्राचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110 001 (वेबसाइट: www.nhrc.nic.in) ⌘

(लेखक रा.बा. इंटर कालेज जलालपुर, अम्बेडकर नगर से संबद्ध हैं)

मानवाधिकारों की रक्षा

मनोहर पुरी

किसी भी सभ्य समाज में रहने वाले व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि उसके प्राण, स्वतंत्रता और समता तथा गरिमा को अक्षुण रखा जाए। इन्हीं से जुड़े अधिकारों को मानवाधिकार कहा गया है।

मानवाधिकार और उनकी रक्षा एक सार्वभौमिक तथ्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण व उनके प्रति आदर व चिंता आज के समय की मांग है। इन अधिकारों की रक्षा की एकमात्र गारंटी परस्पर सद्भाव ही है। जहां यह सद्भाव नहीं रहता तथा समाज में रहने वाले लोग और वर्ग एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता का व्यवहार करने लगते हैं वहीं पर सरकारों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। यह हस्तक्षेप आमतौर पर पुलिस बल के रूप में सामने आता है। इसलिए पुलिस का यह पहला कर्तव्य होता है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करे। इसके लिए समाज, राजनेता व सरकार का भी यह दायित्व है कि वह पुलिस बलों का मनोबल बनाए रखने में सहायक हों।

मानवाधिकार का सबसे बड़ा शत्रु आतंकवाद है। मानवाधिकारों के प्रति किसी भी व्यक्ति की उदासीनता का सबसे मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। सरकार के लाख प्रयास करने के बाद भी देश में शिक्षा के स्तर में कोई उल्लेखनीय सुधार नही हुआ। भारतवर्ष में सरकार ने नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया हुआ है। स्कूलों में दोपहर का भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है इसके बावजूद बच्चों को विद्यालय तक ला पाना एक कठिन कार्य है। दंड की व्यवस्था होने के बावजूद मां-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। स्कूल जाने वाले बच्चों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत पांचवी कक्षा के बाद पढ़ाई को जारी नहीं रखता। इस प्रकार देश के अधिकांश लोग अपने अधिकारों के विषय में बहुत कुछ जानते ही नहीं। यदि उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं होगा तो वे किस प्रकार उनके हनन का विरोध करेंगे। यहां हम उन मानवीय अधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं जो आमतौर पर सरकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के कारण तोड़े जाते हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभ्य समाज में कहीं न कहीं आवाज उठाई जाती है परंतु जब ऐसे अधिकार आतंकवादियों द्वारा रौंदे जाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं हमारी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कोई कमी है।

विश्व के प्रत्येक देश में मानवाधिकारों का हनन प्रतिदिन होता है। जो देश 'मानवाधिकारों की घोषणा' के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं वे भी मानवाधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करने में असफल रहते हैं क्योंकि किसी न किसी कारण से उन देशों की सरकारें इसके लिए स्वयं को असक्षम पाती हैं। इसके अतिरिक्त लाख प्रयासों के बावजूद विश्व भर में

आतंकवादी गतिविधियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अन्य देशों की ही भांति भारत की स्थिति भी ऐसी ही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज मानव का मानव पर से विश्वास उठता जा रहा है। परस्पर सद्भाव और सहिष्णुता समाप्त होती जा रही है। व्यक्तिगत स्वार्थ पूरी तरह से हावी होने लगे हैं। ऐसी स्थितियों पर निरंतर दृष्टि रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर भी मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई है।

मानवाधिकार आयोग को आम आदमी की अंतिम आस्था के रूप में देखा जाने लगा है। इसकी बढ़ती आस्था को ही सरकारें अपने विरुद्ध मानती हैं। सरकारी उपेक्षा का यही मुख्य कारण भी है। भारत में जब मानवाधिकारों के हनन की निरंतर बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने में सरकार को कठिनाई आने लगी तब सन 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। दुनिया के दूसरे देशों की ही भांति भारतवर्ष में भी मानवाधिकार हनन के अधिकांश मामले पुलिस से संबंधित होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 1861 का पुलिस कानून लागू है। यह जान कर आश्चर्य होता है कि आजादी मिलने के बाद की साठ वर्ष की अवधि में हमने इस विषय में गंभीरता से सोचा ही नहीं बल्कि न्यायालयों द्वारा कहने के बावजूद इस पुराने पड़ चुके कानून में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया।

ज्ञातव्य है कि 1861 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उनकी पृष्ठभूमि में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे अंग्रेजों ने गदर अथवा सैनिक विद्रोह कह कर बदनाम किया था। उस समय पुलिस को ऐसे तत्वों के दमन के लिए तैयार किया जाना था जो ब्रिटिश राज के विरोध में जरा भी सिर उठाएं। पुलिस को मुख्य रूप से दमन, उत्पीड़न और अत्याचार करने का दायित्व सौंपा गया था। उस समय भारत में किसी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। पराधीन देश के लोगों को काबू में रखने के लिए पुलिस को निरंकुश शक्तियां प्रदान की गई थीं। पुलिस अपने अफसरों के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थी।

आज भी पुलिस बलों में सामाजिक वास्तविकता और लोकतांत्रिक अधिकारों को आवश्यकता के प्रति कोई जागरूकता दृष्टिगोचर नहीं होती जबकि आज स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। आज हम गणतंत्रीय व्यवस्था में शासित एक कल्याणकारी राष्ट्र के निवासी हैं। पुलिस जनता की स्वामी न होकर उनकी सेवा और उनके कल्याण के लिए बनाई गई है। ऐसी स्थिति में पुलिस का संचालन 1861 के कानून के आधार पर होना और उसे असीम निरंकुश शक्तियां प्रदान करना कतई उचित नहीं है। अनेक वर्षों से विभिन्न संगठनों द्वारा इस कानून को बदलने की मांग की जाती है। बार-बार पुलिस द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकारों के हनन के मामले न्यायालयों के सम्मुख लाए जाते रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में बार-बार टीका-टिप्पणियां की हैं परन्तु किसी भी दल की सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। न्यायालयों ने कई बार कहा है कि पुलिस जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। जनता को पुलिस का कल्याणकारी चेहरा दिखाई देना चाहिए न कि अत्याचारी और दमनकर्ता का। इस संदर्भ में सोली सोराबजी की अध्यक्षता में पुलिस कानून में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वैसे 1979 से इस कार्य के लिए समितियां बनती रही हैं। पहले की कमेटियों के सुझावों पर हमेशा से धूल जमती रही है। इस बार भी ऐसा ही न हो इसके लिए आवश्यक है कि जनता इस दिशा में सक्रिय हो और मीडिया भी लोगों को जागने में अपना योगदान दे ताकि लोगों के मानवाधिकारों की ठीक ढंग से रक्षा हो सके।

आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि पुलिस संवेदनशील स्थितियों से निपट पाने में असफल रहती है। यदि पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए तो वह सामाजिक न्याय दिलाने वाली एक सकारात्मक शक्ति के रूप में सामने आ सकती है। भारत में संविधानेत्तर शक्तियां पुलिस के मनोबल को प्रभावित करती हैं। लोग पुलिस को अच्छी नजरों से नहीं देखते। जब कभी पुलिस कोई उल्लेखनीय काम करती है तब भी उस की प्रशंसा नहीं की जाती जो कि पुलिस के प्रति अन्याय ही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बहुत से देशों की पुलिस मानवाधिकारों के प्रति सजग होती जा रही है। इस संदर्भ में पूर्व युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मेसोडोनिया की पुलिस के पद्चिन्हों का अनुसरण करके किसी भी देश की पुलिस अपनी छवि उज्ज्वल कर सकती है। इस देश के पुलिसकर्मियों को यह संकल्प करना होता है कि, 'मैं कानून का परिपालन मानवता व मानवीय गरिमाओं के अनुरूप करवाऊंगा। किसी प्रकार के भय, भ्रष्टाचार एवं बदनियती को इसमें आड़े नहीं आने दूंगा। मैं अपने कर्त्तव्य पालन में अनावश्यक बल प्रयोग व हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा।''

समय-समय पर भारत विश्व के सभी देशों को यह कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से एकजुट होकर टक्कर लेनी चाहिए। निस्संदेह भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित रहा है और जब तक अमरीका में 11 सितंबर 2001 की घटना नहीं हुई तब तक किसी पश्चिमी देश ने उसकी इस चिंता को गंभीरता से नहीं लिया। आज जब पश्चिमी देशों में आतंकवादियों द्वारा मानवाधिकारों को बड़ी संख्या में रौंदा जाने लगा है तब उनकी नींद खुली है और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करने की बातें की जाने लगी हैं। इससे पहले अनेक देशों के शासकों ने भी मनमाने ढंग से मानवीय अधिकारों की धज्जियां उडाई हैं। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार के आतंकवाद से केवल जम्मू-कश्मीर में ही सत्तर अस्सी हजार से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। भारत ने हर अवसर पर लोकतंत्र, विकास तथा मानवाधिकारों को समान तथा सभांवित रूप से प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया है। क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र तथा समान विकास से ही मानवाधिकारों का पूरी तरह से संरक्षण संभव है। भारत ने समय-समय पर इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि क्यों निर्दोष स्त्री, पुरुष तथा बच्चों की हत्याओं को कुछ लोग स्वतंत्रता संघर्ष का नाम देते हुए उचित ठहराते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कुछ लोग ही नहीं कुछ देश भी ऐसे हैं जो ऐसे दावों का समर्थन करने लगते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद के विरुद्ध डट कर लड़ाई लड़ी जाए।

इतना ही नहीं मानवाधिकारों का हनन राजनैतिक कारणों के अतिरिक्त धार्मिक मुद्दों पर भी किया जाता है। धर्म जो सबको सहिष्णुता सिखाता है, उसी के नाम पर धार्मिक कट्टरता मानवाधिकारों के हनन का कारण बनती है और निर्दोष लोग उसके शिकार बनते हैं। इस कट्टरपन के कारण ही समूची पीढ़ी को सामान्य जीवन, शांतिपूर्ण विकास तथा आर्थिक विकास के जन्मजात अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

मानवाधिकारों के साथ भारत का सरोकार बहुत प्राचीन काल से है। 'वसुधैव कुटुंबकम' के अराधक है। हमने विश्व को 'जिओ और जीने दो' का आदर्श दिया है। हमारे भारतीय समाज की परस्पर सद्भाव व सहिष्णुता की प्राचीन परंपरा रही है। आज विकसित देश भारत को मानवाधिकारों की रक्षा करने का पाठ पढ़ाने की बात करके अपने आपको एक हास्यास्पद स्थिति में डाल लेते हैं। वास्तव में कुछ देश मानवाधिकारों के नाम पर दूसरे देशों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बहुत निंदनीय है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के भी विरुद्ध है। भारत ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि आतंकवादियों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जाल को छिन्न-भिन्न कर दिया जाए। क्योंकि यह आतंकवादी लोकतांत्रिक समाज के खुलेपन का सहारा ले कर नए-नए क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां के स्थानीय लोगों के मानवाधिकारों का हनन करते हैं।

आज दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के हो रहे अवैध व्यापार को रोकने के लिए मानवाधिकार संगठनों के प्रयासों को महत्व देना बहुत आवश्यक है। समय-समय पर शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने के विषय में विश्वस्तरीय वार्ताओं के अपेक्षित परिणाम नही निकले हैं। आज भी अनेक ऐसे देश हैं जहां मानवाधिकारों के हनन के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती। कितने ही देश हैं जहां लाखों लोग बिना मुकदमों के ही जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। अनेक देशों में सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन एक वास्तविकता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बार-बार इस ओर विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। रूस, अमरीका, चीन, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत जैसे महत्वपूर्ण देशों में आज तक फांसी की सजा को समाप्त नहीं किया गया। जबकि विश्व के अधिकांश देशों ने इसे समाप्त कर दिया है।

मानवाधिकार हनन की सबसे अधिक शिकायतें जेलों से प्राप्त होती हैं। समय-समय पर मानवाधिकार हनन के मामले एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं द्वारा प्रकाश में लाए जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत वर्ष में प्रतिदिन 4-5 लोग पुलिस हिरासत में ही दम तोड़ देते हैं। भारत ही नहीं विश्व के प्रायः हर देश में मानवाधिकारों का खुले आम हनन होता है। विकसित देशों सहित समूचे विश्व में मानवाधिकारों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। तीसरी दुनिया के देशों में स्थिति बहुत ही भयावह है। यहां पर हर कदम पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसका मुख्य कारण है सत्ता के प्रति बढ़ता लोभ, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक मान्यताओं की रूढ़िवादिता। मानवाधिकारों का सर्वाधिक हनन उन देशों में होता है जहां की सरकारें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढोल दिन-रात पीटा करती हैं। ऐसी सरकारें अपने देश में कार्यरत मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मानवाधिकार आयोग के पर कतरने का प्रयास निरंतर करती रहती हैं।

जितने अधिक मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं उतना अधिक ही मानवाधिकारों की रक्षा का कार्य करने वाले आयोगों अथवा संस्थानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। दुनिया के अधिकतर देशों की सरकारें ऐसे आयोगों को झूठा अथवा निरर्थक सिद्ध करने में जुटी रहती हैं। वास्तव में मानवाधिकार आयोग ऐसी सरकारों का अमानवीय चेहरा पूरे विश्व को दिखा कर उनको न केवल बेनकाब करता है बल्कि उन पर अंकुश लगाने का काम भी करता है। यह बात प्रत्येक सरकार को आपत्तिजनक लगती है। सरकारें ही क्यों यदि उग्रवादी संगठनों की अमानवीय कारगुजारियों के संबंध में कुछ सच्चे तथ्य जनता के सामने लाए जाते हैं तो वे तत्व और अधिक उग्र एवं अत्याचारी होने लगते हैं। ऐसी सरकारें इन आयोगों को किसी न किसी प्रकार से बंद करने के प्रयास में लगी रहती हैं और उनके विरोध में झूठा प्रचार करने लगती हैं। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि विश्व में लगातार बढ़ रही हिंसा और दमनकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार आयोग को मजबूत करना चाहिए और इसे पूरी तरह से सक्रिय करने में सहायता देनी चाहिए। समस्त जटिलताओं और अंतर्विरोधों के बावजूद मानवाधिकार आयोग के महत्व का अनुमान इसी एक बात से लगाया जा सकता है कि इसे किसी देश के सभ्य और सुसंस्कृत होने की कसौटी माना जाता है। आयोग मानव को सर्वप्रथम मानव मान कर उसे अधिकारों रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है।

विश्व के अधिकांश देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति अधिक शोचनीय है। जहां तक भारत का प्रश्न है यहां पर अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव कर पाना आसान नहीं है। यहां पर अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए जागरूक है। इस संबंध में उठाए गए किसी भी गलत कदम के विरुद्ध वह तत्काल कार्रवाई करता है। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रणाली बहुत सुदृढ़ है। वैसे भी भारत 'मानवाधिकारों की विश्व घोषणा' के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध है। हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने भारत के बहुधर्मी तथा बहुलवादी समाज को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे संविधान की रचना की थी जिसमें देश के सभी नागरिकों के समान अधिकारों की रक्षा हो सके।

संक्षेप में मानवाधिकारों के हनन के मामलों को मुख्य रूप से सहिष्णुता की संस्कृति को विकसित कर के रोका जा सकता है और यह शिक्षा के प्रसार से ही संभव है। इसी के साथ विभिन्न कानून परिपालन करवाने वाली संस्थाओं जिनमें पुलिस भी सम्मिलित है, को भी इस विषय में शिक्षित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। विश्व में कहीं भी मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा यह एक ऐसी आदर्श स्थिति है जिसे प्राप्त करना संभव नहीं लगता परंतु इससे हताश होने की अपेक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब को मिल कर प्रयास करने ही चाहिए। ⌘

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

सरदार वल्लभभाई पटेल
(31 अक्तूबर, 1875 – 15 दिसम्बर, 1950)

"हमारा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि एक-दूसरे के विचारों को समझें और ऐसे फैसले करें जो सर्वमान्य हों तथा जिनसे हमारे देश का कल्याण हो।"

- सरदार वल्लभभाई पटेल

राष्ट्र, महान नेता को उनकी 131वीं वर्षगांठ पर श्रद्धासुमन अर्पित करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

davp 2006/817

KH-12/06/04

मानवाधिकार और ग्रामीण जनता

मनोज कांत उपाध्याय

मानवाधिकारों के संरक्षण और इसके उचित क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (3) में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। आयोग द्वारा बनाये गये अधिनियम की धारा (12) में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें, मानवाधिकारों का उल्लंघन किये जाने पर पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर जांच किया जाना, संबंधित किसी न्यायालय में लंबित मामले में हस्तक्षेप करना, राज्य सरकार को सूचित करते हुए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल, अथवा संस्था का निरीक्षण करना, राज्य सरकार को सूचित करते हुए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल, अथवा संस्था का निरीक्षण करना, जिसमें व्यक्तियों को चिकित्सा सुधार अथवा संरक्षण के प्रयोजन के लिए निरूद्ध किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों की जीवन-दशाओं का अध्ययन करना, संविधान में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए किये गये प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा करना, और आवश्यकता पड़ने पर उपयोगी सुझाव देना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित करना, समाज के विभिन्न वर्गों को मानवाधिकारों से अवगत कराना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनारों के माध्यम से जनचेतना पैदा करना और जनमानस को उनके अधिकारों को बताना है।

इसके अतिरिक्त आयोग का यह नैतिक दायित्व होगा कि मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों को संरक्षण प्रदान करना एवं मानवाधिकारों की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाना भी आयोग के मुख्य कार्यों में शामिल है।

मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय को वे संपूर्ण शक्तियां दी गई हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी भी मामले का निस्तारण करने वाले अन्य न्यायालय को प्राप्त है। आयोग को अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत मानवाधिकारों से संबंधित किसी भी शिकायत पर केंद्र, राज्य किसी भी संगठन या प्राधिकारी से रिपोर्ट मांगने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। जो कि समय-समय पर आयोग करता भी है। आयोग की ये शक्तियां मानवाधिकार आयोग को पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाती हैं। और यही वह मार्ग है जिससे राष्ट्रीय हितों के साथ में जनमानस का हित भी सुरक्षित रखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि आयोग के बारे में ग्रमीण क्षेत्रों की जनता आज भी अनभिज्ञ हैं उसे आयोग द्वारा जनहित के लिए बनाये गये नियमों की जानकारी भी नहीं है। परिणाम यह हो रहा है कि आज भी लोगों के अधिकारों का हनन

हो रहा है। ऐसा वहीं लोग कर रहे हैं जिन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि ऐसा करना गलत है। बात चाहे कारखानों की हो, शिक्षण संस्थाओं की हो, नौकरशाहों द्वारा सामान्य जनमानस के खिलाफ गैर-कानूनी कदम उठाने की बात हो या महिलाओं, बच्चों के शोषण का प्रश्न हो, प्रत्येक जगह मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यद्यपि यदि ऐसे मामले आयोग के समक्ष ले जाये जाएं तो निश्चित रूप से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलेगी और आयोग अपने अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे मामलों को रोक सकता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन को आयोग गंभीरता से लेता है, इसका कारण यह है कि आयोग का लक्ष्य दोषी व्यक्तियों को दंडित करना ही नहीं होता बल्कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करना भी होता है। इन्हीं कार्यों की सुनवाई करने के लिए अधिनियम की धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐसे न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कर सकती है। ऐसा करना के पीछे सरकार की यह मंशा होगी कि सामान्य जनमानस के अधिकारों का हनन होने पर ये न्यायालय त्वरित गति से मामले को निराकरण करके पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुंचाए जो कि वर्तमान परिवेश में व्यवहारिकता से परे नजर आता है।

मानवाधिकार आयोग व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राहत प्रदान करता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 21 व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और मानवाधिकार आयोग इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है कि संविधान में व्यक्ति की उन्नति प्रदान करने वाले अनुच्छेदों एवं नियमों को किसी भी स्थिति से नजरअंदाज न किया जाए। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि संविधान एवं मानवाधिकार का एक दूसरे से गहरा लगाव है। दोनों ही उन्नति का अवसर प्रदान करते हैं और पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत प्रदान करते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि गरीब एवं असहाय जनता को इन कानूनों की जानकारी देने वाला कोई नहीं है। सर्वत्र भ्रष्टाचार एवं लूट-खसोट का आलम व्याप्त है। जिसका शिकार गांवों में बसने वाला ही यदि कोई व्यक्ति इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ उठने की कोशिश भी करता है तो अपनी बात कहने से पहले उसे इतने साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं कि वह सत्य को कहने का साहस ही नहीं कर सकता। अभी हाल ही में बिहार में हुई सत्येंद्र दूबे की हत्या ने यह सिद्ध कर दिया के संपूर्ण व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, अंतोतगत्वा उसे भ्रष्टाचारी निगल ही जाते हैं। सत्य कहने के लिए मृत्यु का वरण करना कोई गलत कदम नहीं है लेकिन क्या संपूर्ण राष्ट्र की बागडोर अपराधियों एवं गुंडों के हाथ में ही रहेगी? क्या उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवक जो कठोर परिश्रम और संघर्ष के बाद महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं, इसी तरह से अपराधियों की गोली का शिकार बनेंगे? और यदि स्थिति यही रही तो आने वाले दिनों में पूरे राष्ट्र को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मानवाधिकार जैसे संगठनों का निर्माण व्यक्ति के जीवन को सामान्य ढंग से जीने के लिए बनाया गया है। न कि ऐसे अपराधियों के लिए जो कि संविधान की अवहेलना करते हैं। ये चिन्ता का विषय है कि मानवाधिकार वर्तमान समय में संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे राष्ट्र में हत्या जैसी निंदनीय घटनायें हो रही हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पूर्ण राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है। उनका संबंध बड़े-बड़े राजनेताओं से होता है। ऐसे समय में निश्चित रूप से मानवाधिकार आयोग के समक्ष कठिनाईयां भी हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना गलत न होगा की आयोग के ऊपर भी संकट है। जम्मू-कश्मीर में अभी कुछ महिनों पहले कश्मीरी पंडितों की हत्या, जम्मू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर हमला, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के समक्ष भयंकर रक्तपात और आतंकवादियों द्वारा एक के बाद एक होने वाली घटनाएं पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बनी है। यह भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कौन कहां और कब इस आतंकवादियों की गिरफ्त में आ जायेगा? जिनसे आये दिन भारतीय सेना मुकाबला कर रही है और न जाने कितने भारतीय सपूतों को आतंकवादियों की गोलियां खानी पड़ रही हैं। अभी हाल में ही भारतीय संसद के ऊपर होने वाले हमले राष्ट्रकी सुरक्षा को चुनौती देने की एक नाकामयाब सोच थी। जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में बेगुनाह सेना के जवानों व नागरिकों की मौत और अकारण जम्मू-कश्मीर की जनता को गोलियों से भूनने की निंदनीय करतूतों से जहां संपूर्ण राष्ट्र जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में जबकि ऐसे जगहों पर मानवाधिकार आयोग अपने कर्तव्यों को निर्वहन सक्षम तरीके से नहीं कर पा रहा है, राष्ट्र की प्रगति के लिए यह शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्र के अंदर और बाहर व्यक्तियों के अधिकारों का हनन जारी है।

ऐसी स्थिति में जबकि हम सभी दिन-प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हों, अपने ही राष्ट्र में अपने ही लोगों के अधिकारों का हनन करना मानवीयता के बिल्कुल ही खिलाफ है। राष्ट्रीय प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करना होगा। भारत तो गांवों का देश है। राष्ट्र की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उनके अधिकारों से परिचित करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें न्याय दिलाना समय की मांग है। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के अधिकारों से परिचित करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें न्याय दिलाना समय की मांग है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के अधिकारों से खिलवाड़ करें, उसे सजा मिलनी ही चाहिए जिससे समाज में किसी भी तरह का गलत संदेश न जाए। ऐसा करने पर ही मानवाधिकार आयोग अपने सीमित संसाधनों द्वारा सबके अधिकारों का संरक्षण कर सकेगा। लोगों को जानकारी देने का पुनीत कार्य प्रेस एवं प्रबुद्ध समाज कर सकता है। किसी भी कानून की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकी इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। गांव हमारी संस्कृति के परिचायक है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को मानवाधिकार आयोग जैसे संगठनों की जानकारी देना एक सार्थक कदम सिद्ध हो सकता है। ⌘

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता एड्स का प्रकोप मानवाधिकार पर आघात

अरूण कुमार दीक्षित और सोना दीक्षित

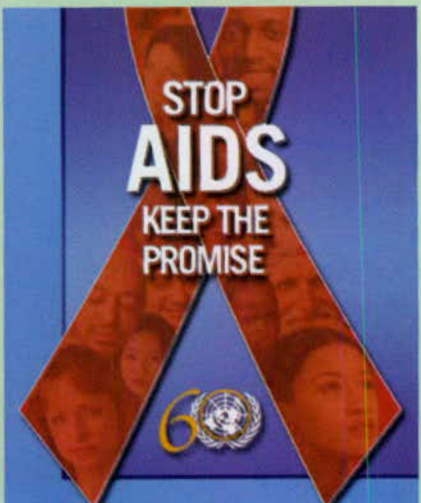

एड्स केवल चिकित्सकीय समस्या नहीं है, यह वायरस समाज के पीड़ित वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं विधिक अधिकारों के अतिक्रमण से शोषित कर रहा है।

विवाह के एक साल बाद ही शांति नरोधा के पति की एड्स से मौत हो गई। जांच में पता चला कि खुद वह भी एचआईवी पॉजीटिव है। कर्नाटक के उडीपी के निकट गांव की निवासी 31 वर्षीया शांति के पति के एड्स से मरने और उसके एड्स से ग्रसित होने की बात आग की तरह आसपास क्षेत्र में फैल गई है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जब शांति एक निजी स्कूल में पढ़ रहे अपने दोनों बच्चों का रिजल्ट लेने गई, तो स्कूल ने रिजल्ट देने से इंकार कर दिया और बच्चों की एचआईवी जांच कराने की शर्त रखी। शांति के पैरों तले की जमीन खिसक गई। यह तो तय था कि बच्चे भी एचआईवी से ग्रस्त हैं, लेकिन शांति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठाया। कुछ स्वयंसेवी संगठनों की मदद से उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ इस भेदभाव के साथ आवाज बुलंद की। मजबूरन स्कूल को अपना फैसला बदलना पड़ा। शांति के एचआईवी ग्रस्त बच्चे अब भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन शांति का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने आसपास के क्षेत्रों में उन लोगों की पहचान की, जो एचआईवी से संक्रमित होने के कारण सामाजिक भेदभाव झेल रहे थे। ऐसे कई लोग उसके साथ जुड़े, जो घर परिवार, समाज, नौकरी में भेदभाव के शिकार हो रहे थे। शांति ने ऐसे लोगों को साथ लेकर एक जिला स्तरनीय संगठन 'दीप ज्योति' की स्थापना की। लगभग एक साल पूर्व बने इस जिला स्तर के संगठन में लगभग अब 36 एचआईवी पॉजीटिव स्त्री-पुरुष हैं, जो दिन-प्रतिदिन एड्स के भयावह शिकंजे की और तो अग्रसर हैं, लेकिन जीवन के जो दिन बचे हैं, उन्हें वे एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा पीड़ितों को सामाजिक भेदभाव से बचाने के प्रयासों में बिता रहे हैं। एड्स (उपर्जित प्रतिरक्षा-हीनता संलक्षण) एचआईवी (मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस) के संक्रमण का अंतिम चरण है।

एचआईवी शुक्र और योनि तरल के जरिए संप्रेषित होती है। वायरस जिससे एड्स होती है, एचआईवी प्रतिरक्षित पद्धति को क्षति पहुंचाती है। शरीर प्रतिरक्षा पद्धति शरीर का वह भाग है जो संक्रमण से लड़ता है। समय के साथ-साथ, असंक्रांय पद्धति बहुत कमजोर हो जाती है। एचआईवी के इस चरण को एड्स कहते हैं। निश्चित तौर पर यह कोई नहीं जानता कि एचआईवी विभिन्न लोगों में विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। एचआईवी किसी व्यक्ति को बीमार करने में लंबा समय ले सकती है और एचआईवी से पीड़ित कई व्यक्ति वर्षों तक स्वस्थ रहते हैं। यह समझते हुए कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का क्या अर्थ है। एचआईवी पीड़ित लोगों

की सहायता करता है तथा वे स्वयं अपनी देखभाल करते हैं तथा एचआईवी पीड़ित लोगों की सहायता करते हैं और समर्थन देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है तथा पात्र है।

एचआईवी की खोज को 25 साल पूरे हो गए हैं। देश में एड्स का पहला रोगी 1986 में चेन्नई में मिला था। इन 25 वर्ष में एड्स से निजात पाना तो संभव नहीं हो पाया, हां इतना जरूर हुआ है कि रोगी की मौत का फासला बढ़ता गया। भारत की भूमिका इसमें यह रही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मंहगी दवाओं को कम दामों पर तैयार कर वह उसे आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले आया। एचआईवी/एड्स के टीकों और आधुनिक दवाओं पर शोध जारी है और अगले कुछ सालों में इस खतरनाक बीमारी से निजात मिलने की उम्मीद है। हमारे यहां 1986 में पहला रोगी मिलने के तत्काल बाद 1987 में एड्स की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। इस कार्यक्रम को चलते 19 साल हो गए हैं। दो चरणों में इस कार्यक्रम पर सरकारी, विदेशी दान और विश्व बैंक के कर्ज का 12-13 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। उल्लेखनीय है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट की भारी कमी है, लेकिन एड्स कार्यक्रम के लिए बजट की कमी नहीं आने दी गई है।

गांवों में बढ़ता एड्स का प्रकोप

सरकारी ग्रामीण इलाके में एड्स के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ने जा रही है। इस अभियान में राजनीतिज्ञों की सहायता ली जाएगी। देश के साठ फीसदी एचआईवी पॉजिटिव लोग गांवों में रहते हैं, इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। "यूनएन एड्स प्रीवेंशन एजेंसी" की रिपोर्ट 2005 के मुताबिक हमारे यहां करीब 57 लाख लोग (कुछ लोगों के मुताबिक, यह संख्या 52 लाख है।) एचआईवी वायरस से संक्रमित हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका दूसरा ऐसा देश है, जहां एड्स से संक्रमित लोगों की संख्या इतनी है। स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं कि गरीबी, स्थानांतरण और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच गांवों में एड्स के फैलाव की मुख्य वजहें हैं। सरकार ने यूएनएड्स के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान में राजनीतिक नेताओं को जोड़ने की वजह भी है। यूएनएड्स के कार्यकारी निदेशक डेनिस ब्राउन के मुताबिक, स्थानीय निकाय के लोग आसपास के आम लोगों से जुड़े होते हैं, उन्हें पहचानते हैं, लिहाजा स्थानीय तौर पर उनका सहयोग काफी काम आता है। अफ्रीका और उत्तर अमेरिका में एचआईवी-एड्स के खिलाफ अभियान में स्थानीय निकायों के अधिकारियों और मेयरों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की प्रमुख सुजाता राव बताती हैं कि प्रवासी मजदूर और ट्रक ड्राइवर ग्रामीण इलाकों में एड्स फैलाने के जिम्मेदार होते हैं। ताजा अभियान में स्थानीय नेतृत्व को एड्स की शिकार उन महिलाओं की मदद के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा, जो भेदभाव और अकेलेपन का दंश झेलती हैं। इसके अलावा स्थानीय नेतृत्व के लोगों को कंडोम के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने और स्कूलों में एड्स की शिक्षा की दिशा में भी कदम उठाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में औरतों की दयनीय सामाजिक स्थिति के कारण भी यौन रोग के लिए घातक साबित होते हैं। यह देश पिछले बीस वर्षों से एड्स से जूझ रहा है और इसके खिलाफ अभियान की शुरूआत छह-सात साल पहले हुई है।

ग्रामों में पंचायती राज के माध्यम से युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्यक्रम सरकार प्रारंभ करने जा रही है इसके लिए 20 लाख पंचायत समितियों को शामिल करने की तो बात है ही इनमें 70 फीसदी युवा हैं। इनमें महिलाओं का प्रतिशत 50 प्रतिशत है। पंचायतों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है कि इस मुहिम को कोने-कोने तक पहुंचाया जा सके और यह काम भला पंचायत से बेहतर कौन कर सकता है। क्योंकि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहता है। वहां से रोजगार के लिए लोग शहरों में आते हैं जहां वे एड्स के शिकार हो जाते हैं।

महिलाओं को तेजी से अपना शिकार बना रहा है एड्स

पुरुषों की तुलना में एड्स (एचआईवी) पीड़ित महिलाओं का आंकड़ा दुनिया में 41 से 50 फीसदी हो गया है। भारत में तो इस बीमारी ने हर राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। 2003 में हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 51 लाख लोग एड्स की चपेट में हैं। तमिलनाडु में 50 फीसदी महिलाएं इस बीमारी की गिरफ्त में हैं। यूएनआईडीए और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1998 में पुरुषों की तुलना में एड्स (एचआईवी) शिकार महिलाओं का आंकड़ा 41 फीसदी था लेकिन अब पूरी दुनिया में इसकी शिकार महिलाओं की संख्या 50 फीसदी हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2003 में भारत एड्स पीडितों की संख्या करीब 51 लाख थी और अब यह बीमारी हर राज्य में पैर पसार चुकी है। रिपोर्ट में तमिलनाडु का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वहां की करीब 50 फीसदी वेश्याएं इस बीमारी की शिकार हैं जबकि चेन्नई के कुल एड्स पीड़ितों में 64 को मादक द्रव्यों के इंजेक्शनों ने एचआईवी से संक्रमित किया। रिपोर्ट में कहा गया है विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में एड्स पीड़ित महिलाओं की संख्या अधिक है और गरीबी, बेरोजगारी जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे इन देशों में इस बीमारी को लेकर अधिक जागरूकता भी नहीं है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अकेले एशिया में करीब 82 लाख व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 12 व्यक्ति तो पिछले साल ही बीमारी के शिकार हुए। यहां वर्ष 2002 के बाद एड्स पीड़ित महिलाओं की संख्या बढ़कर 56 फीसदी हो चुकी है।

पीएलडब्ल्यूएचए (People Living with HIV/AIDS) के मानव अधिकारों का अतिक्रमण

• स्वास्थ्य देखभाल तथा उपचार से इंकार • रोजगार से वंचन और/अथवा हटाना • दवाईयों तक पहुंच तथा अनुपलब्धता • बीमा, चिकित्सा लाभों आदि सहित विभिन्न सेवाओं का वंचन • सूचना पहुंच की कमी • कानूनी प्रतिकार तक पहुंच की कमी • परिवार, पति/पत्नियों, मित्रों तथा रिश्तेदारों सहित सशक्त समर्थन पद्धति की कमी • एचआईवी पोजिटिव अभिभावकों के बच्चों के साथ भेदभाव/बच्चों के स्कूलों में प्रवेश का भेदभाव • एचआईवी पोजिटिव/एड्स से ग्रसित लोगों का समाज तथा

परिवार से बहिष्कार • एचआईवी/एड्स से ग्रसित लोगों को बच्चों के साथ खेलने, बातचीत करने अथवा खाने से रोकना

उपचार सुविधाएं

एचआईवी संक्रमितों को बेहतर जीवन-यापन और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नाको प्रयासरत है। अब तक देश में 54 अस्पतालों में एचआईवी संक्रमितों के एंट्री वायरल (एआरटी) उपचार की सुविधा शुरू की गई है। इन केंद्रों से 35,000 मरीजों को नि:शुल्क उपचार मुहैया कराया जा रहा है। अगले दो-तीन महीनों में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 100 तक कर दी जायेगी और इस साल के अंत तक एक लाख संक्रमितों को उपचार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

नाको ने अपने विभिन्न सर्वेक्षणों के जरिए एचआईवी संक्रमण के मद्देनजर उच्च जोखिम समूहों को चिन्हित किया है। गैर-सरकारी संगठनों के जरिए कम्युनिटी केयर सेंटर और ड्रापिंग सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। इसका मकसद यह है कि एचआईवी संक्रमितों को सामान्य जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें उपचार आदि की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इन सेंटरों को एआरटी उपचार केंद्रों से भी जोड़ा जा रहा है।

अभिभावकों से बच्चों में होने वाले एचआईवी संक्रमण रोकने के लिए पीटीसीटी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से संक्रमित महिलाएं क्लीनिकों पर आ रही हैं तथा 40-50 फीसदी मामलों में बच्चों को मां से एचआईवी संक्रमण से बचाया जा रहा है। देश में 2615 केंद्रों पर एचआईवी संक्रमण की सुविधा है। अब सभी सामुदायिक केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

दिल्ली पॉजिटिव पीपुल नेटवर्क एक ऐसा संगठन है, जिसमें अकेले दिल्ली में दो हजार से अधिक संक्रमित व्यक्ति हैं। संगठन के अनुसार, हमने संक्रमितों को उपचार उपलब्ध कराने और जीने का हौसला बंधाया है। इसलिए लोग एड्स से लड़ने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं।

एचआईवी संक्रमितों को समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसे दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए निजी क्षेत्र, सरकारी महकमों, राजनीतिक स्तर पर संसदीय फोरम, और युवा राजनीतिज्ञों के मंचों के जरिये इस भेदभाव को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इन प्रयासों से एचआईवी संक्रमितों में उम्मीद की किरण जगी है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के तीसरे चरण में उपचार सुविधाओं, कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। सभी सामुदायिक केंद्रों में रक्त संग्रह केंद्र बनाने, सभी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत दो लाख लोगों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आंकड़ों को पुख्ता बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पैटर्न पर ही अपने सर्विलेंस सिस्टम बनाया जाएगा। मौजूदा पद्धति में 15-49 साल की आयु वर्ग में ही एचआईवी सर्वेक्षण होता है। यूएन पेटर्न के तहत इसमें सभी उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा।

सांविधिक सुरक्षा

विश्व के बहुत कम देशों में -दक्षिण एशिया के किसी भी देश में न ही एच.आई.वी./एड्स का नियंत्रण करने अथवा एचआईवी/एड्स से ग्रसित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले विशेष सांविधिक कानून नहीं है। अत: राष्ट्रीय संविधानों द्वारा गारंटित अधिकार दक्षिण एशिया में कानून का मुख्य स्रोत हैं। तथापि, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में प्रचलित तथा वैयक्तिक कानून भी है जो लोगों को विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का निर्धारण करते हैं। संवैधानिक गारंटी के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सरकारों तथा बनाई गई एचआईवी/एड्स ग्रसित लोगों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं। तथापिभारत वर्ष में सरकारी नीतियां/दिशा-निर्देश न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यद्यपि एचआईवी/एड्स सहित लोगों के कई अधिकार न्यायालय निर्णयों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं चूंकि भारत अंग्रेजी सामान्य कानून की पद्धति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

एचआईवी/एड्स से संबंधित मुकदमें

संयुक्त राज्य तथा आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त एचआईवी/एड्स संबंधी मुकदमें की अधिकतम संख्या संभवत: भारत में हुई है। 1997 में लायर्स कोलेक्टिव ने एक कामगार की एचआईवी पोजीटिव होने के आधार पर सेवाओं की समाप्ति की चुनौती दी यद्यपि व्यक्ति कार्यात्मक दृष्टि से स्वस्थ था। मुंबई उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले में कामगार को फिर से नियुक्त किया गया तथा वेतन अदा किया गया। सबसे महत्वपूर्ण कोलेक्टिव पहचान के निषेधात्मक का आदेश प्रात करने में भी सफल हुआ जिसके कारण एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति छद्मनाम से मुकदमा चला सका। वर्ष 1998 और 2001 के बीच लायर्स कोलेक्टिव द्वारा किए गए 130 मामलों के अध्ययन से पता चला कि लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी विषय रोजगार से संबद्ध था महिलाओं के मामले में प्रमुख समस्या भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा तथा संपत्ति अधिकारों (जैसे कि विवाह अथवा संयुक्त संपत्ति अधिकार) से संबंधित थी। तलाक मामलों की संख्या में भी वृद्धि देखी गयी। यह सुझाव दिया गया कि महिलाएं विभिन्न भारतीय कानूनों में लैंगिकता के अनुचित भेदभाव के कारण विवाह प्रथा के अंदर कमजोर रहती है।

एचआईवी/एड्स तथा मानव अधिकार

एचआईवी/एड्स के संदर्भ में मानव गरिमा की सुरक्षा के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण अनिवार्य है। सरकार यह स्वीकार करती है कि लोगों के, जो कमजोर तथा एचआईवी/एड्स से पीड़ित है, मानव अधिकारों के संरक्षण बिना एचआईवी/एड्स महामारी के संबंध में प्रत्युत्तर अपूर्ण रह जाएगी। सरकार प्रभावी अधिकार आधारित अनुक्रिया करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी।

- सरकार आपराधिक कानूनों तथा सुधारक पद्धति की समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार उत्तरदायित्वों के अनुरूप हो तथा उनका एचआईवी/एड्स के संदर्भ में दुरुपयोग न किया जाए अथवा कमजोर वर्गों के विरुद्ध लक्ष्य न बनाया जाए।
- सरकार भेदभाव-विरोधी तथा अन्य संरक्षात्मक कानूनों को सुदृढ़ करेगी जो कमजोर वर्गों एचआईवी/एड्स से ग्रसित लोगों तथा विकलांग लोगों को सार्वजनिक तथा दोनों क्षेत्रों में भेदभाव से रक्षा करते हैं,

मानव विषयों को शामिल करते हुए एकान्तता, गोपनीयता अथवा आचार सुनिश्चित करते है; शिक्षा तथा मेलमिलाप पर बल देते है और तीव्र तथा प्रभावी प्रशासनिक तथा सिविल उपचार प्रदान करते है।

- सरकार गुणात्मक निवारण उपाय तथा सेवाएं प्राप्त एचआईवी रोकथाम तथा देखरेख सूचना तथा सेवाओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- सरकार समर्थन सेवाओं को सुनिश्चित करेगी जो एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में उन्हें शिक्षित करेगी। इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करेगी तथा एचआईवी संबद्ध कानूनी विषयों पर सुविज्ञता का विकास करेगी।
- सरकार सृजनात्मक, शैक्षिक प्रशिक्षण तथा एचआईवी/एड्स से संबद्ध भेदभाव तथा कलंक के प्रति समाज के रवैये को बदलने केलिए स्पष्ट रूप से तैयार किए गए मीडिया कार्यक्रमों के विवरण को प्रोत्साहन देगी।
- सरकार समुदाय के सहयोग और उसके जरिए समुदाय बातचीत, विशेष रूप से तैयार की गई सामाजिक तथा सेवाओं तथा समुदाय समूहों को समर्थन के जरिए अंतर्निहित द्वेष तथा असमानताओं का समाधान करके महिलाओं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए समर्थक तथा योग्य बनाने वाले वातावरण को प्रोन्नत करेगी।
- सरकार एचआईवी संबद्ध मानव अधिकार विषयों से संबंधित जानकारी और अनुभव बांटने के लिए संयुक्त राष्ट्र एड्स सहित सभी संबंधित कार्यक्रमों तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एचआईवी/एड्स के संदर्भ में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी पत्र को सुनिश्चित करेगी।

अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार रूपरेखा

अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेज एचआईवी/एड्स तथा मानव अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके मानदंड एचआईवी/एड्स महामारी का जवाब देने के लिए कार्यविधि, संस्थागत तथा सामाजिक तंत्र की स्थापना का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

दो प्रसिद्ध एचआईवी/एड्स विशेष अंतरराष्ट्रीय समझौते है जून 2001 में एचआईवी/एड्स (यूएनजीएसएस) संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा विशेष सत्र में पारित वचनबद्धता की घोषणा तथा एचआईवी/एड्स 1996 के अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश।

एचआईवी/एड्स तथा मानव अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देश

संयुक्त राष्ट्र एड्स तथा मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा सितंबर, 1996 में आयोजित एचआईवी/एड्स तथा मानव अधिकारों संबंधी दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंत्रणा से एचआईवी/एड्स तथा मानव अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का निर्माण हुआ। दिशा-निर्देशों में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की भूमिका सुधारने सहित बहु-क्षेत्रीय उत्तरयित्वों तथा जवाबदेही पर ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त वे कानून सुधार कानूनी कठिनाईयों का पता लगाने में राज्य की ड्यूटी पर जोर डालते हैं ताकि एचआईवी/एड्स रोकथाम तथा देखरेख की प्रभावी नीति का रूप ले सके।

दिशा-निर्देश 1: राज्यों को एचआईवी/एड्स के प्रति अपनी अनुक्रिया करने देने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना चाहिए जो सरकार की सभी शाखाओं में एचआईवी/एड्स नीति तथा कार्यक्रम उत्तरदायित्वों को जोड़ते हुए एक समन्वित भागीदारी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करता है।

दिशा-निर्देश 2: राज्यों को राजनीतिक तथा वित्तीय समर्थन के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामुदायिक मंत्रणा एचआईवी/एड्स नीति डिजाईन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के सभी चरणों पर हो तथा ताकि सामुदायिक संगठन अपने कार्यकलाप चला सकें।

दिशा-निर्देश 3: राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों की समीक्षा तथा सुधार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एचआईवी/एड्स द्वारा उठाए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, तथा आकस्मिक रूप से संप्रेषित बीमारियों को लागू प्रावधान एचआईवी/एड्स पर अनुपयुक्त रूप से लागू न किए जाए और वे अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दायित्वों के अनुरूप है।

दिशा-निर्देश 4: राज्यों को आपराधिक कानूनों तक सुधार पद्धतियों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दायित्वों के अनुरूप है तथा एचआईवी/एड्स के संदर्भ में दुरूपयोग न किया जाए अथवा कमजोर समूहों के विरुद्ध लक्ष्य न साधा जाए।

दिशा-निर्देश 5: राज्यों को भेदभाव विरोधी और अन्य सुरक्षात्मक कानून बनाने चाहिए अथवा सुदृढ़ करने चाहिए जो कमजोर वर्गो एचआईवी/एड्स से ग्रसित लोगों को सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में भेदभाव से रक्षा करते हैं, मानव विषयों को शामिल करते हुए एकांतता, गोपनीयता तथा नीति शास्त्र सुनिश्चित करते हैं, शिक्षा तथा मेल मिलाप पर बल देते हैं तथा तीव्र तथा प्रभावी प्रशासनिक तथा सिविल उपचार प्रदान करते हैं।

दिशा-निर्देश 6: राज्यों को एचआईवी संबंद्ध वस्तुओं, सेवाओं और सूचना के विनियमन प्रदान करने के लिए कानून बनाने चाहिए ताकि दिए जाने वाले मूल्य पर गुणात्मक रोकथाम उपायों और सेवाओं, पर्याप्त एचआईवी रोकथाम, देखरेख, सूचना तथा सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा की व्यापक सतत् तथा समान उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। राज्यों को कमजोर लोगों तथा जनसंख्या पर विशेष ध्यान सहित घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ऐसे उपाय करने चाहिए।

दिशा-निर्देश 7: राज्यों को कानूनी समर्थन सेवाओं को कार्यांवित तथा सहायता देनी चाहिए जो एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों को अपने अधिकारों के संबंध में शिक्षित करेगी, उन अधिकारों को लागू करने के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करेगी, एचआईवी संबद्ध कानूनी विषयों पर सुविज्ञता का विकास करेगी तथा न्यायालयों, जैसे कि न्याय मंत्रालय के कार्यालय, ओम्बुडपर्सन, स्वास्थ्य शिकाय को तथा मानव अधिकार आयोगों सहित रक्षा के साधनों का प्रयोग करेगी।

दिशा-निर्देश 8: राज्यों को समाज के सहयोग और उसके जरिए समाज बातचीत विशेष रूप से तैयार की गई सामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवाओं और समाज समूहों को सहायता के जरिए अंतर्निहित द्वेष तथा असमानताओं का समाधान करके महिलाओं, बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए सहायक तथा सामर्थ्य वातावरण को प्रोत्सहित करना चाहिए।

दिशा-निर्देश 9 : राज्यों को एचआईवी/एड्स से संबद्ध भेदभाव तथा कलंक के रवैये को बदलने के लिए सुस्पष्ट रूप से तैयार की गई सृजनात्मक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा मीडिया कार्यक्रमों के व्यापक तथा चल रहे वितरण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

दिशा निर्देश : 10: राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार तथा निजी क्षेत्र एचआईवी/एड्स से संबंधित आचरण संहिता का विकास करे जो इन संहिताओं को कार्यांवित तथा लागू करने के लिए मानव अधिकार सिद्धांत को संलग्न तंत्र सहित व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा अभ्यास के संहिता में परिवर्तन करें।

दिशा निर्देश 11: राज्यों को एचआईवी/एड्स से ग्रसित लोगों, उनके परिवारों और समाज सहित एचआईवी-संबद्ध मानव अधिकारों के संरक्षण की गारंटी के लिए निगरानी तथा प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करने चाहिए।

दिशा निर्देश 12 : राज्यों को एचआईवी संबद्ध मानव अधिकार विषयों से संबंधित जानकारी तथा अनुभव बांटने के लिए संयुक्त राष्ट्र एड्स सहित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सभी संबद्ध कार्यक्रमों तथा एजेंसियों के जरिए सहयोग करना चाहिए। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एचआईवी/एड्स के संदर्भ में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र वचनबद्धता की घोषणा

जून 2001 में, 189 राष्ट्रों के राज्य प्रमुख तथा सरकारों के प्रतिनिधि एचआईवी/एड्स (यूएनजीएएसएस) पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र पर इकट्ठे हुए तथा प्रतिनिधियों द्वारा वचनबद्धता घोषणा पारित की गई। घोषणा के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष वचनबद्धताएं की जाती है :

• बढ़ा हुआ नेतृत्व • रोकथाम देखरेख सहायता तथा उपचार • मानव अधिकारों का संरक्षण विशेष रूप से एचआईवी/एड्स से ग्रसित लोगों के लिए • विशेष रूप से महिलाओं की सुभेद्यता को कम करना • उन बच्चों की सहायता करना जो अनाथ हो गए हैं तथा एचआईवी/एड्स के कारण पिछड़ गए हैं। • एचआईवी/एड्स के सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव को कम करना • अनुसंधान और विकास • विरोधी क्षेत्रों तथा विपदा प्रभावित क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स का समाधान • नए तथा सतत् संसाधनों को सुनिश्चित करना। • गति मात्रा बनाए रखना तथा प्रत्युत्तरों की प्रगति की निगरानी करना

एचआईवी/एड्स द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई पहल

- आयोग ने चिकित्सा उपचार सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच के संबंध में एचआईवी/एड्स द्वारा प्रभावित/संक्रमित व्यक्तियों द्वारा सामना किए गए भेदभाव से संबंधित अलग-अलग कई मामले उठाए हैं।
- आयोग के हस्तक्षेप से दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल में एक एड्स मरीज को उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त हुआ है। बेरोजगार एचआईवी पॉजिटिव मरीज ने 18 सितंबर, 2003 को आयोग को शिकायत की थी कि उसे दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी अस्पतालों ने उचित उपचार देने से मना कर दिया था। आयोग ने यह मामला संबंधित अस्पतालों ने साथ उठाया। परिणामस्वरूप, मरीज को अब उचित चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। व्यक्तिगत शिकायतों के अतिरिक्त, आयोग ने अन्य प्रमुख एजेंसिसयों की साझेदारी में नवंबर, 2000 में नई दिल्ली में मानव अधिकारों और एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्रवाई पर आधारित, केंद्र सरकार के विभिन्न राज्यों में संबंधित प्राधिकरणों को मानव अधिकारी और एचआईवी/एड्स के विभिन्न पहलुओं पर क्रमबद्ध सिफारिशें भेजी गई।
- व्यक्तिगत शिकायतों के अतिरिक्त, आयोग ने अन्य प्रमुख एजेंसियों की साझेदारी में नवंबर, 2000 में नई दिल्ली में मानव अधिकारों और एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- आयोग ने विभिन्न लक्ष्य समूहों को मानव अधिकारों और एचआईवी/एड्स पर सूचना प्रसार के लिए बहु-मीडिया अभियान आरंभ किया।

मानव अधिकारों और एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें

यह सम्मेलन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 24-25 नवंबर, 2000 को नई दिल्ली में एचआईवी/एड्स नियंत्रण संगठन, लायर्स कोलेक्टिव, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तथा संयुक्त कार्यक्रम के साथ मिलकर आयोजित किया गया।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यवाही का फोकस माता से बच्चे में वायरस के संप्रेषण को रोकने पर होना चाहिए। "25 नवंबर 2003"
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र एड्स द्वारा नवंबर 2000 में संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के अनुवर्ती एचआईवी/एड्स की रोकथाम के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप होना चाहिए। "25 नवंबर 2003"
- एचआईवी/एड्स के साथ रह रहे बच्चों के स्कूलों में उपस्थित होने पर रोक सहित उनके विरुद्ध भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाएं तथा कानून लागू करें। "6 सितंबर 2004"

निष्कर्ष

एचआईवी संक्रमण ने विभिन्न प्रकार के मानव अधिकार उल्लघंनों को जन्म दिया है। सामाजिक बहिष्कार के साथ-साथ उपचार, सुरक्षा, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर समाज दुराचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है।

मानव अधिकारों के रक्षक महात्मा गांधी के इन शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं:

"यह मेरे लिए हमेशा ही एक रहस्य रहा है कि मनुष्य अपने साथियों के अपमान से स्वयं को कैसे संक्रमानित महसूस कर सकता है।"

"आइए हम एड्स के कलंक स्थान पर सहारा देने, भय के स्थान पर आशावान बनने और खामोशी के स्थान पर एकता का संकल्प करें।"

(कोफी अन्नान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव)

(लेखक द्वय क्रमशः बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में तथा कानपुर के जेडीवीएम, कालेज में विधि तथा शिक्षाशास्त्र के प्रवक्ता हैं)

एड्स और उसकी चुनौतियां

प्रियंका द्विवेदी

एड्स एक भयंकर और जानेलवा बीमारी है और इसने व्यक्तियों या देश को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को चुनौती दी है। तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद अभी तक इस रोग का माकूल हल या विश्वसनीय इलाज नहीं खोजा जा सका है। कहा भी जाता है कि एड्स की जानकारी ही एड्स से बचाव है। संक्रामक सुइयों या सिरिंजों के उपयोग या असुरक्षित यौन संबंधों से इसका संक्रमण होता है। इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और समुचित जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मानवता के समक्ष खड़े इस दैत्य का डटकर मुकाबला किया जा सके।

एड्स रोगियों के आंकड़ों को लेकर अक्सर मतभेद दिख जाता है। मसलन-एड्स के संबंध में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (यू.एन. एड्स) की वर्ष 2006 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एच.आई.वी. से ग्रसित लोगों की संख्या वर्ष 2005 की समाप्ति तक 57 लाख थी। चिंता तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि एड्स का बुरी तरीके से शिकार माने जाने वाले दक्षिण अफ्रीका में यह संख्या 55 लाख है। जाहिर है कि भारत के समाज या भारत की सरकार के लिए यह चिंता का एक गंभीर मसला है। यू.एन. एड्स की यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में एचआईवी से ग्रसित रोगियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। जबकि भारत सरकार के अनुसार हमारे यहां तकरीबन 52 लाख लोगों के एचआईवी से संक्रमित होने का अनुमान है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए इसी वर्ष अगस्त माह में राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह आंकड़ा बताया गया। सरकार के मुताबिक एड्स के भारत में दस्तक देने के बाद से एड्स के कुल 1,24,366 मामले दर्ज किए गए। इनमें महिला मरीजों की संख्या 29.5 फीसदी है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक एचआईवी संक्रमण के 85.34 प्रतिशत मामलों का कारण असुरक्षित यौन संबंध है जबकि 3.80 फीसदी मामलों का कारण माता-पिता का इस रोग से संक्रमित होना है। रुधिर के आदान-प्रदान में बरती जाने वाली लापरवाहियां भी गौर करने लायक हैं। कुल मामलों का 2.05 प्रतिशत प्रदूषित रक्त की वजह से ही पैदा होता है जबकि 2.34 फीसदी मामलों की वजह इंजेक्शन से नशीली दवाओं का लिया जाना है। कर्नाटक में यह समस्या बड़ी विकट है। कर्नाटक भारत के तीन सर्वाधिक एचआईवी संक्रमित राज्यों में से एक है। कर्नाटक के कस्बों में सरकार के मुताबिक एचआईवी संक्रमण की दर एक प्रतिशत से भी ज्यादा है। सरकार इस बारे में लगातार सजग है और अन्य कार्यक्रमों के अलावा कर्नाटक में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए

सोलहवां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन वर्ष 2006 के अगस्त माह में कनाडा के टोरेंटों शहर में हुआ और इस मौके पर विश्व बैंक के ताजा आंकड़े भी जारी किए गए। सम्मेलन की रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में एड्स से संक्रमित लोगों की संख्या 55 लाख से अधिक है। 'दक्षिण एशिया में एड्स महामारी की समझ और इससे निपटने के उपाय' नामक इस रिपोर्ट में एड्स से निपटने के दो उपाय बताए गए हैं। पहले उपाय के मुताबिक उन समूहों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तय किए जाएं जिनमें एड्स के संक्रमण की दर सर्वाधिक रही हो। इन समूहों में देह व्यापार करने वाली वेश्याएं और उनके ग्राहक, नशाखोर और नशाखोरों के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले लोग आते हैं। दूसरे उपाय के तहत गरीबी के उन्मूलन को जरूरी बताया गया है। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विशाल होने के कारण विश्व बैंक ने सलाह दी है कि भारत दक्षिण एशिया में एड्स नियंत्रण के लिए नेतृत्व संभाले। सब सहारा अफ्रीका के साथ-साथ दक्षिण एशिया के पांच देशों (भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका) पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत बताई गई है।

स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम और कॉलेज एड्स शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों और चयनित तालुका अस्पतालों में माता-पिता से बच्चों को होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए कई केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। सरकार ने इन जांच केंद्रों में परामर्श सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं।

सरकार लंबे समय से इस बीमारी की रोकथाम को लेकर सक्रिय रही है। अप्रैल 1992 में हमारे यहां एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) शुरू किया गया था। इसका दूसरा चरण (एनएसीपी-2) अप्रैल 1999 से प्रारंभ हुआ था और अभी तक चल रहा है। इस परवर्ती चरण के दो मुख्य लक्ष्य थे- एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकना और एचआईवी/एड्स के जूझने में केंद्रीय और राज्य सरकारों की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ व मजबूत करना है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ घटकों की व्यवस्था व कल्पना की गई, जिनके माध्यम से ये लक्ष्य पूरे किए जाने की योजना है।

इन घटकों में कई महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बातें सम्मिलित हैं। जैसे- अधिक संभावना वाले समुदायों को लक्ष्य बनाना और उन समुदायों के लिए यथोचित उपाय करना। आम आबादी में एचआईवी संक्रमण रोकना, कम लागत की चिकित्सा व्यवस्था करना और संस्थागत क्षमता मजबूत बनाना। इसके अलावा सरकार अंतक्षेत्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित कर रही है। गांवों तक प्रभावी पहुंच और जन-जन को एड्स के बारे में शिक्षित, जागरूक व सावधान बनाने के लिए एनएसीपी कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण किया गया है। प्रत्येक राज्य और संघशासित प्रदेश में एक राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी गठित की गई है जो राज्यों या प्रदेशों के स्तर पर इस कार्यक्रम के प्रवर्तन का दायित्व संभालती है। मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद शहरों में नगर निगम एड्स नियंत्रण सोसायटियां गठित की गई हैं। ये सोायटियां इन बड़े नगरों में एड्स नियंत्रण का काम देखती हैं। इस तरीके से गठित की गई प्रत्येक सोसाइटी ने अपनी स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखकर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए योजना व रणनीतियां बनाई हैं।

गांवों की बात करें, तो गांवों की समस्याएं कुछ विशेष किस्म की हैं। ग्रामीण अंचल में जागरूकता की अभी भी कमी देखी गई है। जड़ परंपराओं व रूढ़ियों के चलते एड्स को देहात में एक हौव्वा भी मान लिया जाता है। यौन रोगों से संबंधित होने के कारण इस पर लोग चर्चा तक करना नहीं पसंद करते और इसे पवित्रता या गरिमा का उल्लंघन मानने लगते हैं। अंधविश्वासों से जुड़ जाने के कारण अक्सर यह समस्या और भी गहरी हो जाती है। यह ध्यान देने की बात है कि अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी और पलायन जैसी सभी चीजें एड्स से क्रमोबेश अनिवार्य रूप से जुड़ी हैं। हमारी दो-तिहाई से ज्यादा आबादी गांवों में ही रहती है। वैश्विक अध्ययनों ने भी कई बार इस ओर इशारा किया है। जैसे- टोरेंटो शहर में इसी साल अगस्त माह में हुए सोलहवें अंतरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में पेश की गई रिपोर्ट में एड्स के नाश के लिए गरीबी के निवारण को जरूरी बताया गया। कनाडा के इस शहर में हुआ यह सम्मेलन कई गौरतलब बातों को रेखांकित करता है। सम्मेलन में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस गति से दक्षिण एशिया में सेक्स-उद्योग फल-फूल रहा है और जिस तरीके से नशीली सुइयों का प्रयोग बढ़ रहा है उससे भविष्य में बड़ी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ आधुनिक अनुसंधानों की बात करें तो यह भी कहा जा रहा है कि एड्स नामक दैत्य अर्थव्यवस्था तक पर नकारात्क असर डाल सकता है जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर भी प्रभावित हो सकती है। नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (नाको), यूएनडीपी तथा राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कराए गए एक संयुक्त अध्ययन के मुताबिक एड्स के कारण भारत का सकल घरेलू उत्पाद 0.9 प्रतिशत तक कम हो सकता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में 0.56 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। अनुसंधान के निष्कर्षों के मुताबिक एड्स की वजह से श्रमशक्ति में कमी आ सकती है तथा श्रम-उत्पादकता और कुल कारक उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। एड्स रोगियों के उपचार में व्यक्तिगत तथा सरकारी स्तर पर व्यय में बढ़ोतरी हो सकती है जो चिंता की बात है। इस वजह से घरेलू व सरकारी- दोनों- प्रकार की बचतें नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं। स्वास्थ्य के साथ-साथ जीवन व अर्थव्यवस्था के अनेक पहलुओं पर पड़ने वाले इन प्रभावों और खतरों को समझना जरूरी है।

गरीबी का निवारण भी एड्स के उन्मूलन में सहायक होगा। दरअसल गरीबी एक प्रकार से कई समस्याओं की जननी है। गांव के बेरोजगार

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) वर्ष 2004-05 तक यौन संक्रमित रोगों के उपचार के लिए देश में 775 क्लीनिक स्थापित कर चुका है। प्रत्येक क्लीनिक में एक यौन रोग विशेषज्ञ या एक डॉक्टर होता है और यहां यौन संक्रमित रोग (एसटीडी) के इलाज की सुविधाएं और उपचार उपलब्ध है। संगठन इन क्लीनिकों में दवाइयों वगैरह की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। यौन रोग से पीड़ित महिलाओं के इलाज के लिए जिला अस्पतालों के स्त्री रोग क्लीनिकों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उपजिला स्तर पर, जहां प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध नहीं है, संगठन एसटीडी के मामलों में विश्व व्यापार संगठन से स्वीकृत उपचार सिंड्रोम एप्रोच को बढ़ावा देता है। इन क्लीनिकों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और आरसीएच कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाता है ताकि प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर आरटीआई/एसटीआई प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

जिन लोगों को एचआईवी/एड्स हो चुका है, उन्हें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए शुरू से ही जब-तब होने वाले संक्रमण का इलाज उपलब्ध कराया जाता है। अब एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए एंटीरिट्रोवाइरल थैरेपी (एआरटी) की व्यवस्था की गई है और वे बोयोमेडिकल मापदंडों के आधार पर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एआरटी सेवाओं की शुरूआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। 30 जून 2005 तक कुल मिलाकर 10,250 मरीजों को 25 केंद्रों में यह सुविधा दी गई। एआरटी सुविधा के ये केंद्र देश भर के चुनिंदा मेडिकल संस्थानों में खोले गए हैं। इस समय भारत सरकार एचआईवी पॉजिटिव जच्चा-बच्चा को प्रोफीलैक्सिस भी उपलब्ध करा रही है और उन्हें अधिक एड्स वाले हर राज्य में सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में खोले गए पीपीटीसीटी केंद्रों के जरिए नेविरापाइन टिकिया/सिरप का सिंगल डोज दिया जाता है।

भारत के अलग-अलग राज्यों में एचआईवी के संक्रमण की दर अलग-अलग है। छह राज्यों को तेज गति के संक्रमण वाले वर्ग में रखा गया है। ये छह राज्य हैं- तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड। इन राज्यों में प्रसव-पूर्व औषधालयों में जाने वाली महिलाओं की संख्या एक प्रतिशत ज्यादा है। गोवा, गुजरात और पांडिचेरी को उस वर्ग के राज्यों में रखा गया है जहां एचआईवी संक्रमण फैलने की दर औसत दर्जे की है। लेकिन बिहार, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरांचल को उस वर्ग के राज्यों में समाहित किया गया है जहां इस रोग के संक्रमण का खतरा या अंदेशा बहुत ज्यादा है। सरकार का मानना है कि देश के किसी भाग में निवारक उपायों को लागू करने में ढील देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

युवक दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े-बड़े शहरों में रोजगार पाने और धन कमाने के उद्देश्य से जाते हैं। कई बार ये ग्रामीण युवक इन महानगरों में गलत संगत, नशीली प्रवृत्तियों या वेश्यागमन के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षित होने के कारण और एड्स के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक न होने की वजह से ये एड्स जैसी भयानक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। बहुत बार उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे इस बीमारी के जाल में फंस चुके हैं। महानगरों से लौटकर जब ये अपने गांव देहात की और आते हैं तो इनकी पत्नियों को भी यह रोग हो जाता है। यह एक संक्रामक रोग है, इसकी जानकारी उन्हें दी जानी जरूरी है। सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से ही इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। अभी तक इस रोग का कोई इलाज या टीका नहीं उपलब्ध हो सका है।

ये बातें इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाती हैं ताकि जो लोग एड्स से बचे हैं, वे बचे रह सकें। लोगों को सूचित व शिक्षित करने के औरअधिक धारदार व सघन प्रयासों की ज़रूरत है। ऐसा करके ही आम लोगों को इस बीमारी से बचाव के बारे में ज्यादा सावधान बनाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें अपना व्यवहार बदलकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा दी जा सकती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन देशभर में सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी गतिविधियों के बारे में नीति नियोजन और मार्गदर्शक नियम निर्धारित करता है। साथ ही यह राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अभियान भी चलाता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और मीडिया में प्रचार विशेष महत्व का होता है। अखबार, रेडियो और टेलीविजन जैसे समाचार व संचार माध्यमों के जरिए भी इन जागरूकता अभियानों में अधिकाधिक तेजी लाई जा सकती है।

एड्स और एड्स पीड़ितों को लेकर अक्सर भ्रम-भ्रांतियों और मतभेदों की स्थिति भी रही है। ठीक से पड़ताल किए बिना अनुमान के आधार पर आंकड़े जारी कर देना तो कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। जांच का एक सर्वमान्य पैमाना खोजा जाना भी जरूरी है ताकि विकसित और विकासशील देशों को सम्मिलित रूप से एकसमान और न्यायपूर्ण कसौटियों पर देखा जा सके। जो भी हो, गैर-जिम्मेदाराना आकलन के चलते उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जो फौरी तरीके से एड्स के रोगी घोषित कर दिए जाते हैं। मात्र आशंकाओं के आधार पर किसी को एड्स का रोगी करार दे देना एक बेहद अनुत्तरदायित्वपूर्ण काम है।ऐसे लोग चाहे रोगी हों भी या नहीं भी हों; उन्हें सामाजिक उपेक्षा और तिरस्कार में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। भ्रांतियों के मेले में आरोप तो यहां तक लगते रहे हैं कि एड्स के नाम पर बड़ी-बड़ी दवा कंपनियों ने खूब जमकर मुनाफ़े कमाए हैं। बहरहाल इस बारे में अंतिम तौर पर या निश्चयात्मक रूप से कुछ भी कह पाना कठिन है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सन् 1981 में जब इस रोग की पहली बार पहचान की गई थी, तब से लेकर अब तक संसार में लगभग दो करोड़ लोग इसके शिकार होकरअपनी जान गांव चुके हैं। पांच साल पहले संयुक्त राष्ट्र का विशेष अधिवेशन भी एड्स के संबंध में ही बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त ग्लोबल फंड नाम से एक वैश्विक कोष भी बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय अनुदानों के अलावा अनेक राष्ट्रीय सरकारें भी एड्स का सामना करने के लिए प्रयासरत हैं। ज़रूरत है इन प्रयासों को और ज्यादा तेज करने की और सूचना, शिक्षा व जागरूकता के प्रचार-प्रसार की; ताकि मानवता की इस विकराल और साझी समस्या से निपटा जा सके। विश्व एड्स दिवस की सार्थकता भी इसी में है कि इससे निपटने की ओर आगे बढ़ा जाए। ⌘

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ग्रामीण भारत में एड्स की भयावहता

बजरंग भूषण

आकाशीय महाविस्फोट के पश्चात् पृथ्वी का जन्म हुआ। एक लंबी एवं सतत् प्रक्रिया के पश्चात् पृथ्वी उस ग्रुप में परिवर्तित हुई जहां जीवन संभव था। क्रमिक विकास के पश्चात् मानव का जन्म हुआ। मानव ने अपने जीवन व्यापार प्रारंभ करते हुए प्रकृति के साथ-साथ खुद अपने को जानने की कोशिश की होगी। तद्नुसार अपना जीवन-दर्शन विकसित कर मानव उस पथ पर अग्रसर हुआ होगा। विकास के यात्राक्रम में मनुष्य को अनेक कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ा होगा। जिसमें से कुछ परिस्थितिजन्य एवं कुछ जैविकतंत्र जन्य रही होंगी। जैविक तंत्र में हुई ऐसी गड़बड़ियां जिसने मानव जीवन को प्रभावित किया होगा, उसे उसने बीमारी की संज्ञा दी।

यूं तो बीमारियों से मनुष्य का पाला सदैव पड़ता रहा किंतु 20वीं सदी के 8वें दशक में उसका पाला एक ऐसी बीमारी (जिसे महामारी कहना अतिश्योक्ति न होगी) से पड़ा जो आज लगभग 25 वर्ष पश्चात् भी लाइलाज बनी हुई है। इस महामारी को एड्स के नाम से जाना जाता है जो एचआईवी (पॉजीटिव) से होता है। सर्वप्रथम 1981 में कैलीफोर्निया में एड्स/एचआईवी का संक्रमण पाया गया था और खोजबीन करने पर पता चला था कि यह संक्रमण बंदरों से मनुष्य में संचारित हुआ है। एड्स एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर अनेक बीमारियों को पैर पसारने हेतु आमंत्रण देती है। यह मनुष्य को इतना अशक्त एवं कमजोर बना देती है कि उसे अपना जीवन भार लगने लगता है।

वर्तमान में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति एचआईवी/एड्स के संक्रमण से ग्रस्त हैं। प्रतिदिन लगभग 7 हजार लोग एचआईवी संक्रमित होते हैं जिनमें लगभग 1700 बच्चे हैं। 15-24 आयु वर्ग के लगभग एक करोड़ (जिनमें महिलाएं लगभग 62 लाख हैं) युवा एचआईवी संक्रमित हैं। विश्व में लगभग 11 लाख बच्चे एचआईवी संक्रमित हैं जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत उपसहारीय अफ्रीका में निवास करते हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि एचआईवी से संक्रमित लगभग 50 प्रतिशत बच्चे 2 वर्ष की आयु से पूर्व ही दम तोड़ देते हैं। एचआईवी/एड्स से संक्रमित लगभग 90 प्रतिशत लोग विकासशील देशों में निवास करते हैं। एचआईवी/एड्स के कारण अब तक लगभग 3.71 करोड़ लोग असमय मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। गौरतलब हे कि लगभग डेढ़ करोड़ बच्चे एचआईवी/एड्स के कारण अनाथ हो चुके हैं।

भारत अभी भी गांवों का महासागर है क्योंकि इसकी अधिसंख्य आबादी (लगभग 70 प्रतिशत) आज भी गांवों में समाविष्ट है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विश्व ने बहुत तरक्की कर ली है। सूचना और प्रौद्योगिकी आज विकास के मानदंड बन चुके हैं। हालांकि सूचना और

प्रौद्योगिकी के लिहाज से भारत अग्रणी है किंतु आज भी भारत की अनेक समस्याएं अशिक्षा, भुखमरी, जनसंख्या विस्फोट आदि उसे विकासशील देशों की पंक्ति में खड़े होने को विवश करती है। फलतः भारत अभी भी ग्रामीण भारत बना हुआ है।

वर्तमान में इस ग्रामीण भारत के द्वार पर एड्स नामक महामारी ने गंभीर दस्तक देकर एक जटिल समस्या पैदा कर दी है। यूं तो भारत में एड्स का पहला रोगी 1987 में मुंबई में मिला था किंतु आज भारत में लगभग 57 लाख लोग एचआईवी/एड्स संक्रमित हैं जो जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे अधिक हैं। 55 लाख की संख्या के साथ दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। (हालांकि प्रतिशत के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है) गौरतलब है कि भारतीय संदर्भ में एचआईवी/एड्स संक्रमित लोगों में से लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण, जबकि 40 प्रतिशत आबादी शहरी है।

ग्लोबल एड्स एपेडेमिक रिपोर्ट 2006 के अनुसार वर्तमान में एशिया में 8.3 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। जिसमें से दो तिहाई (5.7 मिलियन) अकेले भारत में हैं। भारत में सर्वाधिक रोगी 15-49 आयु वर्ग के हैं, जिनके बीच एचआईवी संक्रमण की दर 0.9 प्रतिशत है। विश्व में प्रत्येक 7 एचआईवी संक्रमित में से एक भारतीय है। दक्षिणी एवं पूर्वोत्तर भारत में एड्स की अत्यंत भयावह स्थिति है। यहां एचआईवी प्रसार की दर 1 प्रतिशत है। दक्षिणी भारत में केरल को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में एड्स की भयावह स्थिति है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में इसकी चिंताजनक स्थिति है। मुंबई अब आर्थिक राजधानी के साथ-साथ एड्स राजधानी भी बन गयी है। यहां सर्वाधिक 35 प्रतिशत रोगी रहते हैं। पूर्वोत्तर में मणिपुर और नागालैंड एड्स की चिंताजनक स्थिति में हैं। एड्स के मामले में बिहार की दशा भी अत्यंत चिंताजनक है। तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल अब एड्स के मामले में देश का सबसे खतरनाक जोन बन गया है। उत्तर बिहार में लगाये गये स्वास्थ्य मेलों की रिपोर्ट पर विश्वास किया जाये तो एचआईवी जांच में हर दस में से एक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार एड्स की सबसे भयावह स्थिति सीतामढ़ी जिले की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार एचआईवी/एड्स की दृष्टि से भारत के 6 स्थान हाई रिस्क जोन में आते हैं। यह हैं- उत्तर प्रदेश में कानपुर, कर्नाटक में बेल्लारी, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, बिहार में किशनगंज, राजस्थान में उदयपुर तथा मिजोरम में अलबल।

प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः एड्स के भी अनेक कारण होंगे। हां, यह बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि आखिर भारत में एचआईवी/एड्स ने इतना विकराल रूप क्यों ले लिया है?

दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुए एक शोध से यह तथ्य उभरकर आया है कि पश्चिमी देशों के नागरिकों की तुलना में एचआईवी से ग्रस्त भारतीयों को एड्स होने का खतरा ज्यादा रहता है। शोध के अनुसार भारतीयों में इस विषाणु से प्रतिरोध करने की क्षमता काफी कम होती है। भारतीयों के शरीर में उपस्थित कुछ जीनों के कारण एचआईवी विषाणु जल्द ही एड्स में परिवर्तित हो जाता है।

हीमोफीलिया रोग का भी एचआईवी/एड्स संक्रमण बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें चोट लगने के कारण रक्त का प्रवाह रुकता नहीं है। इसे रोकने हेतु जरूरी एंटी हीमोफीलिक फैक्टर (एएचएफ) की दुर्लभता के कारण रोगी मजबूरन रक्त या फिर रक्त अवयव चढ़वा कर प्राण रक्षा कर लेते हैं। अतः संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। संपूर्ण भारत में वर्तमान में लगभग एक लाख दस हजार हीमोफीलिया के रोगी हैं। एंटी हीमोफीलिक फैक्टर कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाता था परंतु वर्तमान में यह सुविधा उससे छीन ली गयी है।

एचआईवी/एड्स पर हुए शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि यह संक्रमण यौनाचार से 70-80 प्रतिशत, ड्रग्स से 5-10 प्रतिशत, मां से बच्चे को 5-10 प्रतिशत तथा रक्त आदान-प्रदान से 3-5 प्रतिशत एवम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से 0.01 प्रतिशत से कम तक फैलता है।

भारत भूमि प्राचीन काल से ऋषि-मुनियों का देश रहा है। यहां सर्वत्र संयम की शिक्षा दी गयी है परंतु खेद है कि आधुनिकता की दौड़ में लोगों के मन-मस्तिष्क पर भौतिकतावाद हावी हो गया है और व्यक्ति उपभोक्तावादी बन गयी है। इस उपभोक्तावादी संस्कृति में सेक्स (संभोग) जैसे पवित्र कर्म (प्राचीन काल में यह संतानोत्पत्ति हेतु पवित्र कर्म था) को आज आनंद का माध्यम स्वीकार कर लिया गया है और 'स्त्री' तो आनंद की 'वस्तु' बनकर रह गयी है। चूंकि 70-80 प्रतिशत मामले यौनाचार से उद्‌भूत हैं अतः सिद्ध है कि हम उतने नैतिक नहीं हैं जितना दिखावा करते हैं। हमारा मन-मस्तिष्क पाक-साफ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि गांवों में एचआईवी/एड्स का संक्रमण शहरों की अपेक्षा अधिक है। जबकि गांवों को शहरों की अपेक्षा ज्यादा नैतिक माना जाता है। हालांकि इसके लिए केवल नैतिकता को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उसके और भी कारण हैं। मसलन शहरों की अपेक्षा गांवों में निरक्षरता ज्यादा है फलतः जागरूकता कार्यक्रम के तहत दीवारों पर लिये गये नारे (गौरतलब है कि गांवों में कभी-कभी दीवारों पर ये नारे 'अंग्रेजी' में भी लिखे हुए दिखायी देते हैं) उनकी बुद्धि से परे चले जाते हैं और वे एचआईवी/एड्स को जानते तक नहीं हैं। दूसरे शहरों की अपेक्षा गांवों में महिलाएं झिझक के कारण संभोग के दौरान पुरुषों को गर्भनिरोधक साधन अपनाने की हिदायत भी नहीं दे पातीं। कितनी तो घोर अशिक्षा और निरक्षरता के कारण जानती भी न होंगी तो यही कि यह गर्भ-निरोध का साधन क्या है। उन्हें यह पता ही न होगा कि यह एचआईवी/एड्स के संक्रमण को रोकता है। वस्तुतः वे जनसंख्या परिषद् द्वारा 'किशोरों के बीच यौन संबंध और प्रेम' विषय पर कराये गये एक अध्ययन में यह तथ्य उजागर हुआ है कि सामाजिक मर्यादाओं व अभिभावकों की कड़ी निगरानी की परवाह किए बगैर देश में विवाह पूर्व यौन संबंधों में इजाफा हो रहा है। 15-24 आयु वर्ग में 15 से 30 प्रतिशत लड़के 10 प्रतिशत लड़कियां ऐसे संबंध स्थापित कर रही हैं। इस अध्ययन से खुलासा हुआ है कि गांवों की अपेक्षा शहरों में इस तरह के संबंध ज्यादा पाये जाते हैं किंतु गांवों में भी अविविाहित यौन संबंध बनाने में पीछे नहीं हैं। गांवों में भी इस तरह के प्रकरणों में वृद्धि हो रही है।

असुरक्षित यौन संबंध-एचआईवी/एड्स को बुलावा

भारतवर्ष में एचआईवी/एड्स के प्रसार में अशिक्षा (निरक्षरता) का महत्वपूर्ण हाथ है। शिक्षा मनुष्य के ज्ञान चक्षु को खोलती है परंतु खेद की बात है कि भारत में अभी भी लगभग 35 प्रतिशत आबादी निरक्षर है। शिक्षित होने की बात तो बहुत दूर है। इसमें भी लगभग आधी महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं। तो ऐसी दशा में क्या एचआईवी/एड्स के लिए किया गया प्रचार इनकी समझ में आयेगा? क्या दीवारों पर लिखे गये नारों से इनका कोई वास्ता होगा? भारतीय समाज में वैसे भी परिवार में खुलकर यौन विषयक बातें करने की मनाही सी रहती है। ऐसे में निरक्षरों या अशिक्षितों को जानकर व्यक्ति भी एचआईवी/एड्स की जानकारी नहीं देते हैं। उन्हें अत्यंत सावधानीपूर्वक अपनी बातें करना खतरनाक होती है। उन्हें अत्यंत सावधानीपूर्वक अपनी बातों को समझाना पड़ता है।

शिक्षा का रोजगार से घनिष्ठ संबंध है। भारतवर्ष में अशिक्षित बेरोजगारी भी कम नहीं है। बेरोजगारी से भुखमरी की स्थिति आने पर लोग सेक्स को रोजगार का साधन बना लेते हैं। फलतः एचआईवी/एड्स के प्रसार में वृद्धि होती है। इस मामले में बच्चों और महिलाओं का विधिवत शोषण होता है। छोटे बच्चों को तो नियमों-कानूनों की जानकारी होती नहीं। फलतः उनका एक पक्ष तो कमजोर होता ही है दूसरे वे बड़ों की खिलाफत की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। पूरे देश में 10 अक्तूबर 2006 से लागू 'बाल श्रम निरोधक कानून' से उम्मीद है कि बच्चों के शोषण में कमी आनी चाहिए। रही बात महिलाओं की तो वे पेट की आग को बुझाने के लिए शारीरिक शोषण की अग्निपरीक्षा से भी गुजर जाती हैं। वात्सल्य प्रेमवश वे शाम को अपने बच्चों हेतु दो रोटी की जुगाड़ में शारीरिक शोषण की यातना को भी सहती रहती हैं।

जनसंख्या विस्फोट भी एचआईवी/एड्स के प्रसार में कम उत्तरदायी नहीं है। जनसंख्या विस्फोट वस्तुतः एक समस्या है जिससे संसाधनों के अभाव में लोगों के शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती और फलतः बेरोजगारी भी जन्म लेती है। फिर शुरू होता है दौर शोषण का और फलतः एचआईवी/एड्स के प्रसार कर।

तमाम अंधविश्वास के बाद अब भी भारतीय समाज में लोगों को यह विश्वास रहता है कि गर्भनिरोधक साधन से तुष्टि नहीं होती। यह धारणा भी एचआईवी/एड्स के प्रसार में वृद्धि करती है।

ग्रामीण भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी एचआईवी/एड्स के प्रसार हेतु उत्तरदायी है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में संक्रमण दर दोगुनी होती है ऊपर से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का ज्यादा अशिक्षित होना। फलतः आज सबसे ज्यादा एचआईवी/एड्स से स्त्रियां ही संक्रमित हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों को हमेशा दोयम दर्जे का माना गया है। समाज में व्याप्त लैंगिक असमानताएं स्त्रियों को इस रोग के बारे में ज्यादा बातचीत और जानकारी हासिल करने से रोकती हैं। समाज में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति पुरुषों से कमजोर है। प्रायः समाज के ज्यादातर संसाधनों पर पुरुषों का कब्जा है। फलतः वे स्त्रियां को केवल सेक्स का साधन मानकर अपनी मनमर्जी से उनका शोषण करते हैं। पुरुषों की आर्थिक सत्ता ही प्रायः उन्हें विवाहेत्तर संबंध स्थापित करने हेतु प्रेरित करती है और स्त्रियों की आर्थिक विपन्नता ही उन्हें शोषण के जाल में फंसाती है।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, योग-साधना का महत्व, स्वयंसेवी संगठनों के प्रयास शिक्षा का प्रसार जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण ही इस समस्या से निपटने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। ⌘

(लेखक दूजा देवी महाविद्यालय, बलिया (उ.प्र.) में प्रवक्ता हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

DISHA - The IAS Academy
(Grooming all for the Civil Services)

Under the guidance of its Academic Directors **Dr. M.N. Singh** (English Medium) **प्रणव कुमार** (निदेशक हिन्दी प्रकोष्ठ), **DISHA** has secured over **28 selections** in 2005 IAS Examination.

SUBJECTS OFFERED
ENGLISH & हिन्दी

POL. SCIENCE & IR	भूगोल
GEOGRAPHY	इतिहास
HISTORY	समाजशास्त्र
SOCIOLOGY	राजनीति शास्त्र
PUB-AD	दर्शनशास्त्र
ECONOMICS	लोकप्रशासन
	अर्थशास्त्र
	हिन्दी साहित्य

At **DISHA** the aspirants are groomed for accomplishment and engineered for success. It is a tribute to our dedicated and learned faculty from

JNU, DU, & the IITs

GENERAL STUDIES
ENGLISH/ हिन्दी माध्यम

Numerous aspirants have benefitted from our holistic **G. S.** package. The integrated package is broken into **'Modules'** and taught by the subject expert.

Indian Constitution & Polity and Current Affairs	:	**Dr. M. N. Singh.**
History & Culture -	:	**S.S.Yadav**
Geography & Environmental Issues:		**Pranav Kumar**
Indian Economy -	:	**J. Krishna**
Statistics & Mental Ability -	:	**S. P. Singh**
General Science & Technology	:	**Pranav Kumar**

The subject-expert G. S. Team of **DISHA** has successfully groomed the aspirants through class lectures and **Basic, Advance** or **Model test series.** Every aspirant can benefit from **DISHA** faculty and become the Indian bureaucrat of tomorrow.

MAIN BRANCH

FOUNDATION COURSE : 2007, 08 & 09

BATCHES COMMENCE ON : 18th Oct., 13th Nov. & 27th Nov.

POSTAL GUIDANCE ENGLISH MEDIUM: G.S, Pol. Science, Geography, History, Economics,

पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम): भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य, सामान्य अध्ययन,

MAIN FEATURES OF THE COURSE ARE :

(i) 500+ hrs of classroom lectures

(ii) Revised and updated study materials

(iii) Conceptual Clarity through the regular tests

2003-(11), 2004-(16); **& 2005 PERFECT GROOMING AT DISHA, SOME OF OUR LUMINARIES**

RANK 109 - SHUDHANSU D. MISHRA
RANK 156 - ABHISHEK KUMAR
RANK 186 - G. S. P. DAS
RANK 244 - ANUP KUMAR SAHOO

& MANY MORE

Our Specialized faculty also provides excellent classroom guidance for UGC (JRF/NET)

Note: Fee Concession to SC/ST Candidates **(Hostel Facilities Available)**

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- Favouring Disha - The IAS Academy

Head Office : 585, 1st Floor, Jay Pee Complex, Bank Street, Munirka, N.D. -110 067,

Ph.: 011-65640506/07 Mob. 09818327090, E-mail : disha_the_ias_academy@yahoo.co.in

Jaipur Branch Office : 502, 5th Floor, Pink Tower, behind Sahara Chamber, Tonk Road Jaipur. Ph. 0141-3298887, Mob. 09351447086

KH-12/06/02

एड्स : जब वायरस आ ही जाए

इंदु जैन

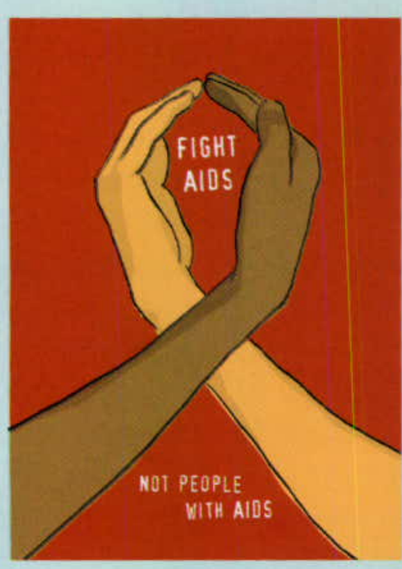

आज जो पैदा हुआ है, उसे मरना है – चाहे वह रोगी हो या निरोगी। इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। हां, इतना जरूर किया जा सकता है कि जितना भी जिएं, सार्थक ढंग से जिएं। आपस में प्यार बांटे और कोशिश करें कि हमारे बाद हम पर आश्रित बच्चे और बुजुर्ग किसी तंगी में न जिएं, उनके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन हों।

एचआईवी मौजूद व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे काम करते रहना चाहिए। इस आधार पर उसे कोई नौकरी से निकाल भी नहीं सकता।

ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी लड़ाई उस वायरस (विषाणु) से है न कि उस व्यक्ति से जिसके शरीर में वायरस घर कर गया है। कई बार एचआईवी मौजूद व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार होता है। लोग उनसे मिलने-मिलाने से घबराते हैं। वे उनसे व उनके परिवार वालों के साथ तरह-तरह का भेदभाव करने हैं। भारत में तो एकाध बार एचआईवी मौजूद व्यक्ति की हत्या तक कर दी गई है।

इस तरह की प्रक्रियाओं से तो एड्स का खतरा और बढ़ेगा। साथ ही हमारे बीच असुरक्षा, डर और तनाव बढ़ेगा। डर के मारे कोई भी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति किसी को बताएगा नहीं और अपना इलाज भी नहीं कराएगा। यह सबके लिए खतरनाक है।

आज जब एचआईवी/एड्स तेजी से फैल रहा है खासतौर से युवाओं में तो हमें अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं में बदलाव लाना होगा, इस दशा से निपटना होगा। इसके साथ जीना सीखना होगा।

यदि एचआईवी हमारे किसी प्रियजन के शरीर में आ ही गया हो, तो एचआईवी मौजूद व्यक्ति और उसके संबंधियों-साथियों के लिए स्थिति को स्वीकार करना ही बेहतर होगा। एचआईवी मौजूद व्यक्ति सात-आठ सालों तक तो स्वस्थ रहता है और सामान्य ढंग से जी सकता है। लेकिन यदि वह व्यायाम, साधना और समय पर पौष्टिक आहार लें तो 12 से 15 साल तक भी स्वस्थ और सुखी रह सकता है। बाड़ा हिन्दुराव अस्पताल में कार्यरत एचआईवी मेडिकल काउंसलर मनीषा का मानना है कि मरीज को स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। यदि हल्का-सा खांसी-जुकाम हो जाए तो भी उसे तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। परिवार वाले भी उसकी अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक देखरेख करें। साथ ही मरीज सिगरेट, शराब आदि नशीले पदार्थों से दूर रहे।

पुरुष और महिला दोनों की बराबर भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे उच्च जोखिम व्यवहार को नियंत्रित करें जो एचआईवी संक्रमण फैला सकते हैं। दोनों के पास यौन संबंध अस्वीकार करने या सुरक्षित यौन संबंध चुनने का अधिकार है। ज्यादातर हमारे पुरुष प्रधान समाज में संभोग

किससे और कैसे किया जाए, यह फैसला भी पुरुष के हाथ में होता है। ऐसे में मामलों में पुरुषों को अपने यौन व्यवहार के प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए।

यौन जनित रोगों एसटीडी (सेक्सुअल ट्रांससिटेड डिसीज) द्वारा होने वाले जननांगों के घावों से एचआईवी संक्रमण आसानी से हो जाता है। आंतशक (सिफलिस), लैंगिक परिसूत्र, फैबरॉइड, सुजाक आदि कुछ यौन जनित रोग हैं। प्रजनन तंत्र संक्रमण और यौन रोगों के होने की दशा में एचआईवी संक्रमण की संभावना 2 से 10 गुणा ज्यादा हो जाती है। इसलिए इन रोगों का तुरंत इलाज कराना जरूरी है।

एचआईवी मौजूद व्यक्ति को बच्चा पैदा करना है या नहीं, इस पर गंभीरता से फैसला लेने की जरूरत होती है। एचआईवी मौजूद औरत से भ्रूण और बच्चे में एचआईवी प्रवेश करने की 33 फीसदी संभावना बढ़ जाती है। यानि 3 में से एक प्रसव में एचआईवी प्रमुख होता ही है। यदि महिला एड्स की अंतिम अवस्था में है तो शिशु को संक्रमण का संभावित खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान एचआईवी संक्रमण की संभावना 15 फीसदी, जन्म के समय माँ के रक्त या योनिस्राव से 8 फीसदी और स्तनपान से भी एचआईवी का संचरण होता है। हालांकि माँ के दूध में बहुत खारे ऐसे पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं जो नवजा. शिशु के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए एचआईवी संक्रमित माँ को चाहिए कि वह बच्चे को अपना दूध उबालकर पिलाए। उबलने पर दूध में व्याप्त वायरस मर जाते हैं और बच्चा संक्रमण से बचा रहता है।

बच्चा कहीं एचआईवी से ग्रसित तो पैदा नहीं हुआ इसका पता बच्चे के जन्म के अठ्ठारह महीने बाद ही लगाया जा सकता है। पहले 18 माह तक बच्चे में माँ को एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन उससे बच्चे में संक्रमण का पता नहीं लगाया जा सकता। संक्रमण की अनुमानित तिथि से एंटी बोडीज के रक्त में प्रवेश करने से (एचआईवी जांच) में 6 से 12 माह का समय लगाता है, इसे अस्पष्ट अवधि कहते हैं। इसकी जांच दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के किसी भी स्वैच्छिक परामर्श एवं गोपनीय जांच केंद्रों (वीसीसीटीसी) में की जाती है।

स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, दन्त चिकित्सक, परिचारिकाएं तथा प्रयोगशाला में काम करने वाले लोगों को एचआईवी संक्रमण का खतरा बना रहता है क्योंकि वे रक्त और शारीरिक द्रवों के लगातार संपर्क में रहते हैं। इसलिए वे किसी घायल व्यक्ति के उपचार के समय हाथों में दस्तानों का प्रयोग करना व भूलें।

दाड़ी बनाते समय भी कई बार छोटे-छोटे घाव हो जाते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त ब्लेड के तुरंत बाद ही यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग करता है तो सैद्धान्तिक रूप से एचआईवी संक्रमण का कुछ प्रतिशत तो जोखिम अवश्य है। यदि ब्लेड पर लगा रक्त सूख गया है तो एचआईवी निष्क्रिय हो जाता है। एचआईवी मनुष्य के शरीर में दाखिल होते ही अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है और रोगों से लड़ने की शक्ति कम करने लगता है। इससे वह जुकाम, निमोनिया, तपेदिक, कवकीय संक्रमण और यहां तक कि कैंसर की चपेट में भी आ सकता है। इन रोगों के लक्षण एड्स के दर्शाते हैं।

एचआईवी और एड्स में फर्क जानें-एचआईवी (हयूमन इम्यूनो डेफीशिएंसी वायरस) एक विषाणु है। यह विषाणु इतना सूक्ष्म होता है कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये विषाणु दो प्रकार के होते हैं- एचआईवी-1, एचआईवी-2। दोनों के ही संक्रमण से एड्स हो जाता है। भारत में एड्स अधिकत्तर एचआईवी-2 के कारण होता है। यह विषाणु जिस व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, उसे एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति कहते हैं यह विषाणु इंसानों के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत कम कर देता है। एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफीशिएंसी सिन्ड्रोम) उस स्थिति को कहते हैं जब इंसानों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम या बिल्कुल खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति को कई बीमारियां घेर लेती हैं। इन्हीं बीमारियों के कारण उसकी जान को खतरा हो जाता है। वैज्ञानिक अब तक कोई ऐसी दवा नहीं निकाल सके एचआईवी को मारा जा सके। यह एचआईवी हमारे शरीर में पाए जाने वाले टी-सेल्स को अपना निशाना बनाता है। दो टी-सेल्स हमारे शरीर के सुरक्षा-तंत्र है जो रोग के कीटाणुओं के शरीर में घुसते ही उन पर हमला बोल देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसी वजह से हम हमेशा बीमार नहीं रहते। एचआईवी का वायरस इन टी-सेल्स को खत्म कर देता है। जब शरीर में टी-सेल्स की संख्या बहुत कम रह जाती है तो उसे एड्स केस मान लिया जाता है। 7-8 वर्षों तक तो एचआईवी मौजूद व्यक्ति से महसूस करते हैं और दिखते हैं। इसी कारण एचआईवी मौजूद व्यक्ति एड्स की दशा वाले व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक है। वे जाने-अनजाने उन विषाणु को फैला सकते हैं, असुरक्षित सेक्स के जरिए, सुइयों के जरिए या अपना खून देकर। सिर्फ खून की जांच से ही पता चल सकता है कि किस व्यक्ति में एचआईवी मौजूद है।

अनेक गैर-सरकारी संगठन उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे यौन-कर्मियों, ट्रक ड्राइवरों, समलैंगिक यौन संपर्क करने वाले पुरुषों, प्रवासी श्रमिकों और युवाओं में एचआईवी एड्स निवारण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों को इन क्षेत्रों के हस्तक्षेपों को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है।

भारत में एड्स की स्थिति गंभीर है। अब यह संक्रमण सिर्फ उच्च जोखिमों समूहों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि आम आदमी में फैल रहा है। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में प्रकाश में आया। नाको (एनएसीओ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2005 के अंत तक भारत में करीब एक लाख व्यक्ति एचआईवी/एड्स संक्रमित थे। एड्स के बढ़ते जोखिम को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास करना आवश्यक हो गया है।

जब तक कोई टीका या उपचार तलाश नहीं कर लिया गया, तब तक रोकथाम के उपायों से ही इस बीमारी का प्रचार रोका जा सकता है। लोगों को ज्ञान, जानकारी और कौशल प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि वे इस संक्रमण में बच सकें। ⌘

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ग्रामीण विकास और मीडिया

अरविंद कुमार सिंह

संचार क्रांति के चलते पिछले बीस सालों में दुनिया जितनी तेजी से करीब आयी है और जितने परिवर्तन हो रहे हैं उतने पांच हजार सालों के इतिहास में भी नहीं हुए हैं। अखबार भी पहले जैसे खुरदुरे नहीं है। उनके दाम भी कई सालों से ठहरे हैं और कई अखबारों के दाम तो उलटे घट गए हैं। देश के करीब हर राज्य में ग्रामीण इलाकों में अखबारों और पत्र पत्रिकाओं ने अपनी पहुंच बना ली है। टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, फोन और संचार के कई साधन हमारे गांवों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इन साधनों ने हमें खबरों के जितना करीब पहुंचा दिया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। समाचारपत्रों और चैनलों ने कई लक्षित समूहों को ध्यान में रख कर नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए कालम से लेकर ज्योतिष, स्वास्थ्य और फैशन जैसे कई परिशिष्ट भी निकाले जा रहे हैं। भारत जैसे विशाल आबादी के देश में जहां हर तरीके का ग्राहक मौजूद हो, वहां ऐसा किया जाना स्वाभाविक है। पर सबसे चिंता की बात यह है कि देश में ग्रामीण विकास का क्षेत्र कभी भी मुख्यधारा की मीडिया की मुख्य चिंता का विषय नहीं बन पाया है।

वास्तव में मीडिया का असली केंद्र महानगर और नगर ही हैं। ऐसे में ग्रामीणों की बहुत अधिक उपेक्षा हो रही है। भारत में शहरी आबादी 27.15 करोड़ की तुलना में ग्रामीणों की आबादी 74.07 करोड़ है। पर विशुद्ध व्यावसायिक नजरिए के चलते खास कर बड़े अखबार देहात की जितनी उपेक्षा कर सकते हैं, कर रहे हैं। कुछ सनसनीखेज देहाती अपराध कथाओं को छोड़ दें तो व्यापक जनमानस को प्रभावित करनेवाले ग्रामीण अंचल से जुड़ी खबरें मीडिया की नजरों से ओझल हैं। इन अखबारों से गांव के लोग दुनिया भर की खबरें तो पा जाते हैं, पर अपने आसपास हो रहे बदलाव की खबरों से वे वंचित रहते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण विकास में मीडिया बहुत कारगर हथियार बन सकता है। पर यह तकलीफ की बात है कि हाल के सालों में काफी साधनसंपन्न और विकसित हुए कई बड़े अखबार और चैनल अपनी इस भूमिका के प्रति बहुत उदासीन हैं। धीरे-धीरे खबरों का एक अलग तेवर दिख रहा है। अगर किसी सूबे के तबाह किसान हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचते हैं तो अब इसे नोटिस में भी नहीं लिया जाता है पर सी आई आई या फिक्की के नेता अगर चार लाइन की चिट्ठी भी सरकार को लिख दें तो वह हर जगह पहले पेज पर नजर आ सकती है। यही नहीं किसी कारोबारी घराने के विवाद को तो कुछ अखबारों में चंद दिनों में इतनी जगह मिल जाती है, जितनी शायद साल भर में देहात को मिलती हो।

महानगरों से निकलनेवाले अखबारों से इस मामले में खास निराशा होती है। ये अखबार ही भारत सरकार से सबसे ज्यादा विज्ञापन हासिल करते हैं। पर देहातियों के साथ अगर कोई खड़ा दिखता है तो वह छोटे नगरों का अखबार है पर उसकी पहुंच और पकड़ सीमित है और उसकी आवाज नीति-निर्धारकों के पास तक नहीं पहुंचती है। रेडियो और दूरदर्शन जरूर बड़े अखबारों की तुलना में ग्रामीणों के लिए अधिक उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसी तरह 'ग्रासरूट', 'कुरूक्षेत्र', 'खेती' 'उ.प्र. संदेश', 'कृषक समाचार', 'फल-फूल' और 'कृषि चयनिका' जैसे प्रकाशन भी किसानों और देहाती जनमानस के लिए उपयोगी साबित हो रहे है। सरकारी प्रकाशनों में काफी महत्वपूर्ण और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अखबार ग्रामीण भारत, जो पंचायतों तक पंहुचता था वह हाल में वितरण जैसी बाधाओं की आड़ में बंद कर दिया गया है।

भारत में नियोजित विकास प्रक्रिया के चलते कई क्षेत्रों में तस्वीर बदली है। आज हमारी साक्षरता दर 65 प्रतिशत हो गयी है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, पर गरीबी और विषमता भी बहुत बड़े स्तर पर विद्यमान है और कई सामाजिक सूचकांकों में प्रयास के बावजूद मामूली परिवर्तन ही हो पाया है। 1985-86 से अब तक 25,000 करोड़ रुपये खर्च करके कुल 124 लाख मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बने, पर जमीनी हालत यह है कि आज भी देहात में करीब पचास लाख परिवारों के पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं है। वहां 3.11 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी है। 1.26 करोड़ आबादी प्रतीकात्मक मकानों में तथा 63 लाख लोग बेहद जर्जर मकानों में रह रहे हैं। यही नहीं भारत में कुल 8.25 लाख ग्रामीण बस्तियों में से करीब 3.30 लाख बस्तियों के पास केवल मौसमी रास्ते ही हैं। देहाती आबादी का 39 फीसदी हिस्सा एक कमरे के मकान में रह रहा है। कुल 30.2 फीसदी के पास दो कमरे और 26.7 फीसदी के पास तीन कमरे के मकान हैं देहात में कुल 81 फीसदी लोगों के पास अपनी पेयजल सुविधा नहीं है। शौचालय कुल 22 फीसदी लोगों के पास है। बिजली की हालत किसी से छिपी नहीं है, जिन गांवों में यह पहुंची भी है, वहां उसकी बेहद अविश्वसनीय आपूर्ति है।

देश में गरीबी 36 फीसदी से घट कर अब 26.1 प्रतिशत रह गयी है, पर यह आंकड़ा भी विवादों के घेरे में है। एक डालर से कम आय पर अपना गुजारा करनेवाले व्यक्तियों की भारत में जितनी आबादी है, उस हिसाब से निर्धनता की दर 39 प्रतिशत मानी जा रही है। देश के आधे निर्धन गांवों में रहते हैं। इन सारे तथ्यों के आलोक में ग्रामीण विकास में मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।

ग्रामीण विकास का सबसे अहम पक्ष है खेती बाड़ी की तरक्की। हाल के सालों में खेती को करारा झटका लगा है। सब्सिडी कम हो रही है और कृषि आदानो की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में कई इलाको में खेती किसानों के लिए भारी घाटे का सौदा बन रही है। कई और बदलाव भी हाल के सालों में देहाती समाज में दिख रहे हैं। भारत की समूची श्रमशक्ति का करीब 60 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में ही काम कर रहा है और देश के 80 प्रतिशत निर्धन रोटी-रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है। ऐसे लोगों में अधिकतर छोटे किसान हैं। जिनके पास सीमित जोत है और उनकी श्रम उत्पादकता उनको केवल जिंदा रख सकती है, बेहतर जीवन नहीं प्रदान कर सकती है। इस तस्वीर के बीच में भूमिहीन किसान की दशा का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनकी आजीविका का स्रोत केवल मजदूरी ही है। यह बहुत सुखद बात है कि देश के चुनिंदा 200 जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गयी है, अन्यथा आने वाले वर्षों में इस वर्ग का सबसे बुरा हाल होता।

दसवीं योजना में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की उच्च प्राथमिकता दी गयी है ताकि कृषि क्षेत्र वार्षिक चार प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर सके। पर अभी तक जो तस्वीर दिख रही है, वह बहुत आशाजनक नहीं है। कृषि की विकासदर लगातार झटके खा रही है। दसवीं योजना के तीन सालों में यह 1.2 रह गयी है। भूमंडलीकरण के इस दौर ने भारत के किसानों को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके लिए वे मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली भी हाल के सालों में प्रभावित हुए है ऐसे में गरीब किसानों के पास कर्ज में डूबने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहा। यही कारण है कि कई प्रांतों में किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्याएं तक की है। देहाती समाज का ताना-बाना आज भी काफी मजबूत है, ऐसे में आत्महत्याओं की नौबत तक आना निश्चय ही बहुत गंभीर चिंता की बात है। चिंताजनक पक्ष है कि देश के कई हिस्सों में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है। मजबूरी में उसे अपनी फसलों को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है। ऐसा किसी और उत्पाद के साथ नहीं हो रहा है। ये सब गंभीर चिंता के विषय हैं, पर मीडिया को इसकी चिंता नहीं दिखती है।

हाल के सालों में संचार क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। पर इस क्रांति की रफ्तार असल में मुख्य रूप से शहरों के आसपास ही केंद्रित है। अकेले अप्रैल से दिसंबर 2004 के बीच भारत में 1.63 करोड़ फोन लगे जिसमें से 1.40 करोड़ मोबाइल थे। इसमें भी गांवों मे लगे फोनो की कुल संख्या थी मात्र 7.65 लाख। फिर भी गांवों में संचार सुविधाएें विकसित हो रही हैं और गांव बदल रहे हैं। पहले गांवों की संचार दुनिया बहुत छोटी थी. हरकारा, चिट्ठी, रिश्तेदार, हाट-मेले और दूर दराज से आनेवाले दुकानदार तथा साधु-सन्यासी या फकीर ग्रामीणों तक खबरें पहुचाते थे. मध्यकाल में अकबर जैसे बादशाह ने संदेश जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए कि उनकी बेगम को बेटा पैदा हुआ या बेटी, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए थे। वे आवाज देकर एक दूसरे को संदेश आगे भेजते थे। इसी तरह 1857 में हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविक और विस्तृत रिपोर्ट तीन महीने के बाद लंदन पहुंची थी।

समाचार पत्रों की भूमिका

शहरों में भले ही अखबारों और पत्रकारों को लेकर धारणाऐं बदल रही हों पर देहात में ही आज भी छपे शब्दों को सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। आम ग्रमीण की धारणा है कि अगर छपा है तो गलत हो ही नहीं सकता है। इस विशाल भरोसे के बावजूद बहुत कम अखबार ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों की आवाज बन रहे हैं। यह अलग बात है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के विस्तार के बावजूद अखबारों का प्रसार भी लगातार बढ़ रहा है। टेलीविजन चैनलों ने जरूर कुछ अखबारों का राजस्व प्रभावित किया है, पर बड़े अखबार इससे एकदम प्रभावित नहीं हुए हैं। देश में विभिन्न श्रेणी के कुल 55 हजार से ज्यादा अखबार निकल रहे हैं जिनकी गली-कूचों तक पहुंच है. उ.प्र. में ही अकेले 2.8 करोड़ अखबार बिक रहे हैं।

आरएनआई की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया की चुनौती का अखबारों के प्रसार पर कोई असर नहीं पड़ा और विस्तार से खबरें जानने का साधन आज भी अखबार ही बने हुए हैं। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि बड़े अखबार और चैनल महानगरों या उसके आसपास ही केंद्रित हैं। पर नीति-निर्धारकों की पहली पसंद यही बने हैं। हमारे यहां कंप्यूटर साठ के दशक में आये पर अब वे कस्बे और देहात तक में पहुंचते जा रहे हैं। संचार हाट भी कस्बों तक पहुंच बना रहे हैं। सभी प्रमुख हिंदी अखबारों की अपनी बेवसाइट भी बन गयी है, जिसके पाठक भी लगातार बढ़ रहे हैं। इन बड़े अखबारों और खास तौर पर राष्ट्रीय अखबारों में देहाती जनता की लगातार उपेक्षा हो रही है और ग्रामीण विकास के मुद्दे हाशिए पर रहते हैं। यह अलग बात है कि आजादी के आंदोलन और आजादी के बाद चले किसान आंदोलनो में कई अखबारों ने बहुत महत्व की भूमिका निभायी। 1987-88 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में 'अमर उजाला' ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। 'अमर उजाला' प्रबंधन ने सरकारी कोपभाजन बन कर भी तब किसानों के सरोकारों से जुड़ने का फैसला किया। उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं और आंदोलन की पृष्ठभूमि को बहुत बेबाकी से उठाया। इसके चलते अन्य अखबारों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों तक को गांवों तक पहुंचने को मजबूर होना पड़ा था। पर यह तेवर केवल आंदोलन तक ही बना रहा। इसके बाद जो फालोअप होना था, वह नहीं हुआ।

यह चिंताजनक पक्ष है कि आज अखबारों पर व्यावसायिकता लगातार हावी होती जा रही है और वे सामाजिक सरोकारों से कटते जा रहे हैं। अखबार केवल उत्पाद बनता जा रहा है इसके साथ ही अखबारों में एक अजीब सी अंधी दौड़ शुरू हो गयी है, अपराध के महिमामंडन की होड़ में गांवों की सफलता की कहानियां और देहाती समाज की दिक्कतें गायब हो गयी हैं। केवल सनसनी फैला कर ही मीडिया अपना कर्तव्य नहीं निभा सकता है।

आज देश के सर्वाधिक बिक्रीवाले 10 प्रमुख समाचार पत्रों में 'दैनिक जागरण', 'दैनिक भास्कर', 'मलयाला मनोरमा', 'दैनिक थांती', 'अमर उजाला', 'इनाडु', 'लोकमत', 'मातृभूमि', 'हिंदुस्तान', 'टाइम्स आफ इंडिया' आते हैं। एनआरएस सर्वे 2003 में 25 संस्करणों के साथ 'जागरण' के पास 1.57 करोड़ पाठक हो गए हैं और दैनिक भास्कर के पाठकों की संख्या 1.36 करोड़ हो गयी है। 'अमर उजाला' के पास भी करीब 86 लाख पाठक हो गए हैं। कुछ साल पहले तक यूपी के अखबार माने जाने वाले जागरण और अमर उजाला तथा म.प्र. के अखबार के रूप में मशहूर दैनिक भास्कर ने देश के कई हिस्सों में और देहात में अपनी पैठ बनायी है।

इनका असर भी काफी है। पर इनमें से ज्यादातर अखबारों में राजनीति, अपराध और अन्य गतिविधियों को सर्वाधिक जगह मिल रही है। इन अखबारों के तमाम परिशिष्ट भी निकल रहे है, पर खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास पर अगर अखबारों में सही तरीके से जानकारी मिल रही है और देहाती दुनिया से जुड़े अनुसंधानों की जानकारी दी जा रही है तो वे हिंदू और ट्रिब्यून और कुछ क्षेत्रीय अखबारों में ही दी जा रही हैं।

संचार माध्यमों में हिंदी और भारतीय भाषाएं बेहद ताकतवर होती जा रही है. आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर अखबार और टीवी समूह 'इनाडु' टेलीविजन ने हिंदी में भी अपना चैनल शुरू किया और केरल के सबसे लोकप्रिय समूह 'मलयाला मनोरमा' भी किसी न किसी बहाने हिंदी में अपना असर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इन दोनों समूहों की अपनी खास विश्वसनीयता है। हिंदी की पकड़ भी बहुत तेजी से बढ़ी है। आज दुनिया के किसी कोने में घटी घटना दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं जाती बल्कि सबको प्रभावित भी करती है। पिछले तीन दशकों में जनसंचार माध्यमों का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है और भूमंडलीकरण ने दुनिया की सरहदों को समाप्त सा कर दिया है। देश में हिंदी भाषी इलाकों में साक्षरता के बढ़ने के कारण संचार माध्यमों ने हिंदी पर और जोर दिया है। हिंदी अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं की पहुंच ऐसे इलाकों में भी बढ़ी है, जहां पहले उसका दायरा अहुत सीमित था। आज पंजाब में हिंदी के कई अखबार चल निकले हैं तथा बंगाल और असम में भी हाल के सालों में जो हिंदी के अखबार निकले उनकी खासी प्रसार संख्या हो गयी है।

दूरदर्शन

भारत में जनसंचार माध्यमों में आज भी आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्रों का मुख्य स्थान बना हुआ है। हिंदी भाषी आबादी देश की कुल आबादी के आधे से भी ज्यादा है। भारत में जो राज्य अहिंदी भाषी हैं, वहां भी हिंदी के जानकारों की संख्या बहुत अधिक है। रेडियो, टेलीविजन और संचार माध्यमों में हिंदी के बड़ी संख्या में दर्शक और श्रोता हैं।

आज के संचार माध्यमों में छोटा परदा काफी प्रभावी है। संचार माध्यमों में वह भले ही सबसे आगे न हो पर बाकी को वह पीछे धकेल रहा है। हमारे यहां पहला टेलीविजन केंद्र दिल्ली में सितंबर 1956 में शुरू हुआ और उसका कुल दायरा 24 किलोमीटर तक सीमित था पर आज पूरा देश इसके दायरे में है। दूरदर्शन संकेत सारे देश में उपयुक्त डिश एंटीना का उपयोग करके उपग्रह या केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है। संचार माध्यमों की तीनों बुनियादी अवधारणाओं मनोरंजन, सूचना और शिक्षण तीनों में टीवी खरा उतरा है।

आज हमारे गांवों में भी टीवी का खासा प्रसार हुआ है तथा कई कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुए हैं। पर बिजली की समस्या के चलते गांवों में काफी दिक्कत आ रही है। इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च आन मास मीडिया के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कहा गया कि 2003 में अप्रैल माह में देश में कुल 32.07 फीसदी गांवों तक टीवी की पहुंच हो गयी थी, जबकि यह 2001 में 30.68 फीसदी थी। जिन गांवों तक टीवी का प्रसार हो गया उनमें 46.73 फीसदी घरों में टीवी सेट स्थापित हो चुके थे। पर सिक्किम में 7.38 और केरल में 83.51 फीसदी सेट घरों में पहुंचे।

मगर देहाती समाचार चैनलों को देखने से बचते हैं समाचार आधारित कार्यक्रमों में उनके लिए कुछ खास नहीं होता है। इसी नाते ग्रामीण दर्शकों पर वे बहुत सीमित प्रभाव डाल रहे हैं। पर ग्रामीण विकास से जुड़े कई समाचार तथा विकास गाथाएं दूरदर्शन पर जरूर दिखती हैं और लोगों तक असर भी डालती हैं। यह उल्लेखनीय है कि टेलीविजन चैनलों के समाचार आधारित कार्यक्रम गांव के लोगों को नहीं लुभा रहे हैं। वे इस मामले में अखबारों को ही सर्वाधिक विश्वसनीय मानते हैं और विस्तार से समाचार उसी से तलाशते हैं। पर यह दुर्भाग्य है कि देहाती लोग जिस माध्यम को सर्वाधिक विश्वसनीय मानते हैं, वे ही उनका ध्यान नहीं रखते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि ग्रामीण योजनाओं की केवल सतही जानकारी ही टीवी से मिल पाती है। देहातियों को सबसे ज्यादा फिल्में और सीरियल पसंद हैं। कृषि कार्यक्रमों के दर्शक स्वाभाविक तौर पर गांवों में सर्वाधिक है।

1995 में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क की पहुंचवाले 24.7 करोड़ दर्शकों में से 8.8 करोड़ ग्रामीण थे। मगर इस दौरान देहाती दर्शकों की संख्या 70 फीसदी बढ़ी। 2002 तक ग्रामीण दर्शकों की संख्या बढ़ कर 12 करोड़ और 2003 के राष्ट्रीय पाठकगण सर्वेक्षण में बढ़कर 14.30 करोड़ हो गयी। प्रसार भारती ने 21 जनवरी 2004 से किसान चैनल शुरू किया। यही नहीं उन 15 राज्यों में जहां टीवी कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है, वहां पर गांवों में सार्वजनिक संस्थानों जैसे आंगनवाड़ियों, स्कूलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायतों तथा सहकारी समितियों में 10,000 केयू बैंड डिश एंटीना सेट को मुफ्त स्थापित करने की योजना भी बनायी गयी है। जो तस्वीर दिख रही है, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है, अगर दूरदर्शन और टीवी चैनल ग्रामीण भारत पर फोकस करके कुछ ठोस पहल करें।

आकाशवाणी

दूरदर्शन तथा हाईटेक चैनलों की तुलना में आकाशवाणी का महत्त्व आज भी देहात में सबसे अधिक बरकरार है। गावों में अभी भी 90 फीसदी लोग आकाशवाणी के समाचारों तथा कार्यक्रमों से ही ज्ञान और मनोरंजन हासिल करते हैं। ग्रामीण विकास में रेडियो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत में रेडियो का इतिहास 1924 में शुरू होता है। आजादी मिलने के समय देश में छह रेडियो स्टेशन तथा 18 ट्रांसमीटर थे। तब देश की 11 प्रतिशत आबादी और मात्र 2.5 प्रतिशत क्षेत्र इसके प्रसारण दायरे में आता था। आज रेडियो नेटवर्क में 215 स्टेशन और 337 ट्रांसमीटर हैं। देश की 99.13 प्रतिशत जनसंख्या और 91.42 प्रतिशत क्षेत्र इसके दायरे में आता है। शार्ट वेव सेवा के जरिए आकाशवाणी कवरेज पूरे देश में पहुंच गया है। भारतीय रेडियो आज 24 भाषाओं और 146 बोलियों के माध्यम से 97 फीसदी लोगों तक पहुंच रहा है। यह एक ताकतवर माध्यम है और राष्ट्रीय निर्माण तथा ग्रामीण विकास में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। रेडियो के कृषि संबंधी कार्यक्रमों ने कई ऐसे अभियान चलाये हैं जो सफल रहे और ग्रामीण विकास के लिए बहुत मददगार रहे। हरित क्रांति की सफलता तथा गुजरात में श्वेत क्रांति में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरित क्रांति में बौनी प्रजातियों ने अनूठी भूमिका निभायी थी और इन प्रजातियों को लोकप्रिय बनाने को काम आकाशवाणी ने किया था, और तो और इन प्रजातियों का नाम ही रेडियो प्रजाति पड़ गया। इससे देहाती दुनिया में रेडियो की लोकप्रियता को सहज अंदाज लगाया जा सकता है।

सभी आकाशवाणी केंद्र ग्रामीण विकास, खेती बाड़ी और घरों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं और गांव-देहात अरसे से रेडियो के एजेंडे में रहा है। किसानों तथा अन्य वर्गों को इसका फायदा भी पहुंचा है। रेडियो में स्थानीय जरूरतों और सर्वेक्षण पर आधारित, विशेष लक्षित श्रोता होते हैं तथा ऐसे समय तय किए गए ताकि वे उनको सुन सके।

भारत में रेडियो को एक नियमित आय प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 1924 से डाक विभाग द्वारा रेडियो लाइसेंस जारी कर कर फीस वसूलने का काम शुरू हुआ था। लाइसेंस प्रणाली 1985 तक चलती रही। वैसे तो 31 जुलाई 1924 से मद्रास प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब ने छोटे-मोटे कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था पर भारत रेडियो का नियमित प्रसारण 23 जुलाई 1927 से बंबई से इंडियन ब्राडकास्टिंग कंपनी द्वारा शुरू किया था। बाद में बीबीसी की तकनीकी मदद से भारत में रेडियो के विकास के कई प्रयास हुए। गावों में रेडियो की लोकप्रियता बढ़ने के नाते

ही तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेडियो लाइसेंसों को और सरल तथा उदार बनाया गया और लाइसेंस जारी करने की सुविधा उपडाकघर स्तर तक प्रदान कर दी गयी। 1 मई 1961 से सरकार ने दूरदराज गांवों के अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को भी रेडिया लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया। रेडियो की लोकप्रियता दूर देहात तक बढ़ने के नाते सरकार ने लाइसेंस प्रणाली में कई सुधार किए। देहातों में रेडियो को और विस्तार देने के लिए रेडियो पर शुल्क 15 से घटा कर सालाना सात रुपए कर दिया और यह व्यवस्था भी बनायी कि अगर किसी घर में 2-3 रेडियो सेट है तो फिर 2.50 प्रति सेट की दर से लाइसेंस फीस ली जाये। भारत में 1970 के अंत तक रेडियो लाइसेसों की संख्या 1.17 करोड़ हो गयी और 1980 के अंत तक बढ़ कर 1.78 करोड़ हो गयी। 1981-82 तक रेडियो लाइसेंस 2.05 करोड़ और टेलीविजन लाइसेंस 15.47 लाख हो गयी।

एफएम रेडियो यानि निजी रेडियो बड़े शहरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कुछ बड़े अखबार समूहों ने इनका स्वामित्व ले लिया है। कारों, बसों और लोकल ट्रेनों में एफएम काफी लोकप्रिय हो रहा है। पर इसका सरोकार देहात से नहीं है। गावों में आकाशवाणी ही सेवा प्रदान कर रही है। 90 फीसदी स्थान संगीत के लिए है तो बाकी के लिए जगह कहां है। एफएम की पहुंच अभी सीमित है जबकि आकाशवाणी सर्वाधिक इलाकों में है। एफएम अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। मगर 10वीं योजना में देश में 70 नए एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। 70 नए एफएम स्टेशनों में यूपी से गाजीपुर, बांदा और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। इसी के साथ कई सामुदायिक रेडियो भी चालू हो रहे हैं।

मीडिया का असर

हाल के सालों में देहाती इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं में मीडिया ने बहुत अहम भूमिका निभायी है। हालांकि इस भूमिका में भी होड़ और प्रतिस्पर्धा का कारण अधिक नजर आता है, पर जो भी हो, इसका असर जरूर दिखा। मीडिया द्वारा हालात की गंभीरता को बेबाकी से उठाने के नाते निम्नलिखित मामलों में सरकार और समाज दोनों पर बहुत व्यापक असर पड़ा-

- बिहार, उत्तरांचल, गुजरात, लातूर और हाल का कश्मीर का भूकंप
- 2002-03 को सूखा और आंध्रप्रदेश तथा पंजाब में किसानों की आत्महत्या
- कश्मीर में बर्फबारी से तबाही
- कारगिल की लड़ाई के दौरान गोलीबारी से प्रभावित स्थानीय गांवों की दशा।
- गुजरात की बाढ़
- सुनामी संकट

सुनामी बेशक बहुत बड़ी खबर थी और पूरी दुनिया उसे देखना चाहती थी। इसी नाते सुनामी कवरेज के लिए बीबीसी और सीएनएन से लेकर कई चैनलों ने दर्जनों टीमें प्रभावित इलाकों में भेजी। सैटेलाइट फोन तथा अपलिंकिंग ने खबरों की पहुंच आसान की और यही कारण था कि विदेशी सहायता के हाथ बढ़ने के बावजूद स्थानीय व्यापक समर्थन के सहारे ही हम सुनामी की मार से उबरने में कामयाब रहे। मीडिया ने लोगों को इतना झकझोर दिया कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में सीमित समय में 829 करोड़ रुपये की भारी सहायता राशि प्रदान की इतनी बड़ी राशि आज तक किसी भी अपील पर नहीं आयी।

सरकार की अपील पर करीब एक लाख लोगों और संस्थाओं ने इतनी सहायता दे दी कि प्रधानमंत्री को अपील निकाल कर धन्यवाद ज्ञापन करना पड़ा। सहायता राशि आम किसानों, मजदूरों, स्कूली बच्चे, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी से लेकर सभी ने प्रदान की। सभी जानते हैं कि सुनामी की चपेट में सर्वाधिक तटीय इलाकों के मछुआरे और देहाती लोग ही आये थे। पर तमाम ऐसे इलाकों के लोगों ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया जिन्होंने अपने जीवन में कभी समंदर भी नहीं देखा है। कई समाचार पत्रों ने इस मौके पर बहुत सराहनीय भूमिका निभायी। यही आलम हाल में कश्मीर घाटी में आए भूकंप को लेकर दिख रहा है।

केरल में एक घटना का उल्लेख यहां प्रासंगिक है। लातूर में भूंकप की तबाही के बाद 'मलयाला मनोरमा' के द्वारा वहां एक गांव बसाने के लिए एक मुहिम चलायी। यह धन उसने आम जनता से वसूला और अखबार के जिला और कस्बा कार्यालयों में पैसे देनेवालों की कतारें लगी थीं। निम्न आय के लोग सबसे ज्यादा दानदाताओं में शामिल थे जो एक से 10 रुपये देते थे। इतनी राशि इकट्ठा हो गयी कि मनोरमा को सूचित करना पड़ा कि अब और राशि की जरूरत नहीं है। यही हालत कई मौके पर 'जागरण', 'अमर उजाला' तथा 'हिंदुस्तान' जैसे अखबारों के कोषों की हुई। कई और अखबारों ने ऐसा किया। लेकिन केवल प्राकृतिक आपदा में ही जागना उचित नहीं है। ग्रामीण समाज की कई विसंगतियां हैं जिसे दूर करके विकास में अखबार और अन्य माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

डाकघर - ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम

बहुत से लोगों को इस बात से असहमति हो सकती है, पर डाकखानों ने ग्रामीण विकास में बहुत अहम भूमिका निभायी है। एक लंबे समय देहात तक चिट्ठियां ही सारी खबरों को पहुंचाती रही है और वे तमाम बदलावों को प्रेरक बनी हैं। डाक विभाग ने अरसे से मुद्रित पुस्तकों, पंजीकृत समाचार पत्रों को दुर्गम देहाती इलाकों तक पहुंचा कर ग्रामीण विकास में जो सराहनीय कार्य किया है, उसकी और कोई मिसाल नहीं है।

अखबार देहाती इलाकों और खास कर दुर्गम इलाकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए खर्च करने से बचते रहे हैं।

वहीं दूसरी और डाक विभाग ने वीपीपी (वैल्यू पेऐबल सिस्टम) से लोगों में किताबें मंगाने और पढ़ने की आदत विकसित हुई और देहातों में तमाम सामजिक आर्थिक बदलाव आये। गांव के तमाम अनपढ़ लोगों को चिट्ठियों ने साक्षर बनने की प्रेरणा दी। आज भी अखबारों और पुस्तकों को गांव-गांव पहुंचाने में डाक विभाग करीब 125 करोड़ रुपये सालाना सहायता दे रहा है।

1911 की जनगणना में कहा गया कि बनारस डिवीजन में इतनी बड़ी संख्या में रोजगार के लिए पलायन हुआ कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, जिसका कोई न कोई सदस्य कलकत्ता, हावड़ा, असम, मुंबई, बिहार या उड़ीसा में रोजगार के लिए न गया हो। हैजे से 1901-10 के बीच 13 लाख लोग मरे। 1876-79 चीन के अकाल में 130 लाख लोग मर गए। लगातार अकाल से भी तमाम जगहों पर पलायन हुए पर इनकी असली खबरें लोगों तक और देहातियों तक केवल पत्रों ने पहुंचायी।

1854 में जब भारत में एकीकृत डाक व्यवस्था शुरू हुई तक साक्षरता नाम की थी और 90 फीसदी लोग देहात में रहते थे। तब 'मद्रास कुरियर' अखबार में सरकारी आदेश छपते थे लिहाजा इसे सरकार ने डाक से मुफ्त भेजने की छूट प्रदान की गयी। मार्च 1820 मे लंदन के एक पत्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके में एक साल तक मुफ्त डाक भेजने की सुविधा प्रदान की गयी थी। देश के तमाम इलाकों में 1857-58 में ही करीब 6 लाख अखबार डाक से भेजे जा रहे थे। डाक विभाग ने रियायती इनलैंड प्रेस टेलीग्राम 1 जनवरी 1882 से शुरू किया, जिससे पहली बार समाचारों की गति बढ़ी। भारत में 1871 तक पंजीकृत अखबार थे 430 जिसमें से सर्वाधिक 233 भाषाई थे। इनको डाक से भेजने की छूट दी गयी।

1857 में गवर्नर जनरल लार्ड केनिंग ने प्रेस एक्ट खास तौर पर उन भाषाई अखबारों को कुचलने के लिए बनाया था जो आग उगल रहे थे। उस दौरान क्षेत्रीय अखबार गांव-गांव में चर्चा को केंद्र बन रहे थे और उनका प्रसार बढ़ रहा था। पर आज के हिसाब से देखें तो 1880 तक अखबारों का कुल प्रसार महज 1,50,000 ही हो पाया था। पर एक अखबार की पहुंच बहुत बड़ी आबादी तक थी। संयुक्त प्रांत में 1918 में कुल अखबारों की संख्या 18 थी और उनका प्रसार 24,000 था जो 1921 तक बढ़ कर 82 हजार हो गया और पत्रों की संख्या भी 93 हो गयी। हालांकि तब संयुक्त प्रांत की आबादी साढ़े चार करोड़ थी। पर 1923 में 'प्रताप' की प्रसार संख्या 14,000 हो गयी। इन अखबारों को देहात तक पहुंचाने में डाक विभाग की खास भूमिका रही और डाकिया होकर नेटवर्क का काम करते रहे।

ग्रामीण विकास पर फोकस जरूरी

आज भारत की देहाती दुनिया तेजी से बदल रही है। आज गांव बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। इसी नाते अखबारों को गांवों में उपभोक्ता वस्तुओं के प्रचार के लिए करोड़ों रुपये के विज्ञापन भी मिल रहे हैं। मगर मीडिया ग्रामीण विकास में वह भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जो वह निभा सकता है। अगर ग्रामीण विकास राष्ट्रीय एजेंडे में सर्वोच्च वरीयता पा रहा है तो मीडिया को भी इसमें अपेक्षित भागीदार बनना चाहिए। इसके लिए गांवों और कस्बों के स्तर पर काम कर रहे पत्रकारों को विशेष तौर पर शिक्षित करने की जरूरत है और नीति निर्धारकों को भी यह तय करने की जरूरत है कि वे देहाती इलाकों के लिए भी जगह दें। 'राजस्थान पत्रिका' का एक कालम अरसे से चल रहा है, 'चलो गांव की ओर'। यह किसी भी गांव को पूरी तरह समझने का बहुत मजबूत माध्यम बन गया है और सरकारी मशीनरी से लेकर अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। अगर सभी प्रमुख अखबार एक गांव को ही केंद्र बना कर रोज थोड़ी सी जगह प्रदान करने लगें तो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। ⌘

(लेखक जनसत्ता एक्सप्रेस के राजनीतिक संपादक हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजें।

इक्कीसवीं सदी में मीडिया के बढ़ते कदम

करूण बहादुर सिंह

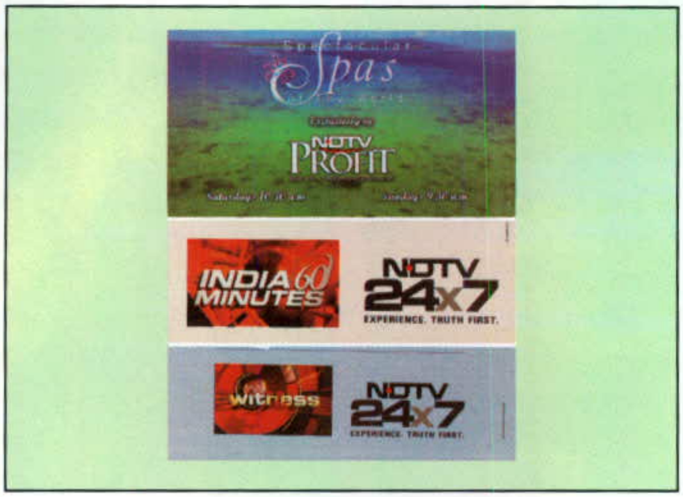

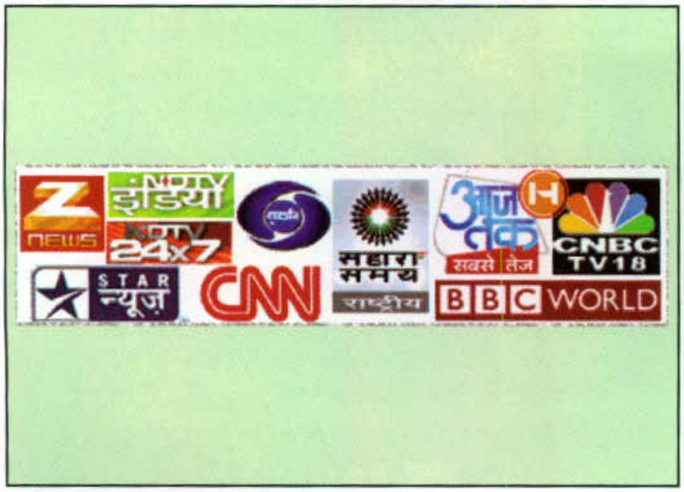

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र का सही अर्थ महज संपूर्ण आजादी से नहीं लगाया जा सकता। वो इसलिए कि बिना 'सूचना' प्राप्ति की स्वतंत्रता के आजादी के बेमानी है।

सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी मीडिया ने अपने कंधों पर उठा रखी हैं इसी कारण वश मीडिया को लोकतंत्र का "चौथा स्तंभ" कहा जाता है। यूं तो मीडिया का कार्य विश्व में घटित हो रही है समस्त घटनाएं, सामाजिक गतिविधियां और समुदाय, समाज व व्यक्ति के कृत्यों की सूचना को उचित मंच प्रदान कर जन-जन तक पहुंचाना तथा आम जन की समस्याओं को शासन तक और शासन की परिलब्धियों को जनता तक पहुंचाकर दोनों के मध्य सामंजस्य बनाये रखना है। किंतु आज का मीडिया मात्र सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान ही नहीं करता, बल्कि मनोरंजन और शिक्षा संबंधी क्षेत्र में से एक लक्षित आयाम बना रहा है।

आधुनिक मीडिया में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के चलते समग्र विश्व एक ग्राम की संज्ञा चरित्रार्थ हो चली हैं तकनीकी विकास ने सूचनाओं का संप्रेषण बहुत तेजी के साथ एक व्यक्ति विशेष, समुदाय, राज्य, राष्ट्र व विश्व भर में हो पाना संभव कर दिखाया है। जिसके चलते आज का युग सूचना प्रधान युग बन सका है। सूचनाएं संदेशों का सतत् प्रवाह करती है। सूचना के बढ़ते आयाम को देखते हुए प्रख्यात संचार विद 'मार्शल मैक्लूहन' ने कहा था-"मीडिया ही संचार है"। आज उच्च तकनीकी ही वह माध्यम है जिस पर सवार होकर सूचनाओं की बाढ़ सी लग गई हैं विभिन्न माध्यमों की मदद से यह सूचनाएं हम और हमारे घरों तक पहुंचती है।

सूचनाएं आकाश की तरह अनंत हैं और हम पक्षियों की भांति अंनत आकाश को पा लेने के लिए आतुर हैं। वर्तमान समाज में मीडिया द्वारा प्रेषित व प्रसारित सूचनाऐं एक शस्त्र के रूप में मानव की रक्षा करती हैं जिसके पास जितनी अधिक सूचना होगी वह उतना ही सबल होगा और आत्म रक्षा करने में सक्षम भी।

वर्तमान सूचना तकनीकी युग में किसी भी राष्ट्र का स्तर इस आधार पर अंकित होने लगा है कि उस राष्ट्र की सूचना तकनीकी कितना मजबूत है। सूचना के क्षेत्र में इस क्रांति का सूत्रपात 19वीं सदी में टेलीग्राफ के अविष्कार के रूप में हुआ था उसके उपरांत विकास के क्रम में श्रव्य और दृश्य-श्रव्य माध्यमों के आ जाने से मानव जीवन को और सहज बना दिया हैं आज के संदर्भ में कंप्यूटर के बिना सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्वरूप की संकल्पना बेमानी है। इक्कीसवीं सदी कंप्यूटर क्रांति की गवाह रही है जिसमें सूचनाओं के संवहन और सूचना प्राप्ति की गति अविश्वसनीय रूप से बढ़ी है। इसकी आधुनिकतम सुविधाओं ने संपूर्ण विश्व को एक सूचना संचार व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ दिया है।

आज का मीडिया संस्थान समाचार संकलन हेतु मोबाइल फोन से लेकर लेपटॉप तक का धड़ल्ले से उपयोग कर रहा है। समाचार पत्रों के कार्यालय कंप्यूटर व इनटरनेट से लैस है। संवाददाता से लेकर संपादक तक अपने पीसी से जुड़े हुए हैं जिनकी मदद से समाचारों को तकनीकी, भाषायी तथा संस्थान की नीतियों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही समाचार पत्रों व समाचार चैनलों ने अपनी वेबसाइटें भी स्थापित की है जिन्हें न्यूज पोर्टल के रूप में जाना जाता है।

प्रिंट मीडिया के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सूचना प्रौद्योगिकी से पूर्णरूपेण सुसज्जित है। यदि हम इसकी तुलना मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी से करें तो यह अनुचित नहीं होगा।

मीडिया जगत में पल-पल पर क्रांति देखी जा रही है। वही प्रिंट मीडिया से मास मीडिया और मास मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ब्रांड मीडिया बनता पुरातन मीडिया आज सशक्त हो चला है। वही कुछ विचारकों का मानना है कि मीडिया को ठीक-ठीक मापने के लिए संभवत: साहित्य और दर्शन की भाव भूमि का आधार लेना होगा। अन्यथा हम तकनीकी विवेचना के फेर में पड़कर इस तंत्र को निहारते ही रह जाएंगे।

पांच दशक पहले सूचना प्राप्ति का एक सबल माध्यम समाचार पत्र-पत्रिकाएं हुआ करती थीं। जो तकनीकी रूप से तो पिछड़ी हुई किंतु तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। तेजी से बदलते मनोविचार और पल-पल हो रही गतिविधियों को उचित स्थान न मिल पाने के कारण सूचनाएं उपयुक्त पाठकों तक नहीं पहुंच पाती थीं। जिसके कारण वह समस्त सूचनाएं व्यर्थ सिद्ध होती थीं। आगे चल कर सूचना बाजार में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने अपने जगह बनायी। ये चैनल पल-पल की खबरों को उचित दर्शकों तक पहुंचाने में सफल भी रहे। आधुनिक संचार प्रणाली अधिक मानवीय अंतक्रिया, समझ, ज्ञान, जिज्ञासा एवं इच्छा इत्यादि के प्रति अधिक संवेदनशीलता रखती थी। आधुनिक सोच लिए यह सूचना तंत्र तकनीकी के पायदान से ही अपना मार्ग प्रशस्त करता आ रहा है।

भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मीडिया अत्याधुनिक तकनीक की ओर बढ़ चला है। आधुनिक जन संचार के समस्त साधनों में तकनीकी का बढ़ता प्रभाव देखा जा सकता है। पुरातन विद्या श्रव्य संचार माध्यम पर आधारित रेडियो आज अपने आधुनिकतम रूप में परिलक्षित हो रहा है। कुछ समय पहले रेडियो प्रसारण मीडियम वेव, शॉट वेव पर ही सुने जा सकते थे। जिसके प्रसारण पर वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता था किंतु आज फ्रिक्वेंसी माडयूलेशन व सेटेलाइट रेडियो ट्रांसमिशन के आ जाने से रेडियो पर स्पष्ट प्रसारण सुना जा सकता है। एफएम के विकास के साथ ही साथ इस क्षेत्र में अंतर संभावनाओं को देखते हुए निजी व्यवसायिक संस्थान भी लाइसेंस की दौड़ में आगे बढ़ चले हैं।

दृश्य संचार माध्यम के रूप में टेलीविजन प्रसारण इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सशक्त साधन है। यह सही मायने में मानवीय संवेदनाओं को एकाएक संसार के एक कोने से दूसरे कोने में प्रकट कर सकता है। मीडिया का प्रभाव आम जन मानस के मस्तिष्क पटल पर प्रभावी रूप से पड़ रहा है तकनीकी दृष्टि से शुरूआती प्रसारण वेरी लो फ्रिक्वैंसी (वीएलएफ) पर होते थे। किंतु बाद में वेरी हाई फ्रिक्वैंसी (वीएचएफ) और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वैंसी (यूएचएफ) पर प्रसारण होने लगा। अब दर्शक को कार्यक्रमों के साथ ही साथ क्वालिटी भी मिलने लगी।

इस क्षेत्र में एक नया आयाम तब जुड़ा जब "डायरेक्ट टू होम" सेवा के माध्यम से दर्शक सीधे तौर से सेटेलाइट से जुड़ गये और अपनी पसंद के आधार पर चैनल सूची चयन की आजादी उन्हें प्राप्त हो गयी। सूची चयन का आधार लोकप्रियता और सबसे पहले प्रसारण की होड़ तथा सनसनी खोज खबरों का चयन ही है। मीडिया में चैनल अब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रस्तुत करने की दौड़ में है। जो कि कुछ नयापन लिए हो। यह नयापन स्ट्रिंग आपरेशन के रूप में मीडिया ने प्रस्तुत किया। जिसमें समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों को उजागर किया गया। यह बुराइयां किसी न किसी रूप में समाज को लगातार प्रभावित कर रही थी। तमाम प्रकार की बुराइयों को उजागर करने के लिए मीडिया ने तकनीकी का सहारा लिया। यही तकनीकी विभिन्न रूपों में मीडिया के शस्त्र के रूप में काम आती रही है।

आज का मीडिया जिस तकनीक के सहारे फल-फूल रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान आधुनिक मल्टीमीडिया से युक्त कंप्यूटरों का है। जो कि सूचना प्रौद्योगिकी को विकसित और सर्वग्राही बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मल्टीमीडिया युक्त कंप्यूटरों के अंतर्गत एक ही कंप्यूटर पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनीमेशन, ऑडियो-विडियो आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो जाने से सूचना प्रौद्योगिकी (मीडिया) के क्षेत्र आमूल चूल विकास हुआ है। इस आधुनिक पद्धति से युक्त कंप्यूटरों पर मीडिया सेंटर के जरिए टेलीविजन के कार्यक्रमों को देखना संगीत सुनना और सीडी लगाकर विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करना आसानी से संभव हो गया है। उत्पादन, सूचना मनोरंजन, शिक्षा तथा सृजनात्मक कार्यों में इनका प्रयोग अधिक हो रहा है। मल्टीमीडिया के कारण ही फिल्मों एवं विज्ञापनों में काल्पनिक दृश्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना संभव हो पाया है। आधुनिक समय में मल्टीमीडिया, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी दिनो-दिन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपरिहार्य होती जा रही है।

सूचना क्रांति ने पूरी दुनिया को समेट कर रख दिया है। महान् विचारक आर्थर सी क्लार्क का कहना था कि "वेब तरंगों के लिए सीमाएं महत्व नहीं रखती और अंतरिक्ष की ऊंचाई से तो राष्ट्रीय सीमाएं वैसे भी मिल जाती है। आने वाले कल का विश्व सीमा बंधन से मुक्त संसार होगा"। क्लार्क की परिकल्पना आज चरित्रार्थ हुई है। आज सूचनाओं का केंद्रीयकरण हो गया है। वेब पत्रकारिता के इस दौर में व्यक्ति सूचनाओं को सरवर से आवश्यकता अनुसार सीधे डाउनलोड कर सकता है। इसी कारण, इंटरनेट को सूचना प्रौद्योगिकी की जीवन रेखा का जाता है। इंटरनेट को "इंफारमेशन सुपर हाईवे" की भी संज्ञा दी जाती है।

आज मीडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ तारतम्यता स्थापित कर सूचना के साम्राज्यवाद को बौना कर दिया है। सूचना प्राप्ति के बढ़ते स्वरूप के साथ हमें भी और अधिक तेजी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, यह तभी संभव होगा जब हम दिन प्रतिदिन आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर एक अनुकूल वातावरण बना सकें। तभी जाकर मीडिया के नये अनुसंधान का तकनीकी रूप से प्रतिफल मिल सकेगा। तथा मीडिया द्वारा राष्ट्र विकास की अवधारणा साकार हो सकेगी। ⌘

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

ग्रामीण विकास में संचार माध्यमों की उपयोगिता

बलकार सिंह पूनिया

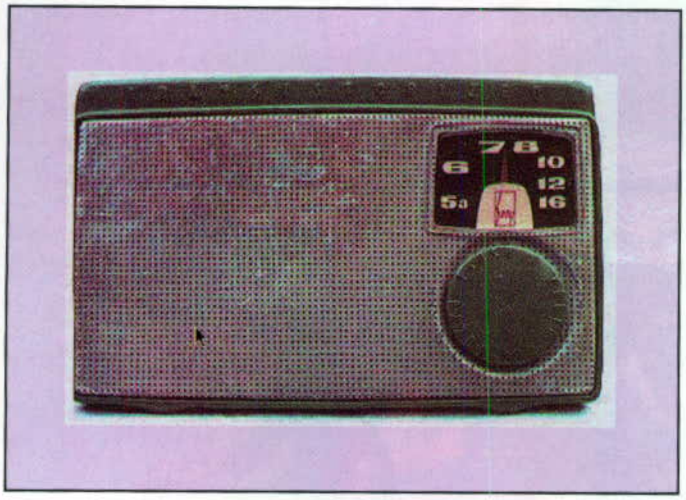

भारत एक विशाल देश है, इसकी अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव के ज्यादातर लोगों का मुख्य धंधा कृषि है जो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हालांकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है क्योंकि सरकार ने कृषि से ज्यादा अहमियत उद्योग जगत को दे रखी है।

निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि जोतें छोटी हो रही हैं तथा कृषि के उत्पादन में भी ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है जिसमें ग्रामीण परिवार केवल कृषि के सहारे ही जीवन यापन नहीं कर सकते। भारतीय कृषि अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती है। पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रकृति के असंतुलन के कारण वर्षा की मात्रा कम तथा सूखे एवं अकाल की अवधि बढ़ती जा रही है। इसके अलावा समय-समय पर किसानों को भयंकर बाढ़, समुद्री तूफान, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अधिक लागत एवं कम लाभ के कारण कृषि वैसे भी घाटे का सौदा साबित हो रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से किसान कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।

कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग समाप्त होने के कारण ग्रामीण कारीगर बेरोजगार हो गए तथा एक बड़ा वर्ग जो कि कृषि की सहायक गतिविधियों में था बेरोजगारी के कारण शहरों की ओर पलायन कर रहा है। वैसे भी जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी के साथ प्रति व्यक्ति कम आय के कारण गरीबी बढ़ रही है।

आजादी के बाद सरकार ने अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए शुरू किए जिनमें साक्षरता से लेकर गरीबी उन्मूलन आदि अनेक कार्यक्रम थे परन्तु कोई भी योजना एवं कार्यक्रम अपनी निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो सका। इस कारण उस योजना एवं कार्यक्रम की उपयोगिता का महत्व कम हो गया।

आज जहां सरकार साक्षरता के बढ़ते प्रतिशत को अपनी उपलब्धि मान रही है जबकि सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उस साक्षरता की प्रतिशत के इर्द-गिर्द भी नहीं है। मोटे अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 100 करोड़ लोग गरीबी का जीवन जी रहे जिनमें से लगभग 50 करोड़ लोग भारत में हैं शेष अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका देशों में हैं।

भारत सरकार ने गरीबी दूर करने व योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है हालांकि आजादी के बाद से लोगों के जीवन यापन रहने-सहने, स्वास्थ्य शिक्षा में कुछ हद तक सुधार हुआ है परंतु उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अवधि में नहीं

बल्कि बहुत देर से यह सुधार हुआ है। आज भी भारत में अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम ग्रामीणों के विकास के लिए चलाए जा रहे हैं परंतु सबसे बड़ी समस्या है कि जनता को हर योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बनाने व शुरू करने से पहले नजर अंदाज किया जाता रहा है। हालांकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के अनेक साधन मौजूद हैं परन्तु अभी तक भी उनकी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है।

लोक संचार माध्यम

लोक संचार माध्यम वे माध्यम हैं जिनके रेडियो अथवा टेलीविजन के आने से काफी पहले हमारे ग्रामीण समुदायों में उपयोग की परंपरा रही है। इन माध्यमों में स्थानीय भाषा अथवा बोली, वेशभूषा तथा आवश्यक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। ये माध्यम मनोरंजन के लिए हो सकते हैं कुछ धार्मिक विषय पर आधारित होते हैं अथवा लोक-कथाओं पर आधारित होते हैं। लोक संचार माध्यमों में कठपुतली का खेल, लोकनाट्य, लोक गीत व लोक नृत्य शामिल हैं। भारत में लोकसंचार माध्यम की समृद्ध परंपरा रही है लेकिन ग्राम विकास में इसकी क्षमता पर अभी पूरा ध्यान नहीं दिया गया है।

कठपुतली: कठपुतली का खेल ग्रामीण समुदाय के किए बहुत मनोरंजन सूचनाप्रद तथा शिक्षाप्रद संचार साधन हो सकता है। कठपुतली की एक विशेषता यह है कि यह त्रि-आयामी प्रभाव छोड़ती है और इन्हें संचालित किया जा सकता है। किसी विशेष संदेश को दर्शाने वाली कथा तैयार करके कठपुतली के खेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। कठपुतलियां धागों वाली अथवा नाचने वाली, लकड़ी वाली, परछाई वाली तथा दस्ताने की या हाथ कठपुतली हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूरा परिवार एक साथ देख सकता है तथा आमतौर पर इसका प्रदर्शन सार्वजनिक जगह चौपाल, स्कूल, पंचायत घर इत्यादि में किया जाता है।

लोकनाट्य: लोकनाट्य मनोरंजन का अच्छा साधन है और साथ में मामूली प्रयास से यह शिक्षाप्रद भी हो सकता है। ग्रामीण जीवन, इसकी समस्याएं और अनेक समाधान दर्शाने वाली एकांकी, नाटक साधारण विषयों को आधार बनाकर लिखे, और तैयार किए जा सकते हैं। दहेज अथवा नशे की बुराइयों पर आधारित विषयों, प्रौढ़ शिक्षा ग्रामीण विकास में सरकारी संस्थाओं गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं तथा पंचायती राज के सफल क्रियान्वयन व जानकारी आदि आधारित विषयों को आमंत्रित करने के लिए स्थानीय समुदाय से कलाकार चुने जा सकते हैं।

लगभग प्रत्येक राज्य में लोकनाट्य की अपनी परंपरा रही है, पश्चिमी बंगाल में इसे गोतरा, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, महाराष्ट्र में तमाशा तथा आंध्र प्रदेश में बरकिला कहा जाता है।

लोकगीत और लोक नृत्य: परंपरागत रूप से लोकगीत या तो भक्ति पूर्ण रहे हैं अथवा लोक नायकों की शौर्य गाथाएं कहते हैं। स्थानीय बोली में गीतों की सहायता से इस माध्यम से सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इन संदेशयुक्त गीतों की हारमोनियम, ढोलक, चिमटा, आदि वाद्यों के साथ गाया जा सकता है।

जनसंचार माध्यम

ग्रामीण विकास की गति तेज करने में सूचना माध्यमों एवं जन संचार माध्यमों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनसंचार के अंतर्गत सभी सूचना माध्यम रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और नियतकालीन पत्र-पत्रिकाएं आती हैं।

रेडियो: भारत जैसे गरीब एवं विकासशील देश में लोगों तक ज्ञान, सूचना और जानकारी पहुंचाने का रेडियो सबसे सरल, कारगर और शक्तिशाली साधन है। रेडियो के आविष्कार के बाद दूर-दराज क्षेत्रों सहित देश में सर्वत्र फैल गया है। कोई भी सूचना एवं संदेश रेडियो के द्वारा जनसंख्या के काफी बड़े भाग तक एक ही समय में कम खर्च में प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। रेडियो अधिक महंगा भी नहीं है और आसानी से इधर-उधर भी ले जाया जा सकता है। दूर-दराज के जिन गांवों एवं दुर्गम स्थानों पर परिवहन व संचार की सुविधाएं सीमित है वहां भी रेडियो की पहुंच है। आकाशवाणी के लगभग सभी केंद्रों से देहाती एवं किसान भाइयों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि रेडियो के अनेक कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण जनता तक नई जानकारी पहुंचाने में उपयोगी भूमिका निभाई है परंतु फिर भी यदि इन्हें अधिक लोकप्रिय, फलदायक, प्रेरणादायी एवं रोचक बनाने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों में मौसम के पूर्वानुमान, बाजार, भाव, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरक और पशुओं के रोग निरोधक टीके, फलों और सब्जियों के परिरक्षण, बच्चों की देखभाल, ग्रामीण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पूर्व जानकारी, स्वरोजगार-मछली, मधुमक्खी पालन आदि पर आधारित, कार्यक्रम लोगों की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि रेडियो के कार्यक्रम व्यक्ति अन्य क्रिया कलाप करते हुए सुन सकता है आज भी रेडियो नित्य एवं नवीन जानकारी के रूप में सबसे प्रभावी साधन है।

दूरदर्शन: रेडियो के बाद दूरदर्शन जन संचार का महत्वपूर्ण साधन है। जहां रेडियो में हम केवल सुन ही सकते हैं वहीं दूरदर्शन साथ में उसे कार्यक्रम को देख सकते हैं जबकि अकेले सुनने की अपेक्षा साथ देखने एवं सुनने का अधिक असर होता है। रंगीन टीवी एवं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धार्मिक एवं ऐतिहासिक सीरियलों के कारण दूरदर्शन का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। उपग्रह चैनेलों के कारण दर्शकों को विभिन्न कार्यक्रमों का चुनाव करने में भी आसानी होती है। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों में कृषि से लेकर स्वास्थ्य आदि कार्यक्रमों के लिए समय निर्धारित है। दूरदर्शन पर कृषि दर्शन, कानूनी सलाह, आपकी सेहत, आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इसके अलावा नई तकनीकों एवं उत्पादों आदि के बारे में नवीन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है परंतु दूरदर्शन की शुरूआत जिस उद्देश्य के लिए की गई थी वह अपने लक्ष्य से भटकाव की ओर जा रहा है। आज कल दूरदर्शन के सभी चैनेलों के कार्यक्रमों में इस प्रकार के विज्ञापन दिखाएं जाते हैं कि

दर्शकों की जेब को किस तरीके से खाली किया जा सके। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक चैनल की शुरूआत की जाए जिसमें शिक्षा, कृषि, सूचना का संगम ऐसा हो कि हर दर्शक इन कार्यक्रमों को नियमित देखने के कार्यक्रम बनाने को आकर्षित हो।

मुद्रित माध्यम (प्रिंट मीडिया)

मुद्रित माध्यम (प्रिंट मीडिया) रेडियो और टेलीविजन से काफी पुराना है। मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पोस्टर शामिल हैं। समाचार पत्र-समाचार को तुरंत या पहले देने हालांकि रेडियो एवं टेलीविजन का मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं परंतु समाचार पत्र रेडियो एवं टीवी की अपेक्षा, समाचार और उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी के साथ-साथ अंवेषणात्मक एवं अधिक विस्तार से खबर दे सकते है और अपने कालमों में अधिक विविध, पठन सामग्री एवं अलग-अलग विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सूचना को अधिक दिनों तक रखा या पढ़ा जा सकता है। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं कार्टून, रेखाचित्र, ग्राफिक और लोकरुचि की सामग्री भी देकर पाठकों का ज्ञानवर्धक करती है।

समाचार पत्र

समाचार पत्र संचार का एक किफायती माध्यम है और किसी भी विषय पर अन्य संचार माध्यमों की अपेक्षा विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि आप इसे जितनी बार चाहे और जब चाहे पढ़ सकते हैं। भारत में रेडियो और टीवी पर जहां सरकार का नियंत्रण है वहीं समाचार पत्र इससे मुक्त है। इसलिए सैद्धांतिक तौर पर स्वतंत्र हैं। परंतु उनके स्वामित्व का जो ढांचा है। (इसमें उद्योगपत्तियों के स्वामित्व वाले समाचार-पत्र भी शामिल हैं।) उससे इन समाचार पत्रों का समाचार-प्रस्तुतीकरण तथा संपादकीय नीति अवश्य प्रभावित होती है।

हमारे समाचार-पत्रों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाचार-पत्रों के समाने पहले की तरह कोई महान लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं रहा है। समाचार पत्रों का संचालन व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाने लगा है। लाभ कमाना बुरी बात नहीं है आज भी समाचार-पत्रों में युगांतकारी परिवर्तनों के बाद भी राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय समाचार हावी रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की घटनाएं, समाचारों, कठिनाइयों, समस्याओं एवं उनके समाधान की आम तौर पर उपेक्षा की जाती रही है। पंचायती राज अधिनियम पारित होने के बाद हालांकि पंचायती राज संस्थाएं काफी शक्तिशाली हो गयी है और मध्य प्रदेश एवं हरियाणा जैसे राज्यों में तो प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कई महत्वपूर्ण कार्य पंचायती राज संस्थाओं के अधीन हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को निरंतर सभी तरह की सूचना चाहिए परंतु सही तरीके से पूर्ण रूप से न मिलने के कारण ये अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण नहीं जान पाते हैं।

लोकतंत्र व्यवस्था का आधार जवाबदेही एवं पारदर्शिता है। सूचना ही इसकी मुख्य शक्ति है। सूचना के अभाव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। आज अनेक समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, खाद-बीज, उर्वरक आदि की सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए गई अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रमों की ग्रामीण जनता को पूर्ण जानकारी मिल पाती है।

समाचार पत्र का प्रमुख कर्त्तव्य ग्रामीण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी एवं लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करना है जिससे न केवल ग्रामीण जनता का हित होगा बल्कि समाचार पत्र की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि कई राष्ट्रीय समाचार पत्र क्षेत्रीय खबरों को भी निकालते हैं परंतु ये समाचार अपराध, लड़ाई-झगड़ों की खबरों से भरे होते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि आज सार्वभौमिकरण के कारण नकली व असली की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे खाद, दवाईयां, कीटनाशक उर्वरक आदि नकली माल के कारण जहां गरीब किसान मारा जाता है वहीं भूमि की पैदावार पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र इन सब नकली माल बनाने वालों का पर्दाफाश करने में सबसे ज्यादा सहायक हो सकते हैं।

पत्र-पत्रिकाएं

अनेक पत्र-पत्रिकाएं भी नियमित रूप में छपती है तथा एक विशेष पाठक वर्ग तक अपना प्रभाव रखती हैं। पत्र-पत्रिका के समाचार को अंवेषणात्मक एवं विस्तृत माना जाता है। इसलिए एक पूर्ण परिणाम के आधार पर एक ठोस जानकारी दे सकती है। आज अलग-अलग विषयों पर अनेक पत्र-पत्रिकाएं साप्ताहिक, मासिक एवं त्रैमासिक, छमाही तथा वार्षिक हैं। हालांकि वे सूचना को काफी देर से पहुंचाती हैं परन्तु ठोस एवं निष्कर्ष आधारित एवं ग्रामीण जनता को काफी लाभ पहुंचा सकती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान मिलकर 'कुरूक्षेत्र तथा ग्रामीण भारत' नामक पत्र-पत्रिकाएं पूर्ण रूप से ग्रामीण योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित होती हैं। ग्रामीण भारत मासिक पत्र तो देश की सभी पंचायती संस्थाओं को मुफ्त तथा नियमित रूप से भेजा जाता है जिसमें ग्रामीण विकास के योजना एवं कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी होती है। 'योजना' नामक मासिक पत्रिका भी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। इसके अलावा कई राज्यों की ग्रामीण विकास संस्थाएं एवं कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विषय पर मासिक पत्र-पत्रिकाएं निकालते रहते हैं जिसमें लोगों को सही-समय पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अलावा सही खाद, बीज उर्वरक कीटनाशक, बीमारियां, नई तकनीकी, बिक्री व्यवस्था आदि की पूर्ण जानकारी दी जाती है।

पोस्टर

पोस्टर एवं इशितहारों से संचार एक बार हो जाता है परंतु ये इशितहार चेतना जगाने और देखने भर से ही साधारण संदेश देने में सहायता मिलती है। इशितहार का डिजाइन बढ़िया और रंगरूप साधारण एवं आकर्षक होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति स्पष्ट रूप से समझ जाए कि किसी भी विषय को एकदम से आम जनता के बीच में चर्चित करने के लिए इशितहार एवं पोस्टर सबसे मुख्य संचार साधन है। देश भर में पोलियो दवाई, बच्चों की टीकाकरण, टी.बी., एड्स जैसी बिमारियों के बारे में लोगों को जानकारी पोस्टर के माध्यम में देने में काफी सफलता मिलती है। तथा ग्राम सभा की बैठकों

तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शीर्षक के साथ संपर्क स्थान एवं संबंधित अधिकारी के पते एवं फोन नंबर भी लिखा होता है। सही दृश्य स्थान पर लगाया गया इश्तिहार एवं पोस्टर रोज आने-जाने वाले व्यक्ति पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। उसमें लिखी गई एवं दर्शाई गई पूर्व जानकारी का अध्ययन हो जाता है। आजकल सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को एक निश्चित स्थान-स्थानीय पंचायत एवं बस स्टैंड, सचिवालय, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा सरकारी कार्यालय के बाहर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इश्तिहार एवं पोस्टर के आकर्षक नारे एवं शीर्षक के द्वारा ही व्यक्ति के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा की जा सकती है तथा गांव पंडाल की मुख्य चौपाल आदि पर लगने से यह गांव में चर्चा का विषय भी हो सकती है। इसलिए ग्रामीण विकास में इश्तिहारों एवं पोस्टरों का अपना अलग महत्व रहा है।

हमने विभिन्न संचार माध्यमों के बारे में चर्चा की है हर किसी का अलग-अलग महत्व है यदि ये सभी संचार माध्यम सही तरीके एवं ईमानदारी से आने लक्ष्य एवं कर्त्तव्य का पालन करें तो वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि ग्रामीण जनता के द्वारा निर्धारित की जाएगी। हालांकि सरकार ग्रमीण विकास के प्रति निरंतर प्रयासरत और प्रतिवर्ष इनमें बढ़ोतरी की जा रही है तथा अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रम विशेषकर ग्रामीणों के लिए ही चलाये जाते हैं तथा विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत आर्थिक सहायता के साथ सब्सिडी तथा मुफ्त आवास पेयजल, तथा स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण आदि चलाए जा रहे हैं परंतु इनकी सबकी सफलता के लिए इकी शुरू होने से पूर्व सूचना एवं जानकारी होनी चाहिए ताकि ये सही समय और सही तरीके से सफल हो सके। ⌘

(लेखक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) नई दिल्ली के अध्ययन केंद्र राजकीय महाविद्यालय हिसार में ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के परामर्शदाता हैं।)

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किये

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने बच्चों के कल्याण के लिए ठोस प्रयास करने का आहवान करते हुए कहा कि बच्चों का कल्याण ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग को हमने स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया है ताकि बच्चों की आवश्यकताओं का सही ढंग से ध्यान रखा जा सके। डा. सिंह ने कहा कि अनाथ बच्चों और विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 4 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 29 बच्चों को शिक्षा, कला, संस्कृति, संगीत, खेल आदि जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए डा. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किये। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में एक स्वर्ण पदक और राज्य स्तर पर 28 रजत पदक शामिल हैं। पदकों के अलावा स्वर्ण पदक धारक को 25,000 रुपये और रजत पदक धारकों को 10,000 रुपये नकद प्रदान किये जाते हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने कहा कि देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि बच्चों और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों की प्रतिभा विकास के लिए सभी संभव अवसर उपलब्ध कराने होंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार इन प्रतिभाओं का सम्मान मात्र है।

अंतरराष्ट्रीय बाल सभा के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय बाल सभा के स्वर्ण जयंती समारोह (14-20 नवंबर, 2006) का उद्घाटन किया। यह समारोह राष्ट्रीय बालभवन ने आयोजित किया। रूस, मंगोलिया और श्रीलंका के बच्चों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए बच्चों ने इस समारोह में भाग लिया और कार्यक्रम प्रस्तुत किये। मंत्री महोदय ने इस अवसर पर बाल भवन के प्रकाशन-अक्कड़-बक्कड़ पत्रिका और एक पोस्टर का विमोचन भी किया। उद्घाटन समारोह के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों के प्रति पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रेम की चर्चा करते हुए श्री अर्जुन सिंह ने बच्चों से शांति, अहिंसा और सत्य के मूल्यों को आत्मसात करने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए ये मूल्य अत्यंत जरूरी हैं।

समारोह के दौरान विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। बच्चे विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों के साथ मिले और उनके साथ विचार-विमर्श किया। बच्चों ने सृजनशील लेखन में भाग लिया और रंग-बिरंगे फूलों की रंगोली से बाल भवन को सजाया।

इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में मूल्य विषय पर सम्मेलन हुआ। बच्चों ने अंतरराष्ट्रीय बाल सभा में भी भाग लिया। दिल्ली के विभिन्न स्कूल इस विषय पर संगोष्ठियों में जुलाई 2006 से भाग ले रहे हैं। इन स्कूलों के वक्ताओं ने बाल भवन में आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया।

विकास के दरवाजे खोलती सूचना प्रौद्योगिकी

जितेंद्र सिंह

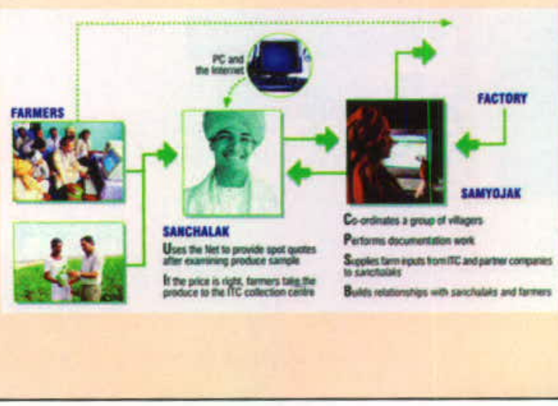

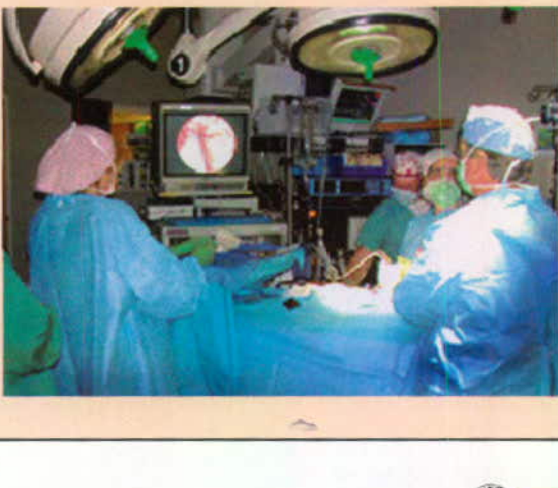

अस्सी के दशक में जब एक बार स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने विदेश के दौरे से लौटकर संसद को संबोधित कर रहे थे और भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आगमन की भविष्यवाणी कर रहे थे, तो उस समय लोग उन पर हंसे थे। लेकिन एक डेढ़ दशक में ही उनकी दूरदर्शी सोच कितनी सच साबित हुई है। उन्होंने कहा था- आने वाला समय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति का होगा जिसके द्वारा दूर-दराज गांव का किसान भी अपने ही गांव-घर, चौपाल में बैठ कर सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उस समय लोगों को भले ही ये बातें निरर्थक और कोरी कल्पना लगी हो, लेकिन हकीकत तो आज सबके सामने है। आज देश ही नहीं सारी दुनिया सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के जरिए एक गांव/घर में समाहित हो गई है। आज सूदूर गांव में बैठा व्यक्ति भी पलक झपकते सारी दुनिया में संपर्क स्थापित कर सकता है।

आज सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है जिसके बिना हम किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आज कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन, सुरक्षा, यातायात, शहरी एवं ग्रामीण विकास इत्यादि क्षेत्रों के विकास और उन्नयन में सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। सूचना प्रौद्योगिकी और समाज एक सिक्के के दो पहलू का रूप ले चुके हैं जिसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र के विकास का हथियार बन चुकी है। आज दुनिया में जो भारत को नई पहचान और मुकाम हासिल हुआ वह सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है। आज हमारा देश सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। यही कारण है कि संचार तंत्र में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है।

ग्राम ज्ञान केंद्र- केंद्र सरकार ने वर्ष 2005-2006 के बजट में 100 करोड़ की लागत से ग्राम ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार का यह कदम गांवों और शहरों के बीच सूचना प्राप्त करने के लिए ब्रिज का कार्य करेगा। इन सूचना केंद्रों पर ग्रामीणों तथा किसानों को कृषि संबंधित नई जानकारी, बाजार भाव, कृषि उपज के विपणन की जानकारी, बाजार की मांग, शिक्षा, सूचना एवं संचार आदि मूलभूत जरूरतों को पूरा करेगा। हालांकि गांवों को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाने का कार्य पहले ही कुछ निजी कंपनियां, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया जा चुका है।

ई-चौपाल- गांवों में आज ई-चौपाल केंद्रों की स्थापना हो रही है। इन ई-चौपाल केंद्रों की स्थापना गांवों में सरकार द्वारा, निजी कंपनियों द्वारा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा की जा रही है। ई-चौपाल केंद्रों निजी कंपनियों, विकास संस्थाओं एवं राज्य सरकारों का ऐसा नेटवर्क है जो इंटरनेट के माध्यम से गांवों में ही किसानों को कृषि की जानकारी, बाजार की मांग, विपणन एवं कृषि संबंधी नई जानकारी उपलब्ध कराता है।

ई-चौपाल केंद्रों का संचालन पांच-छह गांवों को मिलाकर एक स्थानीय व्यक्ति करता है जिसको कंप्यूटर की जानकारी होती है। यह व्यक्ति पांच-छह गांवों को मिलाकर एक ई-चौपाल केंद्र का संचालन करता है। इन ई-चौपाल केंद्रों पर किसानों को कृषि की नई प्रौद्योगिकी अपनाने की जानकारी, फसलों के उत्पादन बढ़ाने की जानकारी, नये उन्नतशील किस्म के बीज, उर्वरकों, दवाओं की जानकारी, फसलों के उत्पादन बढ़ाने की जानकारी, नये उन्नतशील किस्म के बीज, उर्वरकों, दवाओं की जानकारी, फसलों के रोग-बीमारियों के निदान के उपाय की जानकारी, बाजार मूल्य, बाजार मांग आदि की जानकारी मुहैया कराता है। जिससे किसानों को एक ही जगह से उनकी जरूरत की बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ई-चौपाल केंद्र ग्रामीण विकास में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पशुधन संबंधी जानकारी, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, जल संरक्षण, स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में 5 हजार से अधिक ई-चौपाल केंद्रों की स्थापना हो चुकी है जो ग्रामीण एवं ग्रामीण विकास के कार्यों में भी अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं।

मीडिया लैब एशिया- यह राष्ट्रीय और विदेशी लोगों, परियोजनाओं एवं प्रयोगशालाओं का एक प्रस्तावित नेटवर्क है जो अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मीडिया लैब एशिया की भूमिका आविष्कारों, सुधारों एवं होने वाले बदलावों को इस प्रकार से इस्तेमाल करवाना है जिससे आम लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मीडिया लैब एशिया उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों, सरकार एवं आम जनता के साथ अपना कार्य करेगा ताकि देश के दूर-दराज के गांवों को भी अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का फायदा मिल सके।

मीडिया लैब एशिया ग्राम स्तर की फील्ड परियोजनाओं पर आधारित होगी। यह प्रौद्योगिकी विकास के अनुसंधान और भागीदारी का सहयोग लेगी तथा परियोजनाओं का अपनी पूरी अवधि का उद्देश्य देश के अधिकतर गांवों में लगातार उपस्थिति रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों के परियोजनाओं को शोधकर्ताओं के समूहों का सहयोग मिलेगा जो गांवों एवं झुग्गी-झोंपड़ी वाले इलाकों में कार्य करेंगे एवं भागीदार संगठन को स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी, एक कमरे के कम्पयूटर विद्यालय गृहों, सार्वजनिक तथा डाक सेवाओं, लघु बैंकिंग, हस्तशिल्प व्यापार, अनियोजित क्षेत्र में निर्माण एवं मनोरंजन व संचार जैसी सेवाओं को लोगों को लगातार मुहैया कराने में मदद करेगा।

मीडिया लैब एशिया के अंतर्गत अनुसंधान प्रयोगशालाएं, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कोलकाता तथा चेन्नई की आईआईटी में शोधकार्यों एवं उपयोग विकास के लिए खोली गई हैं। इन केंद्रों में प्रारंभ में जिन परियोजनाओं की शुरूआत की गई हैं, वे हैं- जीआईएस मैपिंग, हायर बैंडविथ प्राप्त करने एवं वीओआईपी के सहयोग के लिए मेश नेटवर्क, जाल में लवणता, पोटैशियम, क्लोरीन आदि अशुद्धताओं के विश्लेषण के लिए कम खर्चीले परीक्षण उपकरणों में प्रोटोटाइप बनाना, चिकन इंब्रायडरी, विषय वस्तु को समझाने एवं ट्रांसकोडिंग के लिए आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस एजेंडा आदि।

मीडिया लैब दुनिया में सबसे पहले अमेरिका के मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के रूप में 1985 में स्थापित हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से यह इलेक्ट्रानिक पेपर, डाटा सुरक्षा के नए तरीके, शरीर पर धारण किए जा सकने वाले कंप्यूटर, म्यूजिकल जैकेट जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के नए-नए तरीके खोजे जा चुके हैं। भारत में मीडिया लैब एशिया का आधार बहुत ही विस्तृत और विशाल बनाने की है। इस कार्य के लिए गांवों, शिक्षण संस्थानों एवं उद्यमियों तीनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। मीडिया लैब के लिए भारत-अमरीका संयुक्त टास्कफोर्स बनाया जा चुका है। यह टास्कफोर्स उन गांवों को चिन्हित करेगा जो मीडिया लैब के स्थानीय केंद्रों की स्थापना हेतु भूमि एवं बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएंगे।

टेली-मेडिसिन- यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं आयुर्विज्ञान का समन्वय है। टेली-मेडिसिन प्रणाली के अंतर्गत विशेष रूप से तैयार किए गए हार्डवेयर और साफ्टवेयर, रोगी तथा डाक्टर दोनों छोरों पर प्रदान किए जाते हैं। इनके जरिए रोग निवारण के उपकरण, एक्स-रे, ईसीजी, जांच रिर्पोट आदि रोगी तक पहुंचाए जाते हैं। यह जानकारी इनसैट उपग्रह के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अमूमन रोगी के बीमारी से संबंधित समस्त जानकारी विशेषज्ञ डाक्टर को भेजी जाती है। इसके बाद डाक्टर जांच-पड़ताल के बाद रोगी से सीधे वीडियो कांफ्रेसिंग के द्वारा बात-चीत करके रोग का निदान और उपचार करते हैं। इस कार्य के लिए सरकारी अस्पताल, कुछ गैर-सरकारी संगठन या ट्रस्टी अस्पताल से चुने जाते हैं ताकि इस प्रणाली को सुचार रूप से चलाने में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और आगे चलकर टेलीमेडिसिन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा सके। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में सैट काम पर आधारित टेली-मेडिसिन सुविधा स्थापित करने का कार्य आरंभ कर दिया है। हमारे देश में तो टेली-मेडिसिन जैसी चिकित्सा प्रणाली की बहुत ही उपयोगिता और सार्थकता है क्योंकि हमारा देश गांवों का देश है जहां पर आवागमन के साधन के साथ-साथ पर्याप्त चिकित्सा के साधन उपलब्ध नहीं हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में प्रति लाख आबादी पर मात्र 40 डाक्टर ही उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 70 फीसदी आबादी के स्वास्थ्य का दारोमदार तो मात्र 2 फीसदी डाक्टरों पर टिका है।

ई-कामर्स- सूचना प्रौद्योगिकी आज हर उद्यम का अभिन्न अंग बन चुकी है। ई-कामर्स जो व्यापार और वाणिज्य के आन लाईन लेन-देन की कुशल प्रक्रिया है। ई-कामर्स व्यापार आज विश्व भर में उभर रहा है।

समुदाय सूचना केंद्र- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पूर्वोत्तर और सिक्किम के 487 विकास खंडों में समुदाय सूचना केंद्र/कम्युनिटी इनफारमेशन सेंटर स्थापित किया है ताकि क्षेत्र के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके एवं ब्लाक स्तर पर लोगों की भगीदारी बढ़ सके। इन केंद्रों की मदद से स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, जल, साक्षरता तथा गरीबी आदि की समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके।

आज दुनिया संचार माध्यमों, ई-कामर्स, मीडिया लैब, ई-चौपाल, समुदाय सूचना केंद्र, दूरस्थ शिक्षा, टेली-मेडिसिन एवं ई-गवर्नेस आदि की मदद से लोगों का जीवन दिन-प्रतिदिन सुविधापूर्ण, सरल, अत्याधुनिक एवं उन्नत बनता जा रहा है। इन सारी सुविधाओं, उन्नति और विकास के मूल में सूचना प्रौद्योगिकी ही है। ⌘

(लेखक उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वाराणसी के कृषि प्रसार विभाग में प्रवक्ता हैं)

सामुदायिक विकास में रेडियो की भूमिका

मनोहर लाल

भारत एक विशाल देश है। यहां अभी भी अशिक्षा, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जो स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होता है। इसलिए इस योजना की सफलता के लिए जनसहयोग को अपेक्षित माना जाता है। हमें जनसहयोग तभी मिल सकता है जब हम सामुदायिक विकास योजनाओं की सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करें और उनका समर्थन प्राप्त करें। ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के लिए आजादी से पहले भी महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्पेन्सर हैज, एफ.एल. वायले तथा एस.के. डे द्वारा कई कार्यक्रम चलाये गये। आज भी भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनका जीवन पूर्णत: कृषि पर आधारित है। हम उनके सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान किये बगैर भारतीय संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत के आजादी के बाद एक ऐसी वृहद योजना की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी तथा रूढ़िवादिता जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। भारत की ग्रामीण और आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक था कि कृषि की दशा में सुधार किया जाए, सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन किया जाए, आवासीय दशा में सुधार किया जाए, भूमिहीन कृषकों को भूमि प्रदान किया जाए, लोगों की शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाया जाए। लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जाएं तथा साथ ही पिछड़े व कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा एवं गोरखपुर जिले में सर्वप्रथम 1948 में एक प्रायोगिक योजना प्रारंभ की गयी जो सफल रही। इस प्रायोगिक योजना की सफलता के बाद सन् 1952 में भारत के सर्वांगीण ग्रामीण विकास हेतु अमेरिका और भारत के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा भारत के ग्रामीण विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस ग्रामीण विकास योजना का नाम 'सामुदायिक विकास योजना' रखा गया। इसी वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर 55 खंडों की स्थापना करके सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया।

सामुदायिक विकास का अर्थ एवं उद्देश्य

सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्म सहायता व सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर स्वावलंबी तरीके से सामाजिक व आर्थिक उन्नति के साथ ही मानव के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल देती है। सामुदायिक विकास वर्तमान समय में अत्यंत प्रचलित शब्द है जिसका

प्रयोग भारतीय परिवेश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से हुआ। सामुदायिक विकास की ही देन है कि आज भारत तीव्रगति से विकास करते हुए विकासशील देश से अब विकसित देश की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है। आज भारत की क्रमिक विकास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास समाज के संपूर्ण विकास की एक ऐसी पद्धति है, जिनमें जन सहभागिता के समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है।

सामुदायिक विकास की अवधारणा अत्यंत व्यापक एवं जटिल है। साधारण अर्थों में हम सामुदायिक विकास का अर्थ समुदाय के विकास एवं प्रगति से लगाते हैं। लेकिन समुदायिक विकास को परिभाषित करने का प्रयास निरंतर चलता रहा। सन् 1955 में कैम्ब्रिज में हुए एक सम्मेलन की टीम रिपोर्ट ऑन कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपिन्स, इंटरनेशनल कोआपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन' के पृष्ठ एक में सामुदायिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया कि 'सामुदायिक विकास एक ऐसा आंदोलन है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय के लिए एक उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना। इस कार्य में प्रेरणा शक्ति समुदायिक विकास की इस व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि सामुदायिक विकास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समुदाय के लिए समुदाय द्वारा प्रेरित करना तथा जनसहभागिता महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के स्वार्थों तक ही सीमित न रहकर पूरे समुदाय के जीवन स्तर का विकास करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार-सामुदायिक विकास योजना एक विधि है जो समुदाय के लिए उनके पूर्ण सहयोग से आर्थिक और सामाजिक की परिस्थितियों को पैदा करती है और पूर्णरूप से सामुदायिक पहल पर निर्भर करती है।

योजना आयोग के अनुसार-जनता द्वारा स्वयं ही अपने प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास सामुदायिक विकास है।

ए.आर. देसाई के अनुसार-सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयत्न करती है।

आर.एन. रैना के अनुसार-सामुदायिक विकास एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम है जो ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है तथा धर्म, जाति, सामाजिक अथवा आर्थिक असमानताओं को बिना कोई महत्व दिये यह संपूर्ण ग्रामीण समुदाय पर लागू होता है।

इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जहां एक तरफ शिक्षण-प्रशिक्षण, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास, कृषि व परिवहन के विकास तथा समाज सुधार पर बल दिया जाता है वहीं दूसरी तरफ यह ग्रामीणों के विचार, दृष्टिकोण एवं अभिरुचियों में भी इस प्रकार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है कि ग्रामीण समुदाय आत्मविश्वासी एवं अपने सर्वांगीण विकास के लिए आत्म निर्भर हो सके।

भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास के आठ प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं- ग्रामीण जनता की मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, गांवों में उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व को विकसित करना, समस्त ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भरता एवं प्रगतिशील बनाना, ग्रामीण जनता के आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना, ग्रामीण युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, ग्रामीण महिलाओं एवं परिवार की दशा में सुधार करना, ग्रामीण शिक्षकों के हितों की रक्षा करना तथा ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। इन प्रमुख उद्देश्यों के अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजना में ग्रामीण लोगों में आत्मविश्वास तथा उत्तरदायित्व बढ़ाकर उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, उच्च सामाजिक एवं आर्थिक जीवन प्रदान करना तथा ग्रामीण युवकों में कार्य करने की क्षमता विकसित करने जैसे अन्य उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है। इन उद्देश्यों का अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के अंदर छिपी हुई परिवर्तन शक्ति को जागृत करना है, जिससे ग्रामीण समुदाय अपने आचार-विचार के साथ ही कार्य करने की शैली में परिवर्तन कर समाज तथा भारत के सर्वांगीण विकास में सहभागी बन सके।

भारत की गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली लगभग एक तिहाई जनसंख्या जो भारत के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है, वह क्षेत्रीय, भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता से युक्त है। उसके सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो हमें उनके बीच शीघ्र एवं नियोजित ढंग से संचार करना आवश्यक है। क्योंकि विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाओं में से एक बाधा लोगों में जानकारी का अभाव है। शीघ्र एवं नियोजित ढंग से विकास की एक सशक्त एजेंट के रूप में संचार की भूमिका की स्वीकार किया जाता है। जहां संचार में रिक्तता आ जाती है, वहीं से विकास बाधित हो जाता है। इसलिए विकासशील देशों में लोगों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के साथ-साथ उनको राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बनाने में जनसंचार की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनसंचार लोगों को राष्ट्रनिर्माण के प्रयासों में भागीदारी करने में मदद करता है। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत हम रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, पत्र-पत्रिकाओं एवं इंटरनेट को सम्मिलित करते हैं। इन जनमाध्यमों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने में रेडियो ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में रेडियो प्रसारण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम

रेडियो जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए आकाशवाणी द्वारा 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्राइमरी, राष्ट्रीय, विविध भारती, एफ.एम. एवं विदेश प्रसारण सेवा के माध्यम से सूचना, शिक्षा मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए

जाते हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण भी नियमित रूप से किया जाता है। इन कार्यक्रमों का ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास को ध्यान में रखते हुए रेडियो द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते है जो निम्नलिखित हैं:

कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम

भारतीय रेडियो द्वारा सन् 1965 से नियमित रूप से फार्म एवं होम इकाई के अंतर्गत समन्वित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कृषि से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों में कृषि से संबंधित विशेष कार्यक्रम, वार्ताएं एवं परिचर्चाएं प्रसारित की जाती हैं, जिनमें पशुपालन, मछली पालन और कृषि से संबंधित क्रिया-कलाप, सूखी और बंजर भूमि में खेती, ग्रामीण रोजगार योजनाएं, ऋण और प्रशिक्षण सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और पोषण से संबंधित कार्यक्रम मुख्य हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास में खेती की बाते, गांव की ओर, पंचायत घर, कृषि जगत व आकाशवाणी गांव में जैसे कार्यक्रमों का विशेष योगदान है। भारतीय रेडियो ने कृषि प्रसारण से संबंधित कार्यक्रमों में बढ़ोतरी की है। 15 फरवरी, 2004 से 'किसानवाणी' नामक एक विशेष कृषि चैनल प्रारंभ किया गया है। इस चैनल उनके आस-पास होने वाली गतिविधियों के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं।

पर्यावरण एवं वन संरक्षण कार्यक्रम

वर्तमान समय में पर्यावरण की वैश्विक समस्या को देखते हुए रेडियो द्वारा वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पर्यावरण, वन्य जीव, पारिस्थितिकी से संबंधित कार्यक्रमों का ग्रामीण जनमानस पर विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के साथ ही अब किसान वृक्षारोपण पर भी ध्यान दे रहे हैं। आकाशवाणी के कुछ प्रमुख स्टेशनों द्वारा प्रतिदिन वसुन्धरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम का भी ग्रामीण महिलायें एवं युवाओं पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है इस प्रकार कहा जा सकता है कि रेडियो के कार्यक्रम लोगों में वन्यजीव संरक्षण, पृथ्वी की सुरक्षा एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारतीय रेडियो के लगभग सभी केंद्रों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित 15000 से अधिक कार्यक्रम रेडियो द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों की अवधि प्रतिमहीने 25000 मिनट के लगभग होती है। ये कार्यक्रम सामान्य एवं विशेष श्रोताओं के लिए प्रसारित किये जाते हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण युवाओं एवं बाल-विकास के कार्यक्रम प्रमुख हैं। इन कार्यक्रमों का प्रसारण विभिन्न रूपों में होता है जैसे-वार्ता, विचार-विमर्श, फीचर, नाटक, कहानियां, सफलता की कहानियां, फोनिंग प्रोग्राम आदि। इसके अलावा आकाशवाणी के स्थानीय केंद्रों द्वारा भी परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित रूप से किया जाता है। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अतंर्गत रक्तदान एवं नेत्रदान के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। नशीले पदार्थ का सेवन, तम्बाकू सेवन, वेश्यावृत्ति, कुष्ठ निवारण एवं एड्स जैसे बुराईयों से दूर रखने के लिए भी रेडियो द्वारा समुचित कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। रेडियो के प्रत्येक केंद्र द्वारा सप्ताह में एक दिन 15 मिनट की अवधि का स्वास्थ्य मंच नामक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें श्रोताओं को सामान्य बीमारियों एवं रोगों के बारे में जानकारी देने के लिए अनुभवी डाक्टरों को आमंत्रित किया जाता है। इस कार्यक्रमों को समुचित रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो बराबर रेडियो से संपर्क बनाये रहता है और वह संदर्भ सामग्री तथा अपनी विशेष सलाह उपलब्ध कराता है। परिवार कल्याण पर बेहतर कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए प्रतिवर्ष आकाशवाणी पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

रेडियो के चुने हुये 18 केंद्रों से 15 सितंबर, 2005 से पन्द्रह मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नियमित प्रसारित किया जा रहा है। जिन 18 राज्यों में यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है वे इस प्रकार है- बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर। यह रेडियो का प्रभाव ही है कि आज हमें जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही रोगों के उन्मूलन में जनता का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है।

महिला विकास कार्यक्रम

ग्रामीण शहरी महिलाओं के विकास के लिए भी आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म को महत्व और प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा वर्षभर जनसमुदाय में जागृति पैदा की जाती है कि लड़के के बजाय लड़की की जन्म को महत्व दे। जिससे कि स्त्री-पुरुष लिंगानुपात बना रहे। महिला श्रोताओं के लिए प्रसारित कार्यक्रमों की मुख्य विषय वस्तु विवाह के आयु में वृद्धि, पहला बच्चा देरी से, दो बच्चों के जन्म में अंतर, गर्भपात के तरीके, मां की देखभाल, शिशुओं का देखभाल, महिलाओं का शक्तिकरण, पति-पत्नी के बीच बेहतर संबंध, बेटा पाने की इच्छा को निरूत्साहित करना, गर्भपात के कानूनी प्रावधानों को प्रोत्साहित एवं रोगों की रोकथाम, नशीले पदार्थों का सेवन, स्तनपान बच्चे का अधिकार, बाल मज़दूरी, विकलांगता, टी.बी., कुष्ठ रोग पर केंद्रित होता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं

के अधिकारों और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है। महिलाओं के प्रति सामाजिक चेतना बढ़ाने में रेडियो कार्यक्रमों के द्वारा निरंतर प्रयास जारी है। आज रेडियो कार्यक्रमों के द्वारा जनता में बालिका शिक्षा व उनके अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है और महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिला विकास कार्यक्रमों में घर-आंगन, अंगनइयां, गृहलक्ष्मी, सखी-सहेली प्रमुख हैं।

बाल विकास कार्यक्रम

रेडियो के लगभग सभी केंद्रों द्वारा बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। रेडियो के जिन केंद्रों पर फार्म एंड होम इकाइयां हैं, वहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में सप्ताह में एक बार बच्चों को भी कार्यक्रम में सहभागी होने का मौका दिया जाता है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में शिक्षित एवं अशिक्षित बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दोनों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। इन कार्यक्रमों में नन्हीं दुनिया व बालगोपाल प्रमुख हैं। बाल विकास कार्यक्रमों में कुछ विशेष कार्यक्रम भी साप्ताहिक रूप से प्रसारित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों को नाटकों, कहानियों, फीचर, समूहगान, साक्षात्कार और प्राचीन ग्रंथों से ली गयी कथा-कहानियों के रूप में प्रसारित किया जाता है। रेडियो द्वारा ग्रामीण बच्चों के एवं नन्हें-मुन्ने बच्चों के लिए अलग से विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किशोर बच्चों के लिए भी कार्यक्रम शामिल किये जाते हैं। ये सभी कार्यक्रम सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जिसका बच्चों के संपूर्ण विकास में विशेष योगदान होता है। नन्हें-मुन्नों के लिए कार्यक्रम सप्ताह में एक बार प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम में नाटक, फीचर, यात्रा संस्मरण, प्राचीन ग्रंथों की कहानियां तथा विभिन्न प्रदेशों की कथाओं से संबंधित सामग्री का प्रसारण किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में 5-7 वर्ष के बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिससे उनके व्यक्तित्व में विकास हो और उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके।

शैक्षणिक एवं युवा विकास कार्यक्रम

किसी भी देश की शक्ति वहां के युवाओं में निहित होती है। जिस देश के युवा जितने शिक्षित व विकसित होंगे वह राष्ट्र भी उतना ही विकसित होगा। इस बात को ध्यान में रखकर रेडियो द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। युववाणी तथा युवामंच जैसे कार्यक्रमों के द्वारा युवकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास रेडियो द्वारा निरंतर किया जाता है। युवा विकास कार्यक्रमों को मुख्य रूप से सहभागी बनाया जाता है और उनके द्वारा रचित रचनाएं व लिखित कहानियों, वार्ताओं, नाटकों आदि का प्रसारण उनके द्वारा कराया जाता है। युवकों में प्रतियोगी भावना के विकास हेतु सामान्य ज्ञान प्रश्नोतरी का समायोजन समय-समय पर रेडियो द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें शिक्षित युवकों को आमंत्रित किया जाता है। इन सभी विधाओं के कार्यक्रमों का युवाओं के शैक्षिक एवं मानसिक विकास में विशेष योगदान है।

श्रमिक विकास कार्यक्रम

वर्तमान समय भूमण्डलीकरण का माना जा रहा है। भूमण्डलीकरण के इस युग में पारंपरिक तथा लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़े श्रमिकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन ग्रामीण श्रमिकों के आजीविका का मुख्य साधन लघु एवं कुटीर उद्योग है। इस उद्योग को विकसित करने में रेडियो आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं के संरक्षण, हस्तशिल्प विकास की सरकारी योजनाओं की जानकारी, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था आदि की जानकारी रेडियो द्वारा प्रदान कर ग्रामीण विकास एवं श्रमिक विकास का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हस्तकला एवं काष्ठकला में सफल शिल्पियों, लघु व कुटीर उद्योगों में सफल श्रमिकों की भेंट वार्ताएं प्रसारित कर उन्हें मंच प्रदान करने एवं बेरोजगारी को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का सराहनीय कार्य रेडियो द्वारा निरंतर किया जा रहा है। श्रमिकों के बीच व आकाशवाणी गांव में कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं की समीक्षा एवं श्रमिकों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने के साथ ही श्रमिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

विकास परक प्रायोजित कार्यक्रम

रेडियो द्वारा प्रतिदिन विकास परक विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इन विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्यों केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाकर उन्हें विकास में सहभागी बनाना होता है। इन विज्ञापनों में जिन विज्ञापनों का प्रसारण नियमित रूप से किया जाता है वे निम्नलिखित विषयों रोजगार, कृषि उत्पाद, शिक्षा, उत्पाद, स्वास्थ्य, महिला व बच्चे, खाद्य एवं पोषण, पंचायती राज, अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़े वर्ग के उत्थान साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता से संबंधित होते हैं। इन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से भी श्रोताओं में इन विज्ञापनों के सम्प्रेषणीयता की प्रतिपुष्टि हेतु सवाल पूछे जाते हैं और सही जवाब देने वाले को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम पाक्षिक, साप्ताहिक या सप्ताह में दो बार प्रसारित किये जाते हैं। इस समय उपभोक्ता संरक्षण, महिला विकास, स्वास्थ्य चेतना, पल्स पोलियो, एड्स उन्मूलन जैसे विषयों पर जागरूकता प्रदान करने के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसारण प्रमुख रूप से किया जा रहा है।

विकास की पहली शर्त आम लोगों की जनसहभागिता होती है। इसलिए ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास में सहभागी संचार की भूमिका प्रमुख हो जाती है। रेडियो सहभागी संचार का सबसे प्रमुख माध्यम है। इसलिए रेडियो द्वारा अपने श्रोताओं की इच्छा जानने व विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लिए श्रोताओं के पत्रों पर आधारित व टेलिफोन वार्ता पर आधारित कार्यक्रम प्रति सप्ताह प्रसारित किया जाता है। इन

कार्यक्रमों पर श्रोता समय-समय पर अपना सुझाव व अपनी समस्याओं से रेडियो से जुड़े लोगों को अवगत कराया है। रेडियो केंद्रों द्वारा उनके समस्याओं का समाधान कर कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए उनके सुझावों को महत्व प्रदान किया जाता है।

सामुदायिक एवं ग्रामीण विकास में रेडियो का योगदान

भारत में रेडियो प्रसारण की शुरूआत 1923 में 'रेडियो क्लब ऑफ मुम्बई' द्वारा की गयी थी। इसके बाद 1927 में प्रसारण सेवा का गठन मुंबई और कोलकाता में प्रयोग के तौर पर किया गया। आगे चलकर 1930 में प्रसारण सेवा को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और 1936 में इसे आल इंडिया रेडियो 'आकाशवाणी' के नाम से जाना जाने लगा। भारत की आजादी के समय 1947 में रेडियो प्रसारण के 6 केंद्र और 18 ट्रांसमीटर थे, जिसके प्रसारण की कवरेज क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.5 प्रतिशत और जनसंख्या की दृष्टि से 11 प्रतिशत थी। वर्तमान समय में रेडियो प्रसारण के 208 केंद्र है इन केंद्रों में 24 भाषाओं में और 146 बोलियां में प्रसारण किया जाता है। जिसकी सम्प्रेणीयता क्षेत्रफल की दृष्टि से 90 प्रतिशत और जनसंख्या की दृष्टि से 99 प्रतिशत है।

भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभिक स्वरूप सामुदायिक था। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों तक सूचना पहुंचाना एवं कृषि विकास हेतु नयी तकनीकी जानकारी देना था। भारत में सबसे पहले ग्रामीणों के लिए प्रसारण 1935 में ईसाई मिशनरियों के कृषि शोध संस्थान द्वारा इलाहाबाद के नैनी व पेशावर स्थित रेडियो स्टेशनों द्वारा किया गया। 1949 से 7 रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण प्रसारण परियोजना के अंतर्गत 20 कार्यक्रम ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के प्रसारित किये जाने लगे। गांवों में 200 श्रोता क्लबों का गठन किया गया और ग्रामीण रेडियो फोरम स्थापित किया गया, इसमें 10 से लेकर 200 सदस्य बनाये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रेडियो सेट वितरित किये गये।

वर्तमान समय में रेडियो प्रसारण केंद्रों में वृद्धि के साथ ही इसका व्यावसायिक स्वरूप सामने आने लगा है। रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से रेडियो का स्वरूप भी बदल रहा है। इसमें व्यावसायिक कार्यक्रम और विज्ञापन अधिक प्रसारित किया जा रहा है। ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में निरंतर कमी देखने को मिल रही है, ऐसे में सामुदायिक रेडियो की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। भारत के सामुदायिक विकास में रेडियो की प्रासंगिकता को देखते हुये आज सामुदायिक रेडियो का विकास तेजी के साथ किया जा रहा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सामुदायिक रेडियो ऐसा संसाधन है जो भारत जैसे विकासशील देश में सूचना प्रसार और मनोरंजन का उचित माध्यम है। सामुदायिक एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिए आज संचारविदों द्वारा सामुदायिक रेडियो पर विशेष बल दिया जा रहा है।

विकासशील देशों जिसे तीसरी दुनिया के नाम से भी जानते है कि सबसे बड़ी समस्या सूचना संप्रेषण की है। कुशल संप्रेक्षण व्यवस्था न होने के कारण उपेक्षित वर्ग तक नयी तकनीकी विकास का लोगों को पता नहीं चल पाता है। जिससे इन देशों का राष्ट्रीय विकास एवं आर्थिक विकास बाधित हो जाता है। भारत विकासशील देश होने के साथ ही कृषि प्रधान देश है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है इसलिए कृषि पर वैज्ञानिकों द्वारा जो नये प्रयोग किये जा रहे हैं उसकी सूचना कृषकों को निरंतर मिलनी चाहिए नहीं तो इन खोजों का कोई लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिए वर्तमान समय में कृषि विज्ञान केंद्र व सामुदायिक रेडियो को मिलकर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि- कृषि विज्ञान केंद्र और उसके साथ काम कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन के द्वारा जहां फसलों के लिए जरूरी तकनीक की नई प्रजातियां और बीमारियों से बचाव की अहम सूचना लोगों तक पहुंचायी जा सकती है, वहीं विपणन से जुड़ी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का काम इसके जरिये संभव है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेडियो ने ग्रामीण विकास के साथ ही तमाम कुरीतियों के उन्मूलन व शिक्षा के प्रसार-प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ऐसा माध्यम है जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे-छोटे गांवों तक बिना बिजली के आसानी से पहुंच सकता है। एक साधारण सा किसान हल जोतते हुए भी इसे सुन सकता है, इससे सुनने के लिए अलग से समय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ग्रामीणों पर रेडियो पर प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सामुदायिक रेडियो सहभागी संचार के एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रचलित हो रहा है, जो सामुदायिक विकास के साथ ही ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के लोगों के संचार रिक्तता समाप्त कर उन्हें विकास प्रक्रिया में सहभागिता के लिए प्रेरित करता है। ⌘

(लेखक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से संबद्ध हैं)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
राम कृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

ग्रामीण बैंकों के संस्थापक : मोहम्मद युनुस को नोबेल पुरस्कार

राधेश्याम

गरीबी और बदहाली से लड़खड़ाते बांग्लादेश के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुस को वर्ष 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार से ओस्लो में विशेष आयोजन के तहत सम्मानित किया गया जबकि अन्य पांचों पुरस्कारों का वितरण स्टॉकहोम में किया गया था। उनको पुरस्कृत किया जाना उस देश के लिए ही नहीं विश्व के सभी गरीब और संघर्षशील देशों के लिए गौरव की बात है। क्योंकि मो. युनुस अपनी अर्थशास्त्रीय शिक्षा का उपयोग गरीबों के दुख दूर करने का प्रयोग करके यह दिखा दिया कि शिक्षा को केवल एक डिगी के रूप में ही नहीं देखा जा सकता बल्कि उसका व्यावहारिक इस्तेमाल भी जरूरी है। उदाहरण के लिए उन्होंने 1970 से ही 'माइक्रो क्रेडिट' आंदोलन की शुरूआत की थी, जिसके तहत गरीबों को, जिसमें विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के वित्तीय गांरटी के ऋण की व्यवस्था देने का प्रयोग किया था। इसके नतीजे इतने सफल हुए और इसकी सफलता इस हद तक कामयाब रहा कि आज 'माइक्रो क्रेडिट' आंदोलन विश्व के 7 हजार संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है जिससे लगभग 1 करोड़ 6 लाख लोगों का रोजगार दिया जा चुका है। इसलिए बांग्लादेश में उन्हें ग्रामीण बैंक के सफल संस्थापक के रूप में देखा जाता है।

इन बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार के व्यापार को प्रारंभ करने के लिए दो सौ डालर या इससे कम ऋण की सुविधाएं दी जाती हैं और इसके लिए उनके सामने कोई शर्त नहीं होती। इतना जरूर ध्यान रखा जाता है कि उस ऋण का सही उपयोग हो रहा है या नहीं ? इसके अतिरिक्त यदि कर्जधारकों को किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई आती है तो उस बैंक के प्रतिनिधि दूर करने का प्रयास करते है। यहां उल्लेखनीय है कि इसी 'माइक्रो क्रेडिट' की अवधारणा से प्रभावित होकर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका के आर्कासस में ऐसे ही बैंकों को स्थापना करने के आदेश दिऐ थे जिसकी सराहना की गई थी। क्योंकि "माइक्रो फाइनेनसिंग" योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज पर 15-35 प्रतिशत तक ब्याज की वसूली होती है। इस 'माइक्रो क्रेडिट' शैली की प्रशंसा मुक्त बाजारों और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसमें लगे 98 प्रतिशत धन की वसूली हो जाती है। बैंक द्वारा दिए गए कर्ज के डूबने का खतरा नहीं होता।

इस आंदोलन से मो. युनुस ने अनोखे प्रयोग से यह साबित करने की कोशिश की है कि यदि अभावग्रस्त लोगों को गंभीरता के साथ आर्थिक सहयोग करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश की जाये तो वे भी अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए की जा रही खानापूर्ति और कागजी कार्रवाई से किसी भी देश का आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसे ग्रामीण स्तर पर 'माइक्रो क्रेडिट' आंदोलन की तरह हर देश में आंदोलन नहीं चलाए जाएं। ऐसे आंदोलन बेहद स्थानीय स्तर पर ही चलाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें ऋण लेनेवालों की तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है जिससे ऋण की वापसी और जिस व्यवसाय के लिए ऋण लिया गया है, दोनों की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

वर्तमान में नोबेल विजेता युनुस इस महत्वाकांक्षी योजना "सामाजिक उद्यमी" की कल्पना को साकार करने में लगे है। जिसमें उन सभी संपन्न व्यक्ति या समूहों का आर्थिक योगदान चाहते है जो न तो अधिक लाभ कमाएं और न ही आर्थिक घाटा और उनकी गरीबी को दूर करने में उनके योगदान को रेखांकित किया जा सके। वैसे बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने वहां की गरीबी और भुखमरी को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा का व्यावहारिक इस्तेमाल किया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं लेकिन उन्हें लगता है कि यदि भुखमरी और दरिद्रता को देश या समाज से दूर कर दिया गया तो वहां की शांति की स्थापना अपने आप हो जाएगी। ⌘

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

RAU'S IAS
A name that Nation trusts

Amazing Success

Our 2005 Exam Results : Nine positions secured by our students in first 20 and 49 in first 100 with overall 203 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India except Jaipur. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of people across India, but no one can match our quality.

Programme Highlights

Civil Services/PCS Exam - 2007 &
Judicial Services Exam - 2007

- Personal Guidance (English Medium) is available for -
  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for -
  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  केवल सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

If you are taught by the stars, sky is the limit.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO of Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

Head Office : 309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone : 23738906-07, 23318135-36, 32448880-81, 65391202, Fax: 23317153

Jaipur Centre : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015, Ph.: 0141-6450676, 3226167, 9351528027

For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH-12/06/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

NACO

एड्स – जानकारी ही बचाव है

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय